(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या : 10

शुक्रवार

7 अप्रेल, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, अस्थाई अध्यक्ष, पदासीन।)

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : पाइंट आफ आर्डर पहले।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कांस्टीट्यूशनल क्राइसेज पैदा हो रहा है। आपके इस सदन के इस महान आसन पर पधारने पर मैं आपको बधाई देता हूं लेकिन उस कांस्टीट्यूशनल क्राइसेज के ऊपर जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक इस सदन की कार्यवाही आगे नहीं चल पायेगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं संक्षेप में निवेदन करूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि पहले पहल मेरी नियुक्ति के बारे में आप फरमाना चाहते हैं तो सचिव पहले राज्यपाल महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में जो आदेश दिया गया है उसको पढ़ लें, उसके बाद में आप कहें।

सदन पटल पर रखा गया पत्र

अधिसूचना

श्री पूनमचन्द बिश्नोई, सदस्य, विधान सभा की अध्यक्ष पद पर अस्थायी नियुक्ति एवं उनके द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन कराने सम्बन्धी अधिसूचना

सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री सत्यप्रकाश पाठक) : महोदय, राज्यपाल महोदय ने फलौदी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्री पूनमचन्द जी बिश्नोई की अस्थायी अध्यक्ष पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्न आज्ञा प्रदान की है :—

"अधिसूचना क्रमांक प. 1 (4) संसद/95 दिनांक 5 अप्रेल, 1995 अतः वर्तमान में दशम् राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष का पद रिक्त है, और अतः उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो जाने की सम्भावना है। अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बलिराम भगत, राज्यपाल, राजस्थान, फलौदी (190) विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित दशम् राजस्थान विधान सभा के सदस्य, श्री पूनमचन्दजी बिश्नोई को दशम् राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र में सदन द्वारा अध्यक्ष के निर्वाचन किये जाने तक अध्यक्ष के कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, दिनांक 7 अप्रेल, 1995 को प्रातः 11.00 बजे से नियुक्त करता हूं"।

आज्ञा सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु उपाध्यक्ष के त्याग पत्र से पूर्व अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा का एक बुलेटिन हमें प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से यह जानकारी दी गयी, "समस्त माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री शांतिलाल चपलोत ने राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष पद से 6 अप्रेल, 1995 को त्याग पत्र दे दिया है।"

अध्यक्ष महोदय, त्याग पत्र कल की तारीख में दिया गया था। कुछ इम्पार्टेंट इश्यूज इससे उभर कर आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ने त्याग पत्र किस को दिया ? उपाध्यक्ष महोदय ने अगर त्याग पत्र किसी को दिया है तो वह त्याग पत्र क्या स्वीकार कर लिया गया है ? और अगर वह त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है तो उसके पश्चात् किस प्रकार से कार्यवाही की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन का जो आर्टिकल 179 (बी) है वह मैं उद्धत करना चाहूंगा :—

"(b) may at any time by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker, to the Speaker, resign his office;"

अध्यक्ष महोदय, यहां पर अध्यक्ष महोदय का पद रिक्त था, उपाध्यक्ष के पद पर माननीय शांतिलालजी चपलोत विराजमान थे, उन्होंने कल की तिथि में त्याग पत्र दिया। जब अध्यक्ष का पद रिक्त था तो उन्होंने त्यागपत्र किसको दिया ? जबकि आवश्यक था कि वह सिर्फ त्यागपत्र अध्यक्ष को ही दे सकते हैं और अध्यक्ष त्यागपत्र सिर्फ उपाध्यक्ष को ही दे सकते हैं। इस कारण से यह एक कान्स्टीट्यूशनल लेकूना रहा है, एक शार्टकमिंग रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा बिन्दु है कि इनके त्यागपत्र का क्या हश्र हुआ ? क्या वह त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया? त्यागपत्र देने का मतलब यह नहीं है कि त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जायेगा।

तीसरी बात, अगर वह त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है तो क्या उसका नोटिफिकेशन हुआ है ? बिना नोटिफिकेशन किसी भी चीज का कोई औचित्य नहीं होता।

मेरा चौथा महत्वपूर्ण बिन्दु है, अध्यक्ष महोदय, कि कल 6 तारीख को त्यागपत्र दिया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय ने आज 7 तारीख को 11 बजे राज्यपाल महोदय के आदेश के अनुसार से यहां पर पद ग्रहण किया, इस 6 तारीख के और 7 तारीख के बीच में क्या हुआ ? इस 6 तारीख के और 7 तारीख के बीच में कौन विधान सभा का अध्यक्ष था, कौन विधान सभा का उपाध्यक्ष था ? इस 6 और 7 तारीख के बीच में कुछ आज्ञाओं के लिए, अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा का सर्वेसर्वा कौन था ? यह एक वेक्यूम था जो कि कांस्टीट्यूशन के अनुसार कभी नहीं होना चाहिये। जब विधान सभाएं भंग हो जाती हैं, अध्यक्ष महोदय, तब भी अध्यक्ष का पद बना रहता

(श्री लक्ष्मण सिंह)

है, अध्यक्ष का पद कभी समाप्त नहीं होता। एक कहावत है, अध्यक्ष महोदय, 'King is dead, long live the King." अर्थात् किंग कभी मरता नहीं है।

आपको याद होगा कि प्रेसीडेंट केनेडी की जब हत्या हुई थी 1963 में तो वाइस प्रेसीडेंट जानसन ने हवाई जहाज के अन्दर शपथ ली थी और प्रेसीडेंट के पद को प्राप्त किया था और तभी आगे के वे कार्य सम्भाल सके थे।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि 6 तारीख के और 7 तारीख के बीच में इस विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कोई भी नहीं था तो क्यों नहीं था ?

मेरा पांचवां बिन्दु है, अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि जब भी चुनाव कराये जाते हैं, चुनाव होते हैं तो उसके बाद में शपथ ली जाती है। राष्ट्रपति शपथ लेता है, उप राष्ट्रपति शपथ लेता है, गवर्नर महोदय शपथ लेते हैं, विधान सभा का सदस्य शपथ लेता है, अध्यक्ष शपथ लेता है और उपाध्यक्ष भी शपथ लेता है। जब यहां पर प्रोटेम स्पीकर का नामिनेशन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर भी एक ही दिन के लिए होता है और सिर्फ यहां पर शपथ दिलवाने के लिए होता है। शपथ का इतना महत्व है हमारे कान्स्टीट्यूशन के अन्दर, हमारी परम्पराओं के अन्दर।

अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति पूर्ण सम्मान दर्शाते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे सिर्फ आज के लिए ही आप अध्यक्ष बने हों लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जैसा मेरी जानकारी में है कि गवर्नर महोदय, के यहां पर आपको शपथ नहीं दिलवायी गयी है। जब तक आप शपथ नहीं लेते हैं तब तक, अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में इस गरिमामय आसन पर आप जो निर्णय लेंगे उनका महत्व, उनकी इम्पार्टेंस और उनकी वह गरिमा नहीं रहेगी जो रहनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और इस माननीय सदन के सभी सदस्यों से चाहूंगा कि इन गम्भीर कान्स्टीट्यूशनल पाइंट्स के ऊपर विचार करके कोई निर्णय लिया जाय और अपेक्षा करता हूं कि आप कोई इस पर फैसला देंगे।

एक बिन्दु साथ और जोड़ना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय। यह कहा गया था कि गवर्नर महोदय के आदेश के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती। यह बड़ी ही हाउस को मिसगाइड करने वाली बात थी। गवर्नर महोदय के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती, गवर्नर महोदय के आदेश पर चर्चा हो सकती है। आर्टिकल 356 के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, प्रेसीडेंट आफ इण्डिया किसी स्टेट में या देश में इमरजेंसी लागू करते हैं उस इमरजेंसी के लागू करने के बाद क्या पार्लियामेंट में उस पर चर्चा नहीं होती है ? प्रेसीडेंट के आदेश के ऊपर जो इमरजेंसी लागू की जाती है उसके ऊपर वहां पर चर्चा होती है चाहे उसके ऊपर नतीजा कुछ भी निकले बाद में। इसलिए कल जो यह बात उठी थी कि गवर्नर महोदय के आदेश के ऊपर चर्चा हो ही नहीं सकती, मेरे विचार से वह बात पूरी तरह से निराधार है। गवर्नर महोदय के हर आदेश के ऊपर

(4)

(श्री लक्ष्मण सिंह)

चर्चा की जा सकती है यद्यपि उनके किसी आचरण के ऊपर विपरीत टीका-टिप्पणी नहीं की जा सकती है । धन्यवाद ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : कल भी सदन में चर्चा हुई, मैं उस टेक्नीकलिटि में नहीं जाना चाहता लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, गवर्नर ने जारी किया उसमें जो राज्य सरकार के ला डिपार्टमेण्ट की लैप्सेज हैं, यह बहुत ही सीरियस मैटर है क्योंकि एजम्शन पर कभी कोई बात नहीं होती । इसमें (व्यवधान) हां, पता है मुझे, आप सुन लीजिये जरा । पद के रिक्त की सम्भावना है । माननीय अध्यक्ष महोदय, कौल और शकधर हमें हर बात का जवाब देते हैं । ऐसा ही एक बार पार्लियामेंट में हुआ । उसमें यह था कि साढ़े पांच बजे डिप्टी स्पीकर ने रिजाइन किया, उसके बाद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट को भेजा, राष्ट्रपति को भेजा और राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर बनाया । तो यहां मसला दो बात का है । एक तो ला डिपार्टमेंट का लैप्स, और दूसरा + + + का लैप्स । इस तरह से आप अगर एजम्पशन पर सरकार चलाना चाहते हैं, इस प्रकार से एजम्शन पर इतना बड़ा क्राइसेस खड़ा करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेंट की बहुत ही इनएफीशिएंसी और इनकाम्पीटेंसी है । फेल्योर है, कम्प्लीट फेल्योर है । कौल एण्ड शकधर पेज 98, Foarth Edition 1991.

"On 7 March, 1956, M. Ananthasayanam Ayyangar, the then Deputy Speaker and the only candidate proposed to the vacancy in the Office of the Speaker caused by the demise of G. V. Mavalankar, resigned his office of Deputy Speaker in view of his impending election as Speaker on the next day. At 17.30 hours, after receipt of resignation, the Secretary submitted a note to the President informing him that both the offices of Speaker and Deputy Speaker were vacant and that the Prime Minister had suggested that Sardar Hukam Singh, a member of Lok Sabha be appointed to perform the duties of the Speaker until the election of the Speaker by Lok Sabha on 8 March, 1956, the date previously appointed by the President for the purpose. The President approved the order.

"The order was immediately publised in the Gazette and also in the Bulletin."

"The office of the Speaker having become vacant immediately before the first sitting of the Second Lok Sabha in accordance with the second proviso to article 94, the President appointed Seth Govind Das the seniormost member as Speaker pro-tem for 10 and 11 May, 1957, till the election of Speaker."

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लैप्स तो रहा है ...

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपने लोक सभा की व्यवस्था का जो पूरा हवाला दिया है वह परिस्थिति ऐसी की ऐसी है, फर्क केवल इतना है कि वहां पर जब इस्तीफा दे दिया उपाध्यक्ष ने तब राष्ट्रपति ने अपाइंट किया और यहां पर संभावना है इसलिए इनको नियुक्त करते हैं, यह पाइंट सिर्फ इतना ही है ?

श्री विष्णु मोदी : इतना सा ही डिस्टिंक्शन मैं कर रहा हूं और उस डिस्टिंक्शन में मैं यह कहना चाहता हूं कि (व्यवधान) देखिये, गलती तो हुई है। डिस्टिंक्शन है। सम्भावना हैं, एजम्पशन से कुछ नहीं होता है और मैं जो कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : लेकिन वह सही निकल गया न एजम्पशन ?

श्री विष्णु मोदी : सवाल इस बात का है कि उन्होंने एजम्पशन किया, ला डिपार्टमेंट ने एज्यूम करके गवर्नर को भेजा। that is wrong, that is lapse. It is a failure of the Law Department, it is the failure of the Government.

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अब क्या करें, आप बतायें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल जो महत्वपूर्ण है कि आपकी ओथ नहीं है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि स्पीकर की कोई ओथ नहीं होती, ओथ मैम्बर की होती है। वह आपके लिए नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो लैप्स रहा है ला डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का लैप्स रहा है उस पर आप कम से कम ताड़ना दें। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आप गंभीरता से सुनेंगे। यह बहुत ही सोलेम ओकेजन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन अत्यन्त गरिमा का विषय है। राज्यपाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वविदित है कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर, सलाह पर कार्य करते हैं। यह कोई ऐसा कार्य महामहिम राज्यपाल को नहीं करना था कि वे स्वयं अपने विवेक से कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के बिना कर सकते थे। पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने विधि विभाग पर टिप्पणी की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रकरण में यदि कोई दोष मंडित करना है तो वह सरकार के किसी विभाग पर नहीं जाकर कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स विजिलेंस होतीं तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 (1) के बजाय बहुत ही सरलता से भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 (2) का सहारा ले सकती थी। कौंसिल आफ मिनिस्टर्स को वर्तमान स्थिति में महामहिम राज्यपाल महोदय को इस प्रकार की सिफारिश की कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 (2) में यह बहुत स्पष्ट प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल और आज में काफी अध्ययन किया.... (व्यवधान) Can be have a Precedent'? माननीय मुख्य मंत्रीजी, do not make light of it. आप हर

(6)

(श्री जगदीप धनखड़)

गम्भीर बात को पता नहीं गरिमापूर्ण देखते ही नहीं है। यह ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है.... (व्यवधान) अब तो आपको कम से कम उप मुख्य मंत्रीजी की सलाह भी मिल रही है, कृपा करके गम्भीर रहिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मेरी सुनिये, आप बोल रहे हैं उस समय गम्भीर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी गम्भीर हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता कुछ भी कहें पर चूंकि it is a very important constitutional matter, I would not like to react to him. आर्टिकल 180 (1) का सहारा कौंसिल आफ मिनिस्टर्स ने लिया है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आर्टिकल 180 (2) की ओर आकर्षित कर रहा हूं।

"180 (2) : During the absence of the Speaker from any sitting of the Assembly the Deputy Speaker or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Assembly, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Assembly, shall act as Speaker."

श्री अध्यक्ष : Absence of Speaker or Deputy Speaker. लेकिन वह पद पर नहीं हो तो ? पद रिक्त हो उस स्थिति में ?

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर, आपने एक बहुत ही इम्पार्टेंट एंगल की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। मैं, आपके माध्यम से सत्तारूढ़ दल से भी अनुरोध करूंगा कि अनुच्छेद 180 (2) के तहत भारत की संविधान सभा में लम्बी-चौड़ी बहस हुई थी और उससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस प्रकार की स्थिति में आर्टिकल 180 (1) को इन्वोक करने की आवश्यकता नहीं थी। मान्यवर, आर्टिकल 180 (1) के बारे में सदस्यगण कह चुके हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आर्टिकल 180 (1) की कंडीशन्स प्रिसीडेंट सैटिस्फाई होनी चाहिए। वर्तमान स्थिति में मैं समझता हूं कि किसी प्रकार का फैक्चुअल विवाद खड़ा ही नहीं हुआ है। आर्टिकल 180 (1) के तहत जो फैक्चुअल फाउंडेशन जो होनी चाहिए थी, that is totally absent.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह अनुरोध करना है कि माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया है, यह सदन की गरिमा का प्रश्न है। All of us are bound by the Constitution. We cannot be a party to by-pass a provision of the Constitution. We cannot treat the Constitution casually. We have to consider constitutional provisions in accordance with the intent of the framers of the Constitution. सर, ऐसी परिस्थिति में मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी महामहिम राज्यपाल महोदय का आदेश सदन में पढ़ा गया है उस आदेश के तहत अब तक, क्योंकि पहली बार उस आदेश को सदन में पढ़ा गया है, उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की सम्भावना है। तो

(श्री जगदीप धनखड़)

आज के दिन 11 बजे के कुछ मिनट के बाद जो स्थिति आपके समक्ष विधान सभा के सचिव ने रखी है, उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने की सम्भावना है और आप, मान्यवर, पदासीन हैं। इस प्रकार का क्राइसेस इसलिए उत्पन्न हो गया है क्योंकि आर्टिकल 180 (1) के तहत जो भी कंडीशंस प्रिसीडेंट थी essential cenditions which should have been present before the Governor could pass such an order. तो, मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि the Council of Ministers has failed to work in accordance with the provisions of the Constitution. There is a failure of Constitutional mechanism. मान्यवर, जब कोई भी सरकार भारत के संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर पाती है ऐसी सरकार को भंग किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप यह बताइये कि राज्यपाल महोदय को इस स्थिति में क्या करना चाहिए था? आप राज्यपाल होते तो क्या करते? यह बताइये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा परम सौभाग्य है, चाहे कुछ समय के लिए हो, आप जैसे विद्वान आदमी द्वारा इस सदन की अध्यक्षता की जा रही है और मुझे बोलने का सुअवसर मिल रहा है। मान्यवर, ऐसी परिस्थिति में आर्टिकल 180 (2) को यदि केयरफुली एक्जामिन किया जाय, मोड्यूलेट किया जाय तो किसी प्रकार का कांस्टीट्यूशनल क्राइसेस उत्पन्न होता ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी स्पष्ट राय है कि आर्टिकल 180 (2) को ही इन्वोक करना चाहिए था। आर्टिकल 180 (2) को यदि इन्वोक किया जाता तो, मान्यवर, किसी भी प्रकार की स्थिति में कोई क्राइसेस नहीं होता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में मैंने आर्टिकल 180 (2) को पढ़ा। मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक बार फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 (2) की ओर आकर्षित करता हूं :—

"During the absence of the Speaker from any sitting of the Assembly the Deputy Speaker or, if he is also absent, such person...."

मान्यवर, आपने पूर्व में कहा एबसेन्स का मतलब रेजिगनेशन नहीं हो सकता। इस स्थिति तक मान्यवर डिप्टी स्पीकर एबसेन्ट कहे जायेंगे, इस सदन को कोई जानकारी नहीं है कि उपाध्यक्ष महोदय का इस्तीफा स्वीकार हुआ या नहीं हुआ। आपके समक्ष जो महामहिम राज्यपाल का आदेश पढ़ा गया उसमें भी स्पष्ट अंकित है कि इस समय तक वही स्थिति है कि उपाध्यक्ष महोदय का पद रिक्त होने की सम्भावना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, Rajasthan is such a large State, it has its own traditions. Let us not play havoc with the Constitutional provisions merely because those sitting on the Treasury benches are not competent enough to sustain the Constitutional spirit. ऐसी स्थिति में मेरा, मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स इस

(श्री जगदीप धनखड़)

आदेश को पढ़ने से यह साफ झलक मिलती है कि भारत के संविधान के तहत कार्य करने में बिलकुल सक्षम नहीं है, there is a failure of constitutional machinery, और यह जान बूझकर किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, those who are on the Treasury benches have no faith in sound Parliamentary practices and conventions.

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक एडीशनल रूलिंग मुझे प्राप्त हुई है उसके कारण से मैं कुछ एड करना चाहूंगा। कुछ रिपीट नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में 7-7-1990 को माननीय नाथूसिंह जी ने एक बिन्दु उठाया था उसमें अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति और उनके द्वारा शपथ ग्रहण की बात उठाई थी। वह शपथ ग्रहण उस समय कहीं रात के 8 बजे हुआ था। तो माननीय नाथूसिंह जी ने शपथ 8 बजे क्यों हुई उसके ऊपर पाइन्ट आफ आर्डर उठाया था। जो अध्यक्षीय व्यवस्था थी उसमें यह स्पष्ट बताया गया कि रात को भी ओथ हो सकती है लेकिन आर्टिकल 180 के अन्तर्गत अध्यक्ष को ओथ लेना जरूरी है, चाहे वह प्रोटेम अध्यक्ष हो, चाहे वह परमानेन्ट अध्यक्ष हो।

व्यवस्था

अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु उपाध्यक्ष के त्याग पत्र से पूर्व अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि ओथ जो लेते हैं वह सदस्य की ओथ होती है। तो गवर्नर प्रोटेम स्पीकर को सदस्य के तौर पर ओथ एडमिनिस्टर करते हैं और फिर प्रोटेम स्पीकर को इस बात के लिए आदेश देते हैं कि वह अन्य माननीय सदस्यों को भी शपथ ग्रहण करवायें।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैंने अन्य दो बिन्दु उठाये थे 6 तारीख और 7 तारीख के बीच में वेक्यूम था उसके बारे में।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि आपने स्वयं उसका उत्तर दे दिया, 'King is dead. long live the King' जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक पूर्व में जो है वह कार्य करते रहेंगे। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इस्तीफा कोई स्वीकार नहीं करता है। इस्तीफा देते ही वह प्रभावशील हो जाता है और डिप्टी स्पीकर का भी यही है कि उसका किसी को इस्तीफा स्वीकृत करना हो ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक नयी व्यवस्था नहीं होती। तो कल इन्होंने इस्तीफा दे दिया। गवर्नर साहब खुद तो आदेश प्रसारित करते नहीं है। मंत्री मण्डल की सलाह पर करते हैं। मंत्री मण्डल को यह विश्वस्त सूचना हो गयी कि डिप्टी स्पीकर साहब इच्छुक हैं स्पीकर बनने के और हम भी इसमें हैं तो उस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने जो डिपिक्ट किया है उस आदेश को 11 बजे से किया है, उसके पहले से नहीं किया। इसलिए इसमें कोई संवैधानिक या कानूनी गलती नहीं हुई है। इसलिए इस पाइन्ट आफ आर्डर को मैं अस्वीकार करता हूं।

अब ज्यादा समय नहीं लें, माननीय सदस्य।

अध्यक्ष का निर्वाचन

श्री शान्तिलाल चपलोत का अध्यक्ष पद पर निर्वाचन

जो प्रस्ताव आये हैं, माननीय सदस्य जिस क्रम में आये हैं उस क्रम में मैं नाम पुकारूंगा। माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री शांतिलाल चपलोत, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 167) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री शांतिलाल चपलोत सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 167) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री शांतिलाल चपलोत, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 167) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 146) को राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव किया था, उसको मैं वापस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो श्री रतनलाल ताम्बी को अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव किया था उसको मैं वापस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है प्रस्ताव को वापस लेने की ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री भीमराज भाटी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह। प्रस्ताव वापस ले लिया है इसलिए श्री शिवनाथ सिंहजी को कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, विधान सभा को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाये, का प्रस्ताव किया था, इसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है प्रस्ताव को वापस लेने की ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव किया है कि श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 127) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय, मैं मेरे दिये हुए प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है प्रस्ताव वापस लेने की ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री माधव सिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया है कि श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 155) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय, इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री माधवसिंह दीवान ने प्रस्तुत किया है, उसको वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया है कि श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 127) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाये, इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान करने की आज्ञा के लिये निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री अमराराम चौधरी ने रखा है, उसको वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब अध्यक्ष पद के लिये केवल एक ही नाम रह गया है इसलिए प्रश्न पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह शेखावत (विभाजन संख्या 108) ने प्रस्तुत किया है और जिसका अनुमोदन श्री हरिशंकर भामड़ा (विभाजन संख्या 189) ने किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

श्री शांतिलाल चपलोत को सदन की पूर्ण सहमति से निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है।

(11.35)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

बधाई

श्री शांतिलाल चपलोत के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी ओर से और सदन की ओर से इस पद के लिये आपके निर्विरोध निर्वाचन के लिए आपको बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आरम्भ से ही इस सदन की परम्परा रही है कि अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हो। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने इस परम्परा का आज भी बहुत ही स्नेहपूर्ण वातावरण में निर्वहन किया है।

अध्यक्ष महोदय, आज जिस शासन प्रणाली में हम काम कर रहे हैं, यह निर्विवाद सत्य है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की तुलना में अन्य कोई शासन प्रणाली ऐसी नहीं है जिसमें जनता को अधिकार हो, जनता अपनी इच्छा के अनुसार सरकार चुने और सरकार जनता के लिए कमिटेड हो। आज इस व्यवस्था में हिन्दुस्तान की सरकार, जब से यह संविधान लागू हुआ, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर चलते आ रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे कुछ ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास भी हो रहा है। यह हम सब के लिए एक चुनौती का भी प्रश्न है, यह हम सब के लिये आत्मालोचन का भी प्रश्न है। ऐसी स्थिति में इस सदन की कार्यवाही का आम जनता के मानस पर कितना प्रभाव पड़ता है यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विधायक क्या करते हैं, सरकार किस प्रकार से व्यवहार करती है, पक्ष और विपक्ष का

(१२)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किस प्रकार का व्यवहार है और उस व्यवहार में अध्यक्ष महोदय किस प्रकार से उसका संचालन करते हैं, यह कुछ ऐसी बातें हैं जिनका मिला-जुला प्रभाव निश्चित रूप से जनता के ऊपर पड़ता है और जनता इसी आधार के ऊपर इसका मूल्यांकन करती है कि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था सही रूप से चल रही है, उसका ह्रास हो रहा है, उसमें किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट किया जाय, किस सीमा तक इम्प्रूवमेंट किया जाय। यह सारी बातों का अनुमान इसी आधार पर लगाती हैं। इसलिए मैं कई बार सोचता हूं कि जो कुछ विधान सभा में हो रहा है, चाहे मैं गलती करूं, चाहे विपक्ष गलती करे, चाहे अध्यक्ष गलती करे जो भी गलती कर रहा है उस गलती का निश्चित रूप से प्रभाव जनमानस के ऊपर पड़ेगा। विधान सभा में हर सदस्य चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे अध्यक्ष हो, यदि सब काम सही करते हैं, इसका असर भी निश्चित रूप से जनता के ऊपर पड़ता है। जनता धीरे-धीरे इस विधान सभा से ही मार्गदर्शन लेती है, इसी से यह असेसमेंट करती है कि हमारी लोकतांत्रिक पद्धति सफल हो रही है या सफलता में कमी है। और कई लोग तो इतने निराश होकर कह देते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक पद्धति सफल नहीं हो रही है। लेकिन आगे जाकर जब इनको मालूम होता है कि इस पद्धति के अलावा दूसरी शासन पद्धति उचित नहीं है तो चाहे इसमें कमियां हों, उस कमी को भी स्वीकार कर उसी से सन्तोष करने की स्थिति बनाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस हाउस का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व का निर्वहन हम आलोचना, प्रत्यालोचना से तो करेंगे ही। लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना नहीं होगी तो एक स्टेगनेन्सी आयेगी वह स्टेगनेन्सी आये नहीं लेकिन आलोचना का स्तर और उस आलोचना के कारण से हम किस समस्या का समाधान किस रूप में करना चाहते हैं, उसमें यह प्रश्न तो आता नहीं है कि कौन जीता या हारा, वह जीतने हारने का प्रश्न तो एक दो बार आता है लेकिन विपक्ष क्या बोल रहा है और सत्तारूढ़ दल क्या कार्यवाही कर रहा है इन दोनों की आलोचना तो निश्चित रूप से होगी, उस आलोचना में इम्प्रूवमेंट हम कितना करते हैं यह हमारा और विपक्ष का सबका एक असेसमेंट होगा। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, आज के जमाने में सबसे बड़ा और कड़ा पद अध्यक्ष का होता है। विधान सभा जब तक चलती है तब तक तो नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज भी मैं समझता हूं, चिन्ता में रहता हूँ कि कल कौनसा क्वेश्चन आयेगा, कल कौनसा पाइंट आफ आर्डर आयेगा, कल किस प्रकार का प्रिविलेज मोशन आयेगा और कल किस प्रकार की चर्चा होगी, कितनी उत्तेजना पैदा होगी, यह सब कुछ होगा। लेकिन मेरी ऐसी रीडिंग है, मेरा 40 वर्ष का अनुभव है कि जिस अध्यक्ष में धैर्य है, जिस अध्यक्ष में सहनशीलता है और जो अध्यक्ष ह्यूमर से काम लेता है वह इस हाउस में बड़े से बड़ा, गम्भीर से गम्भीर टेंशन हो उस टेंशन को डिफ्यूज कर लेता है और सही रास्ते पर हाउस को चलाता है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): भाभड़ा जी के टाइम पर तो....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी, देखिये, मैं कहना नहीं चाहता। मैं कहना इसलिए नहीं चाहता कि कई बार हाउस में टेंशन होता है, आपने भी देखा होगा, आपकी पार्टी के चीफ व्हिप को भगवान ने और गुण दिया हो या नहीं दिया हो, एक गुण दिया है कि कितना ही टेंशन हो उसकी हवा निकाल देंगे।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : आपके वाले नहीं, हमारे वाले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं। आप ही ज्यादा टेंशन पैदा करते हो तो आपकी हवा निकालने के लिए आपके पास ही कोई आदमी चाहिए. हमने लगा रखा है।

मैं इसलिए कहता हूं कि हाउस में अनजाने में कई बार टेंशन पैदा होता है और हाउस के टेंशन में यदि स्पीकर भी टेंशन में आ जाएं तो हाउस में कोई अच्छी परम्परा नहीं बनती। इसलिए आपके सामने कष्ट जरूर होगा, मैं आपसे दो बात निवेदन करना चाहूंगा। एक तो आप यह समझ लीजिये कि विधान सभा के सदस्य में और अध्यक्ष में सिवाय इसके कि काम अलग-अलग है, कोई अन्तर नहीं है। वही नियमों के अन्तर्गत आप चलेंगे, वही संविधान की परम्पराओं पर आप चलेंगे, वही नियम हमको मानने हैं और वही संविधान की परम्पराएं हमको माननी हैं। हम तो हाउस में चर्चा करेंगे और आपका हाउस को, चर्चा को रेगूलेट करने का काम है। वैसी स्थिति में टेंशन का कोई कारण नहीं, यदि क्षणिक कोई टेंशन भी आता है तो दिखावटी कोई टेंशन दिखायें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वह ऐसा न बन जाए कि जिसके कारण से सारे सदन के वातावरण में कटुता पैदा हो। इसलिए सहनशक्ति, धैर्य और सब चीजों के टेंशन को खतम करने के लिए एक माधुर्य वाणी में हो, जो बहुत लोगों में कम होता है ...

श्री अध्यक्ष : जैसा मेरा नहीं हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, आपका तो बहुत माधुर्य है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इन सारी परिस्थितियों में मैं सत्ता पक्ष की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी तरफ से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और मैं आशा करता हूं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का सदन की जो हमारा इस सदन में इतिहास रहा है स्वस्थ परम्पराओं को बनाने का और उनके निर्वहन करने का रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः बधाई देकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दसवीं विधान सभा के इस गौरवमय पद के लिए इस विधान मण्डल ने दूसरी दफा आपको निर्विरोध निर्वाचित किया है इसके लिए मैं हृदय से प्रतिपक्ष की ओर से और अपनी ओर से बधाई अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व में आप उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुके हैं। संसदीय लोकतंत्र में जो विधायिका का दायित्व है, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका एक महत्वपूर्ण पीठ ही नहीं है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है और उसका संसदीय लोकतंत्र

(श्री परसराम मदेरणा)

में महत्वपूर्ण स्थान भी है । जन-प्रतिनिधि जब सर्वसम्मति से आपका निर्वाचन करते हैं तो हम जनता के प्रतिनिधि हैं और राजस्थान के मताधिकार के योग्य 2 करोड़ 70 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा के माननीय सदस्यों ने आपमें जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं प्रतिपक्ष की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं और आश्वस्त करता हूं कि सदन के कार्य संचालन में हमेशा आपको प्रतिपक्ष सहयोग प्रदान करता रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जहां एक ओर सत्ता पक्ष है, दूसरी ओर प्रतिपक्ष है । प्रतिपक्ष इधर है और सामने सत्ता पक्ष ही नहीं है, सामने कार्यकारिणी भी बैठी है, एक्जीक्यूटिव भी सामने बैठी है । संसदीय लोकतंत्र में एक्जीक्यूटिव इस सदन के प्रति जवाबदेह भी है, आन्सरेबल भी है और प्रतिपक्ष की एक अन्य प्रकार की भूमिका है । हमें केवल जन समस्याओं का समाधान के लिए ही इस सदन के प्रांगण से उनको मुखरित नहीं करना पड़ता, उनके समाधान के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनके निदान के लिए समय-समय पर प्रक्रिया और नियमों के अन्तर्गत उन मुद्दों को यहां उठाना ही नहीं पड़ता बल्कि कार्यपालिका की तरफ भी एक चौकसी और निगरानी रखने का उत्तरदायित्व भी प्रतिपक्ष पर है । हम प्रभावी तौर से अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें इसमें, अध्यक्ष महोदय, विधान मंडल की जो बहुत महत्वपूर्ण पीठ है उसके आप पीठासीन अधिकारी हैं, आपका संरक्षण और आपकी व्यवस्थाएं बहुत कुछ मार्ग प्रशस्त करती हैं ।

अध्यक्ष महोदय, आपने अल्पकाल में बहुत नम्रता और शालीनता के साथ में काम किया । मैं यह नहीं कहता कि हाउस की उत्तेजना को किस प्रकार से कम किया जाए, मुख्य मंत्रीजी ने कुछ उपाय अभी सदन के सामने रखे लेकिन जो मुख्य मंत्रीजी हैं, उत्तेजना पैदा करने में अगर किसी आदमी को महारथ हासिल है तो इनको खुद को ही है पलट कर जवाब देने में ।

अभी यह कांस्टीट्यूशनल मैटर चल रहा था, बहुत छोटी बात थी । मैं प्रो-टेम स्पीकर था उस वक्त राजबहादुर जी ने एक कांस्टीट्यूशनल पाइंट यहां पर खड़ा किया था जिस पर 3 घण्टे बहस हुई थी । एक मैटर था, लपक करके जवाब दिया जैसे प्रतिपक्ष का नेता देता है कि मैं आपको सीरियसली लेता हूं लेकिन आपके मामले को मैं गम्भीर नहीं लेता । इस तरह से आप बिलिटिल करते हैं और हमारे चीफ व्हिप को आप, मुख्य मंत्रीजी, यह कह रहे हैं कि वे हवा निकालते हैं । वे हवा निकालना जानते हैं तो हवा भरना भी जानते हैं ।

मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, बाद में जो आज मुख्य मंत्रीजी ने कुछ बातें स्पष्ट कीं, मैं मन की बात कहना चाहता हूं, In His expression, there is a method in mathess also. जो यह बात कहते हैं, जिस तरह से मैथड तो है लेकिन उस मैथड को परिभाषित करना मैं नहीं चाहता । आप सदन के नेता हैं, मेहरबानी करके आप हंसमुख रहिये । बार-बार हमको कटघरे में खड़ा करने की जब आप बात करते हैं तो उस वक्त उत्तेजना

(श्री परसराम मदेरणा)

पैदा होती है। इसलिए हम सब मिल कर, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : आप आंखें चढ़ाते हैं और ये हसते नहीं हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो आप भी थोड़ा आंखें तरेरना बन्द कर दें और ये हंसना शुरू कर दें तो बहुत बढ़िया हो जाय। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मेरी ऐसी अनुशंसा थी और ऐसा अभिमत था कि आप गम्भीर और सौम्य व्यक्ति हैं लेकिन वह सौम्यता और गम्भीरता धीरे-धीरे आप में किन्हीं कारणों से गायब क्यों हो रही है ? डांवाडोल जरूर हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस लोकतंत्रीय व्यवस्था को, प्रजातंत्रतीय व्यवस्था का .. (व्यवधान) .. आप मजबूत करेंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। प्रतिपक्ष की यह भी अपेक्षा है कि इस पद को सुशोभित करते हुए इस आसन की मार्फत आप इस विधान सभा की गरिमा को बनाये रखेंगे।

मैं यह जरूर मानता हूं कि परम्पराओं का, मान्यताओं का, प्रजातंत्रतीय मूल्यों का कुछ ह्रास निश्चित तौर पर हुआ है लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अल्पकालीन हमारा जो लोकतंत्र है वह संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वह सुदृढ़ हुआ है, मजबूत हुआ है। आज यह मैं नहीं कह रहा लेकिन जहां-जहां दुनिया में लोकतंत्र है, हिन्दुस्तान के लोकतंत्र की चर्चा होती है, उसकी अपनी महिमा है। इसलिए पूरे देश के अन्दर अगर जनरल डैटीरियोरेशन है तो हमको उससे आगाह रहना चाहिए। इस सदन की परम्पराएं बहुत उच्च रही हैं। मेरा यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, अध्यक्ष महोदय, कि मेरी बायीं ओर विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, मैं उनसे परामर्श लेता रहूंगा। प्रतिपक्ष के दायित्व को निर्वहन करने में, जो कि काफी दुष्कर कार्य है प्रतिपक्ष का, हालांकि हम उस दायित्व निर्वहन करने में कितने सक्षम हैं, मुख्य मंत्रीजी की ऐसी मान्यता है कि अभी तक हमने वह पद्धति अख्तियार नहीं की है जो एक प्रतिपक्ष को करनी चाहिए। हमारी यह कोशिश होगी कि मुख्य मंत्रीजी की अनुशंसा और भावनाओं की कद्र करते हुए हम उनके पदचिन्हों पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे।

इन शब्दों के साथ एक बार और, अध्यक्ष महोदय, आपके निर्विरोध निर्वाचन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं प्रतिपक्ष की ओर से, मेरी ओर से और आपको आश्वस्त करता हूं कि प्रतिपक्ष इस सदन की कार्यवाही निर्विघ्न चले, सुचारू रूप से चले उसके संचालन में हमेशा आपका सहयोग करेगा।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी, इस सदन के सर्वोच्च पद पर आज आप विराजमान हुए हैं, इस शुभ अवसर पर मैं अपने सभी साथियों की ओर से आपको बधाई देता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं, आज आप दलगत राजनीति से उठकर हमारी मंडली में आ गये हैं, किसी दल से आप सम्बन्धित नहीं रहे हैं। इसलिए

(श्री शिवनाथ सिंह)

हम हमारी मंडली में आपका स्वागत भी करते हैं।

अध्यक्षजी, हम किसी दलगत राजनीति में नहीं हैं, किसी दल से अपने आपको सम्बन्धित नहीं रखते हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं, चाहे दोनों दल आपस में कैसे भी लड़ें हम हमेशा आपका संचालन इस कुर्सी से ठीक ढंग से हो उसमें आपका साथ देते रहेंगे।

माननीय अध्यक्षजी, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी और सदन के नेता महोदय ने आपको एक धमकी तो नहीं कहूंगा लेकिन एक संकेत दिया है +++ आपकी करने का। यह उनकी हमेशा की आदत रही है। मेरे ख्याल से उसमें वह थोड़ा संशोधन करेंगे और इस आसन पर बैठे हुए सम्माननीय अध्यक्ष की +++ करने की वह चेष्टा नहीं करेंगे और यदि वह चेष्टा करेंगे तो हम उनकी इस +++ को चलने नहीं देंगे।

माननीय अध्यक्षजी, मैं एक बात के लिए आपको और भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सत्तापक्ष एक विस्फोटक स्थिति पर पहुंच गया था। इस सदन का अध्यक्ष कौन हो, काफी चर्चाएं चलीं, अखबारों में भी हमने देखा। उस विस्फोटक स्थिति से आपने इस पद को स्वीकार करके बी.जे.पी. को, सत्ता पक्ष को उबार लिया उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं।

मैं अन्त में आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चले उसमें हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा और आप भी जो हम अल्पमत में हैं, आप हमारा ख्याल रखते रहेंगे। धन्यवाद।

आभार

श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष द्वारा आभार प्रदर्शन

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी, सदन के नेता, माननीय प्रतिपक्ष के नेता मदेरणा साहब, माननीय शिवनाथसिंहजी साहब, सभी माननीय सदस्यगण, आज आपने एक गुरुत्तर उत्तरदायित्व मुझ पर सौंपा है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत धुरंधर हूं, मैं यह भी नहीं कहता कि मैं बहुत होशियार हूं पर मैं अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने का पूरा प्रयत्न करूंगा।

माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र में माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार है। हम सब लोग शालीनता से चलें और शालीन तरीके से किसी बात को रखेंगे तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा कारगर साबित होती है। दुनिया में कई देशों ने लोकतंत्र को अपनाया पर वे लोग या तो राजतंत्र में गये या तानाशाही के रास्ते पर चले गये। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 90 करोड़ की जिसकी आबादी है। इस देश में कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए और इस देश का सर्वांगीण विकास हो, इस देश का

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

गौरव बना रहे, संसदीय मर्यादाएं बनी रहें उसके लिए हम सब प्रयत्नशील हों।

माननीय सदस्यों ने मुझ में जो विश्वास व्यक्त किया है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने एक लाइन कही थी हेमलेट से–here is a method in madness. यदि मैं गलत नहीं हूं तो यह हेमलेट की लाइन है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि....

श्री परसराम मदेरणा : Method in His madness also. लेकिन आपके बारे में नहीं कही थी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं। आपने गलत समझ लिया।

श्री परसराम मदेरणा : 'His' से मेरा क्या अभिप्राय था, आप सब जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं समझ गया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम सब लोग यहां पर अपने प्रदेश की सामान्य जनता और गरीब तबके की बात उठाकर यहां की जो परम्पराएं रही हैं, गौरव रहा है, मैं समझता हूं कि राजस्थान विधान सभा का बड़ा ऊंचा गौरव है, आज तक बहुत अच्छी मर्यादाएं राजस्थान विधान सभा की रही हैं, दूसरे सदनों की अपेक्षा में यह तो नहीं जानता हूं कि दूसरे सदनों का कितना रहा है पर राजस्थान के बारे में बचपन से पढ़ता आया हूं, देखता आया हूं, राजस्थान की उच्च परम्पराएं रही हैं उन सबका हम निर्वाह करें।

(12.00)

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अपना काम पूरा करूंगा, निष्पक्षता से करूंगा।

मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आप सब जो बिराजे हुए हैं उनसे भी मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा समय-समय पर। यदि किसी प्रकार का उत्तेजना का वातावरण भी होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम हमारे सदन में उत्तेजना का वातावरण हो। आप सब मुझे आशीर्वाद देंगे, सहयोग देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने जो मेरे प्रति विश्वास प्रकट किया है, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

अब आज प्रश्नकाल तो नहीं हो पायेगा क्योंकि समय पूरा हो गया है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमान्त क्षेत्र के कतिपय गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या एवं अस्वच्छ जल वितरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला झुंझुनूं के ग्राम पंचायत बिरमी, हमीरवास में भू-माफिया द्वारा गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(18)

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल सिंचित क्षेत्र में कैचमेंट (भूमि सुधार) की राशि माफ करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की कतिपय सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामचन्द्र रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(4) श्री राधेश्याम, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री गंगानगर शहर में सूरतगढ़ रोड पर नवनिर्मित अस्पताल भवन में सामान्य अस्पताल शुरू किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बिदियाद एवं बेसरोली के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के ग्राम सुनेल स्थित माध्यमिक कन्या विद्यालय को क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में उत्पन्न गम्भीर विद्युत समस्या के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से लगभग 8-10 वर्ष पूर्व भानपुर कलां से वासना सड़क का निर्माण कार्य बीच में रोक दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील जायल के ग्राम सुरणलिया से हुडास तक 10 किमी. की सड़क के कच्चा होने से आवागमन में हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(10) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत सरेरा एवं बड़ावास के गांवों का भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा काश्तकारों के कब्जा काश्त के आधार पर राजस्व रिकार्ड तैयार न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, एक विशेष उल्लेख के माध्यम से मैंने एक पर्ची.... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर (व्यवधान) जीरो आवर में ही होता है यह और कब होता है पाइंट आफ आर्डर ? आपको किसनें वकील बना दिया ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने परसों यह व्यवस्था दी थी कि कल या परसों में गृह मंत्रीजी का स्टेटमेंट करवा देंगे । मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि वह स्टेटमेंट कब आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष : मैं अभी आपको 15-20 मिनट में बता दूंगा ।

श्री परसादी लाल मीणा : 15-20 मिनट में ? कब आ रहा है स्टेटमेंट ?

श्री अध्यक्ष : इस शून्यकाल के बाद में बात कर लेंगे ।

श्री परसादी लाल मीणा : यह शून्य-काल ही तो है ।

श्री अध्यक्ष : शून्यकाल के बाद, चेम्बर में अभी बात कर लेते हैं ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : शून्यकाल में ही मैं एक बात कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : हां, व्यवस्था दे देंगे । अभी चैम्बर में बात कर लेंगे आपकी ।

श्री परसादी लाल मीणा : शून्यकाल में ही स्टेटमेंट होगा, यह आप व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष : हां, दे देंगे ।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, हमने एक प्रिविलेज मोशन दे रखा है । आपने उसके ऊपर कोई निर्णय देने की यहां पर कृपा नहीं की है । हमने रूल 50 के अन्दर स्थगन प्रस्ताव दिया है । कल भी एक स्थगन प्रस्ताव आया है... (व्यवधान) बम्बई शहर में राजस्थान के जो डेढ़ लाख प्रवासी हैं उनमें भय और आशंका की स्थिति व्याप्त है, उसमें आपने अपनी रूलिंग नहीं दी है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : मैं दे दूंगा । (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्लिप भेजी है ।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : मैंने निवेदन किया है आपके पास, कृपा करके बोलने का समय दें ।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : मैंने भी भेजी है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : सब मिल गयी हैं, माननीय सदस्य, बिराजिये आप ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैंने .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, हां, आप ही हैं । (व्यवधान)

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, सदस्य को दिनांक 7 अप्रेल से 21 अप्रेल, 1995 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

मुझे आपसे अनुमति लेनी है । मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि

(श्री अध्यक्ष)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा ने एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के कारण दिनांक 7-4-95 से 21-4-95 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सही मायने में मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ी राहत महसूस कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, अजमेर में विश्व-विख्यात ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। पुष्कर और दरगाह के कारण देश-विदेश में अजमेर का एक विशेष स्थान है। कल दिनांक 6-4-95 को "जी" टी. वी. न्यूज के ऊपर, जिसका ब्रोडकास्ट कई देशों में होती है, यह समाचार दिया गया कि जो सोने का कलश दरगाह पर था और जो करीब 19वीं शताब्दी के अन्त में, आज से 100 साल पहले सोने का कलश वहां स्थापित किया गया था, उसको बदल दिया गया है और खबर में यह कहा गया था कि कुछ माह पहले मरम्मत की जा रही थी, उस मरम्मत के दौरान इस सोने के कलश को बदलकर, दूसरा कलश पीतल का वहां रख दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस खबर से देश और विदेशों में अजमेर दरगाह के बारे में और इस घटना के बारे में भ्रान्तियां फैलना स्वाभाविक है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस विषय को गम्भीरता से लेकर तुरन्त जांच करवायें। एक निश्चित नतीजा जनता के सामने रखें ताकि एक ओर जो शंकाएं उत्पन्न की जा रही हैं। यदि ऐसा कुछ हुआ है, कौन दोषी है, तथ्यात्मक स्थिति जनता के सामने आने से देश और विदेशों में जो भी चिन्ता व्यक्त की जा रही है वह खतम होगी।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं और गृह मंत्रीजी भी नहीं हैं। आप सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को हिदायत दें, इस अहम् विषय पर सरकार एक वक्तव्य दे और अजमेर दरगाह के सम्बन्ध में, सोने के कलश को पीतल का करने के बारे में भ्रान्ति फैली हुई है, उस सम्बन्ध में निश्चित रूप से क्या कुछ हुआ है, सदन को और जनता को सदन के माध्यम से बतायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मगाराम चौधरी। (व्यवधान) मैं अभी सब को ले रहा हूं। मैं सब को मौका दूंगा।

श्री किशन मोटवानी : I am concerned with this matter. अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, "जी" टी. वी. का प्रसारण I am continue to speak. I am very much concerned with this matter.

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, मोटवानी जी, आप बिराज जायं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं। आप फरमाइये।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा हूं, "जी" टी. वी. का प्रसारण मैं समझता हूं सभी माननीय मंत्रीगण भी अवश्य रूप से देखते होंगे और देखा होगा और जानकारी प्राप्त की होगी। इसमें गम्भीर होने की आवश्यकता है, अत्यन्त ही गम्भीर होने की आवश्यकता है कि इस तरह का सोने का कलश किसी ऐसे रहस्यमय ढंग से गुम हो जाये और उस पर कोई कार्यवाही न हो, कोई वक्तव्य न हो, कोई बात न हो, कोई जांच न हो, यह एक सोच का विषय है। मैं भी चाहूंगा कि इस पर तुरन्त राज्य सरकार कार्यवाही करे, जानकारी करे।

एक मेरा जो मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं, इस राज्य में वर्कचार्ज कर्मचारी आज भी हजारों की संख्या में कार्य कर रहे हैं। उनको न तो निकाला जा सकता है, न ही उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हम दे पा रहे हैं और आज उनमें असंतोष व्याप्त है। आज वर्कचार्ज कर्मचारी पी.डब्ल्यू.डी. में भी हैं, पी.एच.ई.डी. में भी हैं, कई जगह हैं। आप ना कर दीजियेगा, मेरा जवाब दे दीजियेगा आप, ना कर दीजियेगा, किन्तु आज भी उनकी स्थिति ऐसी है कि उनकी नियुक्ति ऐसी स्टेज पर होती है कि आज उनके पेंशन केस रह गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन वर्कचार्ज कर्मचारियों को, जो 9–18–27 का लाभ अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है, वह दिया जाना चाहिए, पेंशनरी लाभ तुरन्त मिलना चाहिए। पेंशन देय है किन्तु उनको दस-दस साल तक लटका कर फिर उनका पेंशन प्रकरण निपटाया जाता है। उसको तुरन्त प्रभाव से निपटाया जाना चाहिए और अन्य जो वर्कचार्ज कर्मचारियों के वर्दी वगैरह के भी मामले हैं उनको निपटाना चाहिए। ऐसी मेरी अनुशंसा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य। एक मिनट, मंत्रीजी को सुन लीजिये आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से....

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय गृह मंत्री को आदेश....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, बिराजिये आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि अब पी.डब्ल्यू.डी. में कोई वर्कचार्ज कर्मचारी नहीं है। यह बात सच है कि कुछ और विषयों में अभी निर्णय लेना बाकी है, जो निर्णय लिये जा रहे हैं। किन्तु वर्तमान में वर्कचार्ज कर्मचारी कोई नहीं बचा है, वह रेगूलर हो गये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : वह क्या हैं, उनकी स्थिति क्या है? बताइये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह रेगूलर बन गये, रेगूलर कर्मचारी के रूप में बन गये, अब उनको कुछ और बातें, और लाभ

(२२)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

देने की बात है, इसमें कई विषय हैं उनमें सरकार शनैः शनैः निर्णय ले रही है, यह कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : दरगाह वाले मामले में गृह मंत्री....

एक माननीय सदस्य : देवस्थान विभाग में भी हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, अगर आपने उनको रेगूलर कर सारी सुविधाएं नहीं दी हैं तो उसके बाद में वर्कचार्ज और रेगूलर कर्मचारी में फर्क क्या रहा। अगर आपने वर्कचार्ज को हटाकर तमाम सुविधाएं रेगूलर वालों को जो मिलती है वह अगर आपने उनको दे दीं तब तो वर्कचार्ज खत्म हो गये। अब आपने नाम उनका वर्कचार्ज हटा दिया इससे कोई फायदा क्या हुआ ? पेट में रोटी मिली नहीं और कह दिया कि भूख मिटा दी, कैसे मिट गयी वह ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पे-स्केल दे दिये गये हैं, इन्क्रीमेंट चालू हो गये, रेगूलर चालू हो गये हैं, इतने काम हो गये हैं। बाकी सुविधाओं के बारे में निर्णय लिये जा रहे हैं। राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है कि जिसमें इतने अधिक वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है और जिसके लिए सभी कर्मचारियों ने हमें बधाई दी है। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : पी.डब्ल्यू.डी. के अलावा इरिगेशन...

श्री रामनारायण चौधरी : इन्दिरा गांधी नहर कर्मचारियों को नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, गृह मंत्री दरगाह वाले मामले में बयान दें। दरगाह वाला गम्भीर मामला है, पूरे देश और विदेश की चिंता है।

श्री अध्यक्ष : हां, अभी। आप बिराजिये। माननीय, बिराजें आप।

श्री तैयब हुसैन (कामां) : मोहतरम स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जो मसला उठाया वह बहुत अहम् है क्योंकि दरगाह शरीफ का वह मुल्कगामी प्रभाव है और उसका असर है। इंटरनेशनल बात है। वहां के कलश का कुछ अजीब हालात में गायब हो जाना और उसकी जगह दूसरा रखा जाना, उसके लिए फौरी तौर से और अब तो माननीय होम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ ले आये हैं, इसकी इन्क्वायरी की जाय और जो सारे फैक्ट्स हैं वह हाउस के सामने रखे जायं। यह हमारा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये....(व्यवधान) हां, अभी ले रहा हूं, आप बिराजिये।

श्री किशन मोटवानी : होम मिनिस्टर साहब, बोलो न।

श्री जुबेर खान : आप जानकारी दे दें न। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सोमवार को वक्तव्य दे दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : आपने जो तथ्य बताये हैं उसके आधार पर कार्यवाही होगी और पुख्ता पुलिस कार्यवाही होगी।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, आप वक्तव्य कब देंगे सदन को, पूरा देश-विदेश...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर पूरे देश-विदेश में चिंता है....

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें आप, एक मिनट बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : 'जी' टी. वी. का प्रसारण कई देशों में है, कई देशों में यह समाचार चला गया। सरकार इस बारे में पर्दा क्यों डालना चाहती है ?....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कोई जीरो आवर में सवाल उठायें और वक्तव्य कब देंगे, आप विधिवत किसी न किसी माध्यम से मूव कीजिये, आप स्थगन प्रस्ताव दीजिये, 131 का दीजिये, दूसरा कोई दीजिये। जीरो आवर में कोई सवाल उठायें और वक्तव्य दीजिये....

श्री जगदीप धनखड़ : आप बयान क्यों नहीं देते ? सच्चाई को क्यों छिपाना चाहते हैं ?....

श्रीमती तारा भण्डारी : 'जी' टी. वी. अथांटिक नहीं है।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये तो सही।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : क्या बात कर रहे हो आप, "जी" टी. वी. में आया है।....

श्री जगदीप धनखड़ : यह भ्रांति फैलाना चाहते हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप, माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) एक मिनट। अभी जीरो आवर में कोई बात उठी है, माननीय मंत्रीजी ने सारी बातें सुन ली हैं। माननीय सदस्य, सारी बात सुन ली है उन्होंने और....

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : कल "जी" टी. वी. में कहेंगे आपको उड़ा कर ले गये...

श्री अध्यक्ष : सारी सूचनाएं एकत्र करेंगे उसके बाद जो भी होगा जिस तरीके का, देखा जायेगा। माननीय, बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, यही तो निवेदन किया जा रहा है कि कब इस बारे में कहेंगे क्योंकि यह बहुत सेंसेटिव मामला है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह बात तो ठीक है।

श्री रामनारायण मीणा : यह बहुत सेंसेटिव है धार्मिक स्थल का....

श्री रामनारायण चौधरी : होम मिनिस्टर साहब कुछ भी नहीं कह रहे हैं।.... (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : "जी" टी.वी. अथांटिक होता ही नहीं,

(२४)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

राजीव गांधी के बारे में क्या-क्या "जी" टी.वी. नहीं बोलता। "जी" टी.वी. सेंसेटिव नहीं है, इस देश की संस्कृति को खराब करेगा "जी" टी. वी.।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप तो बचे हुए हैं .... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : .... विधान सभा में खड़े होकर राजस्थान सरकार का, कुछ तो कहना चाहिए कि "जी" टी. वी. मैंने भी देखा है, माननीय सदस्यों ने उनको सुना भी है, इतना इम्पोर्टेंट मामला है, भारत का जो मक्का है, भारत का मक्का अजमेर शरीफ को माना जाता है और वहां पर यह बात हो गयी, इतनी बड़ी चीज हो गयी तो माननीय गृह मंत्रीजी को, मैं नहीं कहता, मैं उनको आग्रह नहीं करता हूं, मैं यह नहीं कहता कि वह अभी हाल ही में वक्तव्य दें। मैं उनसे यह आग्रह नहीं करूंगा....

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिये, बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं उनसे यह आग्रह नहीं करूंगा कि वह अभी खड़े होकर कहें। नहीं, आप इसके तथ्य इकट्ठे कीजिये और सरकार की तरफ से....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री टीकमचन्द कांत : दूरदर्शन ने कोई समाचार दिया है क्या इस विषय में ?.... (व्यवधान) दूरदर्शन ने कोई समाचार दिया है क्या ?

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : मैं इनसे एक जानकारी चाहूंगी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री कुबेर खान : लगता है गृह मंत्री को पता ही नहीं कि यह इंसीडेंट हुआ है या नहीं, ऐसा लगता है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवस्था बनायें। माननीय सदस्य, बिराजें... (व्यवधान) आप बिराजें।

श्री टीकमचन्द कांत : आप अपनी ओर से लिखकर के दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय, बिराजें आप।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, यह धनखड़जी खुद अपनी ओर से लिखकर दे दें कि यह बात सही है या गलत है। आप इस बात पर भरोसा करते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : ....आप सोने के कलश की बात कर रहे हैं....

श्री टीकमचन्द कांत : धनखड़जी, अगर उस बात पर भरोसा करते हैं तो खुद लिखकर दे दें अपनी शंकाएं।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह गलतफहमी पैदा हो रही है....

× × × अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं की गयी।

श्री किशन मोटवानी : सोनगराजी, आप स्टेटमेंट दे दो अजमेर के सम्बन्ध में ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह गलतफहमी पैदा हो रही है कि वह मुस्लिम सम्प्रदाय का ही तीर्थस्थल है, वहां हिन्दू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं ..

श्री जगदीप धनखड़ : अजमेर के दो-दो मंत्री बैठे हुए हैं।....

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्षजी, इनको यह गलतफहमी हो रही है कि वह मुसलमानों का है।

श्री टीकमचन्द कांत : हिन्दू जाते हैं, मुसलमान जाते हैं।

श्री रामनारायण मीणा : वह मुसलमानों का नहीं है, आप गलतफहमी पैदा मत करो, वह सभी सम्प्रदायों का श्रद्धेय है। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : हमारे लिये सब बराबर हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें अब। एक इश्यू पर एक शून्य काल में इतनी देर तक, अब वह सारी बात आ गयी है, मंत्रीजी इसको देख लेंगे ...

श्री रामनारायण मीणा : यह बात नहीं है साहब, पुलिस कार्यवाही की बात नहीं है, सरकार इस बारे में स्टेटमेंट दें कि कब ...

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय क्यों नहीं कहते कि सदन को बतायेंगे। पूरे विश्व को पता लग रहा है और राजस्थान की जनता को गृह मंत्रीजी नहीं बताना चाहते हैं, सच्चाई सामने आने के लिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : मैं भारतीय जनता पार्टी, के इन माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उसको मुसलमानों का नहीं मानें, वह सभी सम्प्रदायों का है, आप मुसलमानों के खिलाफ नाराज हो सकते हैं, लेकिन अजमेर के धार्मिक स्थल के बारे में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था बनाये रखें, अब हो गया, वह सारी जानकारी कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : जांच के आदेश दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : सरकार का काम है, जांच करती है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह कहें तो सही। उनसे कहलवाइये।

श्री जगदीप धनखड़ : विधान सभा के सदस्यों की एक समिति गठित कर दीजिये। वह समिति जाकर जांच कर लेगी और हाउस को रिपोर्ट दे देगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार उदासीन है, आप विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का गठन कर दें,

(श्री जगदीप धनखड़)

वह समिति वहां जाकर जांच-पड़ताल कर लेगी।

श्री अध्यक्ष : आप तो वैसे ही वहीं के हो तो आप जा आइये। जा ही आओगे, मुझे पता है।

श्री जगदीप धनखड़ : आप आर्डर कर दीजिये, हम तो जानकारी प्राप्त कर ही रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये अब। माननीय हरिसिंह जी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्रीजी को इस बारे में कोई सूचना नहीं है, अगर कोई हो तो सदन को अवगत करा दें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आ गयी, आ गयी, कार्यवाही आ गयी। आगे की कार्यवाही

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, दरगाह की एक कमेटी बनी हुई है उसने क्या पुलिस के अन्दर एफ.आई. आर. दर्ज करायी है? मैं इनसे यह जानकारी चाहूंगी। क्या मंत्रीजी से वक्तव्य लेंगे यह। किस बात का वक्तव्य देंगे वह, जब तक पुलिस के अन्दर कोई एफ.आई.आर. ही नहीं है। जब किसी के पांच-दस रुपये भी गुम हो जाते हैं, साइकिल गुम हो जाती है तो यह तो सोने के कलश की बात कर रहे हैं जो भी "जी" टी.वी के माध्यम से, बहुत अफसोस की बात है। दरगाह की कमेटी बनी हुई है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार यह मानती है कि कोई चोरी नहीं हुई है तो यह कह दे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।.... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : मैं भी कानून जानती हूं और एक पुलिस आफिसर की लड़की भी हूं, क्या बताते हैं आप। क्या बात कर रहे हैं आप (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अगर सरकार मानती है कि यह अफवाह है इस विधान सभा के लिए, तो मंत्रीजी कह दें। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : आप क्या बताते हैं हमको, आप ही कानून जानते हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब यह ❀ व्यवधान हो रहा है, कोई अंकित मत करें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री अध्यक्ष : किसी भी माननीय सदस्य ने क्या कहा है, अब मैं अंकित नहीं कर रहा हूं। सारी बात हो गयी है, मैंने सुन लिया है। माननीय मंत्रीजी ने सुना।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

❀ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

श्री कुबेर खान : × × ×

श्री अध्यक्ष : वह अपने आप ही होगा, जो सरकार चलाते हैं उसको इतना ख्याल तो रखना ही पड़ता है। विराजिये माननीय।

श्री कुबेर खान : × × ×

श्री अध्यक्ष : देखिये, माननीय सदस्य, कई माननीय सदस्यों को शून्य काल में बोलना है।

श्री कुबेर खान : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये अब।

श्री कुबेर खान : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने आपकी सारी बात सुन ली है।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अब कुछ भी बोलेंगे, मैं अंकित नहीं कराऊंगा।

श्री टीकमचन्द कांत : × × ×

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट से एक ही प्रसंग चल रहा है और भी कई समस्याएं हैं। माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री कुबेर खान : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपके पास क्या इन्फार्मेशन है? आप बार-बार खड़े होकर बात कह रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : "जी" टी. वी. नहीं चलता है यहां।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें आप।

श्री कुबेर खान : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें आप।

श्री कुबेर खान : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, और भी कई समस्याएं हैं जिन पर माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री कुबेर खान : × × ×

श्री टीकमचन्द कांत : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। माननीय सदस्य, आप क्यों खड़े हो रहे हैं, बिराजें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : × × ×

श्री अध्यक्ष : अब आपका "जी" टी. वी. पर भाषण करायेंगे, आप बिराजें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय, मैं उन सदस्यों को रोक रहा हूं, आप खड़े हो रहे हैं। रामनारायण जी, आप बुजुर्ग हो रहे हैं। अब मैंने उन माननीय सदस्यों को कहा है तो आप तो कम से कम बैठें। हर मामले में खड़ा होना कोई जरूरी नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मोहन लालजी, आप जीरो आवर की बात कह रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं जीरो आवर की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मोहन लालजी, दूसरों को बोलने दीजिये फिर। मोहन लाल जी, यदि आप अपनी जीरो आवर की बात कहना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं है वरना आप किसी और बारे में बोल रहे हैं और समय जाया करना चाह रहे हैं तो करें। आप विराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम....

श्री अध्यक्ष : हां, माननीय हरिसिंहजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में महुआ रोड, मण्डावर अनाज की मण्डी है। अध्यक्ष महोदय, पहले वहां पुरानी मण्डी थी और अब विपणन बोर्ड ने मण्डी यार्ड बनाया है। दोनों के बीच में करीब आधा किलोमीटर का फासला है। बैंक पुरानी मण्डी में स्थित है स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखा और नया मण्डी यार्ड जहां बनाया है वहां कोई बैंक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, व्यापारी रोज अपना पैसा बैंक से निकाल कर सुबह मण्डी यार्ड जाते हैं और शाम को अपना पैसा लेकर वापस घर आते हैं। बहुत लम्बे समय से हम यह निवेदन करते रहे विपणन बोर्ड से, कृषि मंत्रीजी से कि वहां पर बैंक की ब्रान्च खोली जाय। बैंक की ब्रान्च नहीं खुलने के कारण तारीख 5-4-95 को दिन के सवा बारह बजे, अध्यक्ष महोदय, एक व्यापारी आड़तिया सत्यनारायण, केदार प्रसाद झालानी बैंक से अपना एक लाख रुपया निकाल कर ले जा रहा था। ठीक सवा बारह बजे थैला उसके हाथ में था, लाल रंग की नयी हीरो होण्डा, नयी मोटर साइकिल पर दो गुण्डे बैठकर आये और उन्होंने जो मनी बैग लिये हुए था उस व्यक्ति को धक्का मारा और एक लाख रुपये छीनकर वहां से फरार हो गये। अध्यक्ष महोदय, यह घटना थाना मण्डावर से सिर्फ दो सौ मीटर दूर दिन दहाड़े घटित हुई। यह जो सूचना मुझे मिली है कि सवा दस बजे दो मोटर साइकिल एक रायल थी और एक हीरो होण्डा वही लाल रंग की थी, ये महुआ से चले, 5 सवार जिन पर थे, इनको साढ़े दस बजे या पौने ग्यारह बजे के बीच में मण्डावर में घूमते फिरते भी देखा गया। अध्यक्ष महोदय, वहां एक आध-गुन्डे को व्यापारियों ने पहचान भी लिया और थाने वालों को यह तथ्य उजागर भी कर दिया और वह आज भी वहां खुले आम घूम रहे हैं। दो दिन से मण्डी बन्द है, अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई काम हो ही नहीं रहा है, पुलिस निष्क्रिय बैठी हुई है, गुण्डे घूम रहे हैं। अगर यह पैसा बरामद नहीं हुआ, अगर गुण्डे नहीं पकड़े गये तो वहां पर एक भी व्यापारी सुरक्षित नहीं है, अध्यक्ष

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिसिंह)

महोदय, रोज लाखों का कैश लेकर वह मण्डी यार्ड में जाते हैं और वापस आते हैं और पुलिस निष्क्रिय बैठी हुई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि गृह मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस पर फौरी कार्यवाही करें। जिन लोगों पर शक है उनको पकड़वायें, उनसे माल बरामद करवायें ताकि इस प्रकार की दुखान्त घटना का बाद में रिपीटशन न हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय चौधरी साहब। मैं सबका नाम लूंगा।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों पर शक है और वह नाम बता रहे हैं उनको तो कम से कम पकड़कर, जानकारी करके कुछ कार्यवाही करायें। उनका तो रोज आना जाना है या वहां पर कोई व्यवस्था कीजिये, पुलिस की व्यवस्था कीजिये, लोग आते हैं, जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, जालौर जिले में जालौर तहसील के अन्दर स्थित सूमरगढ़ सिचाई बांध के द्वारा अनाधिकृत रूप से सिंचाई करने के सम्बन्ध में हालांकि बांध सिंचाई विभाग की देखरेख में है परन्तु फिर भी छोटा बांध होने के कारण से पानी का वितरण रेवेन्यू एजेंसी द्वारा किया जाता है। इस कारण से केवल रेवेन्यू पटवारी द्वारा नाजायज और मनमानी गिरदावरी करने के कारण से काश्तकारों द्वारा बिना पैसा लिये जाने के बावजूद भी बहुत बड़ी राशि इरिगेशन चार्जेज के रूप में और तावान के रूप में लगा दी गयी है और उसकी वसूली भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट बिना सिचाई विभाग के किसी प्रकार की स्वीकृति के बिना उनको सूचना दिये, मनमाने तरीके से की जा रही है जिसे लगभग 25 परिवारों में भयंकर रूप से रोष व्याप्त है और न तो रेवेन्यू अधिकारी सुनवायी कर रहे हैं और न सिचाई विभाग सुनवायी कर रहा है। सिचाई विभाग तो यह कह रहा है कि हमने पानी का वितरण नहीं किया और जब उन्होंने पानी का वितरण नहीं किया तो इस प्रकार की तावान लगाने और सिचाई चार्जेज की वसूली करना हमारे ध्यान में नहीं है। दूसरी तरफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एस. डी. ओ., तहसीलदार वगैरह यह कह रहे हैं कि चूंकि हमारे पटवारी ने किसानों द्वारा पानी का वितरण सिंचाई बांधों द्वारा नहीं करने के बावजूद भी नाजायज रूप से सिचाई करना बता दिया गिरदावरी के अन्दर इसलिए तावान लगान लगाना और सिचाई वसूली करने का काम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न वसूली को रोकेंगे। ऐसी स्थिति पैदा हो जाने के कारण से मैं समझता हूं कि सिचाई मंत्री जी को और रेवेन्यू मंत्रीजी को, दोनों को मिलकर जो भी नियमानुसार स्थिति है उसको समझकर इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री भगराज चौधरी : गलत तरीके से जो सिंचाई वसूल की जा रही है उसको रोका जाना चाहिए और किसानों को राहत दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री भगराज चौधरी : वैसे सिंचाई के जो नियम हैं उनके अनुसार चाहे पानी वितरण करने के लिए एस. डी. ओ. भले ही अधिकृत हो मगर सिंचाई करने के बारे में गिरदावरी सिंचाई के पटवारी करते हैं और फिर अगर कोई काश्तकार गलत तरीके से नाजायज तरीके से सिंचाई कर देता है तो सिंचाई के दौरान नियम 31 जो सिंचाई के रूल्स के तहत बना हुआ है, उस नियम के तहत में सम्बन्धित काश्तकार को अनाधिकृत रूप से सिंचाई करने पर नोटिस दिया जाता है और उस नोटिस के जरिये काश्तकार को आगाह किया जाता है कि आपके द्वारा फलां सिंचाई के दौरान में इतना पानी इतनी बीघा में नाजायज रूप से, अनाधिकृत रूप से ले लिया गया है इसलिए आप आइंदा पानी दूसरी बार नहीं लें वरना इस प्रकार से जो भी दण्डनीय शास्ति होगी वह आपको भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार का भी कार्य किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री भगराज चौधरी : इसमें इस प्रकार की ऐसी कोई कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गयी मगर फिर भी धांधलेबाजी के जरिये रेवेन्यू विभाग सिंचाई चार्जेज और तावान की वसूली काफी बड़ी राशि के रूप में करने जा रहा है। मैं समझता हूं मामला बहुत ही गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री भगराज चौधरी : और लोक महत्व का है। इस मामले में सरकार को सिंचाई महकमे को और दोनों विभागों के मंत्रियों को हस्तक्षेप करना चाहिए और किसानों को राहत पहुंचानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, 5 अप्रेल को चूरू के पास के गांव लसाड़िया के आस-पास चूरू राजगढ़ रोड पर पैदल विहार करके जाती हुई साध्वियों को एक जीप ने टक्कर मार दी तथा साध्वी कस्तूरी जी का स्वर्गवास हो गया अध्यक्ष महोदय, साध्वी कस्तूरी जी का तो मौके पर ही स्वर्गवास हो गया तथा साध्वी चन्द्रप्रभाजी गम्भीर रूप से घायल हो गयी तथा उनके साथ चलने वाला उनका अंगरक्षक श्रवण कुमार भी गम्भीर रूप से घायल हो गया। अध्यक्ष महोदय, तीन साध्वियां ग्राम ढाडाढाणी से चारणी गांव जा रही थी। अध्यक्ष महोदय, जैसाकि जैन परम्परा के अनुसार जैन साधु, साध्वी अपना आवागमन पैदल चलकर ही करते हैं उसी प्रकार से साध्वी कस्तूरा जी एवं साध्वी चन्द्रप्रभाजी भी ग्राम ढाडाढाणी से पैदल विहार करके चारणी गांव जा रही थी। ग्राम लसाड़िया के पास दुदवाखारा की ओर से तेजी से आ रही जीप ने साध्वियों को टक्कर मार दी तथा जीप चालक फरार हो गया। अध्यक्ष महोदय, साधु तो दया की मूर्ति होते हैं। वैसे संसार त्यागी पंचामृतधारी साध्वियों के साथ हुई दुर्घटना के बाद जीप चालक का फर्ज था कि वह उन्हें अविलम्ब हास्पिटल पहुंचाता।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

परन्तु, अध्यक्ष महोदय, जीप चालक ऐसी भयंकर दुर्घटना के बावजूद घायलों को सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गया। अध्यक्ष महोदय, इस घटनाक्रम से सारे क्षेत्र में भारी रोष है और भावनात्मक रूप में उस क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहती हूं कि ये तो साध्वियां थीं, किसी साधारण इन्सान के साथ भी अगर इस प्रकार की दुर्घटना हो जाए तो मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उसका उपचार पहले होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : परन्तु जीप चालक ने ऐसा नहीं किया और फरार हो गया, अतः मैं गृह मंत्रीजी से

श्री अध्यक्ष : इसमें गृह मंत्रीजी क्या करेंगे जीप चालक का ? विराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि इस मामले की गम्भीरता को समझते हुए अविलम्ब कार्यवाही करायें तथा उस जीप चालक की तुरन्त गिरफ्तारी करवायें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री रामचन्द्र रावत।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि कोटपूतली के अन्दर एक बहुत बड़ा अस्पताल है। दिल्ली और जयपुर के बीच में इस तरह का अन्य कोई अस्पताल नहीं है और यह बहुत बड़ी जगह घेरे हुए है। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। मगर आप अन्दर जाकर देखें तो व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं होगी, सफाई नाम की कोई चीज नहीं और वहां कम्पाउंडर और डॉक्टर तो रहते ही नहीं। माननीय मंत्री महोदय गत साल वहां गये थे और अचानक निरीक्षण किया था एक्चुअली मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं, क्योंकि वहां सुधार हुआ था लेकिन इसके 6 महीने बाद, उसका असर हट गया और दुबारा वही हालात हो गये। यह अस्पताल 50 बैड का था इसके बाद में यह बढ़कर 100 बैड का हुआ। 100 बैड के बाद में आज यह अस्पताल 150 बैड का है मगर उस के अनुरूप जो स्टाफ की बढ़ोतरी होनी चाहिए, वह बढ़ोतरी नहीं की गयी। न सफाई कर्मचारियों को बढ़ाया गया, न कम्पाउंडरों को बढ़ाया गया। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जिस तरह से बैडों को बढ़ाया गया है, उसी तरह से वहां स्टाफ बढ़ाया जाय।

इसी सम्बन्ध में एक निवेदन और है कि कोटपूतली में उस अस्पताल के अन्दर बाल रोग विशेषज्ञ का पद है, स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद है और डिप्टी कण्ट्रोलर की एक पोस्ट सृजित है मगर आज तक वह पोस्ट खाली पड़ी हुई है। मंत्रीजी जाकर आये हैं। ठीक है, इंचार्ज हो गये होंगे आजकल जो डिप्टी कण्ट्रोलर हैं, उस पोस्ट को खत्म कर दिया गया है। इंचार्ज को आपने लगा रखा है। एक साल से वह

(श्री रामचन्द्र रावत)

इंचार्ज वहां जाता है, खाली तनख्वाह लेने के लिए जाता है और अपने घर प्रैक्टिस करता है। मैंने ऐसा सुना है कि वह तो खाली प्रैक्टिस करने के लिये जाता है। खाली हाजिरी करता होगा या पेंशन लेता होगा, भगवान जाने वह क्या करता है मगर वह इंचार्ज वहां कोटपूतली नहीं जाता।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामचन्द्र रावत : एक मिनिट साहब, इसी सन्दर्भ में, कोटपूतली के उस अस्पताल में बहुत जगह है और बहुत बड़ी जगह घेरे हुए है। मैं मंत्री महोदय से इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी उपभोक्ता मेडिकल स्टोर के लिए उस अस्पताल के अन्दर जगह करनी चाहिए, ताकि नकली दवाइयों का जो प्रचलन होता है और जो दुकानदार हैं, वे डॉक्टरों से, कम्पाउंडरों से झगड़ते हैं। असली दवाई लिखते हैं मगर वे दुकानदार नकली दवाइयां देते हैं और जब उनकी दवाइयां वापस पहुंचती हैं तो वे झगड़ा करते हैं और यह कह देते हैं कि यही दवाइयां चलेंगी। इसलिए नकली दवाइयों का प्रचलन रोकने के लिए अस्पताल के अन्दर सहकारी उपभोक्ता संघ की एक मेडिकल की दुकान होनी चाहिए और इसी तरह से एक फल-फ्रूट की दुकान भी अस्पताल के अन्दर होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री रामचन्द्र रावत : इसी में एक अर्ज और करना चाहता हूं। एक-दो लाख रुपये की एक मशीन दूरबीन से नसबन्दी करने के लिए इस अस्पताल में, कोटपूतली में मौजूद है। मगर कोई भी बी. डी. एम. अस्पताल की तरफ से दूरबीन की नसबंदी नहीं करता। एक दूसरा अस्पताल है जिसमें लेडी डाक्टर है वह करती रहती है। शिविरों के अन्दर वह जाती रहती है। जब एक लाख रुपये की मशीन वहां है और दूरबीन की नसबंदी वहां करने के लिये कोई तैयार ही नहीं होता तो दूरबीन की नसबंदी बी. डी. एम. अस्पताल में चालू करवाई जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये।

श्री रामचन्द्र रावत : एक मिनिट श्रीमान्, मैं इसी सम्बन्ध में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि वहां दो-तीन कम्पाउंडर और दो-तीन डाक्टर ऐसे हैं जिनका डेपुटेशन दूसरी जगह कर रखा है। पोस्टिंग कोटपूतली के अन्दर है और उनका डेपुटेशन दूसरी जगह कर रखा है। माननीय मंत्रीजी, या तो उनके डेपुटेशन को खतम करके कोटपूतली में रखा जाये या उनको दूसरी जगह, जहां पर वे हैं, पोस्टिंग कर दी जाये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामचन्द्र रावत : और इस समस्या को (व्यवधान) जो बी. डी. एम. अस्पताल की है....

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमारजी।

श्री रामचन्द्र रावत : मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूं। पिछली बार आप गये थे इस बार भी आप मेरे साथ चलेंगे, आप इस व्यवस्था को रखेंगे। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : निश्चित तौर से।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री श्रवण कुमारजी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि झुंझुनूं जिले के कीठाणा गांव में करीबन 15 साल पहले रामेश्वर हरिजन ने 3–4 खातों की जमीन को खरीदा था और उस जमीन पर लगातार 10 साल तक वह काश्त करता रहा। असामाजिक तत्वों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया और उस हरिजन को, उसके बाप को तथा उसके बच्चों को मारपीट करके बाहर निकाल दिया। इसके बाद में उसने दर-दर की ठोकरें खायीं, पुलिस के द्वार खटखटाये। पुलिस ने उससे अपनी आत्मा को शांति देने के लिये कुछ मांगा, उस गरीब के पास कुछ नहीं था। उसके बाद गरीब हरिजन जब अपने खेत पर गया तो उन असामाजिक तत्वों ने उसको पीटा और खेत से बाहर निकाल दिया। तब वह एस.डी.एम. कोर्ट में गया और एस.डी.एम. कोर्ट में ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर मेण्टेन करें।

श्री श्रवण कुमार : उन्होंने क्या किया कि कुर्क कर दिया। उस जमीन को कुर्क कर दिया। कुर्क करने के बाद में उसमें स्वामित्व गवर्नमेण्ट का होना चाहिए था लेकिन उन्हीं असामाजिक तत्वों ने उस हरिजन को फिर पीटा और उस जमीन के ऊपर काबिज हो गये और आज दिन तक उस जमीन पर काबिज हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक साल पहले वह गरीब हरिजन उनके द्वार पर गया और मंत्रीजी ने यह कहा था कि तीन दिन के अन्दर आपकी जमीन को खाली करवा दिया जायेगा। लेकिन आज तक वह गरीब हरिजन अपने पेट से रोटी बांधकर घूम रहा है और उसकी जमीन पर वे असामाजिक तत्व काबिज हैं, उनसे आज तक खाली नहीं करवाया गया है। एक गरीब को राहत देने वाली सरकार और गरीब के नाम पर चलने वाली सरकार ने आज तक उस गरीब की जमीन को खाली नहीं करवाया ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। आप बात पाइण्टेडली कहिये। गरीब का नक्शा, ये वो और उसमें हो जायेगा।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गरीब के नाम पर चलने वाली सरकार गरीब की जमीन को खाली नहीं करवा पा रही है तो औरों की जमीन को क्या खाली करवाएगी? मुझे बतायें कि और आदमी इनसे क्या आशा रखेंगे? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं गृह मंत्रीजी पुनः... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मोहनलालजी मोदी।

श्री श्रवण कुमार : आज ही आदेश दें और उस जमीन को खाली करवायें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ नहीं हुआ ..

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आपने अपनी बात पूरी कर दी है।

श्री श्रवण कुमार : बार-बार कहने के बावजूद हो क्या रहा है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मोदी साहब।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जलदाय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे (व्यवधान) फायदा तो नहीं है, लेकिन भाई, अन्धे के आगे भी रोना पड़ेगा, बहरे के आगे भी रोना पड़ेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी विकट स्थिति जलदाय विभाग स्वयं द्वारा पैदा की हुई है। पहले जितने हैण्ड पम्पों की खुदाई होती थी, उसके लिए प्राइवेट पार्टीज को कांट्रेक्ट दिये जाते थे और वे अच्छी गहराई में, हैण्ड पम्पों की खुदाई करते थे और समय पर लगाते थे। लेकिन मंत्री महोदय, आपने सबसे बड़ा निकृष्ट काम कर दिया इस राजस्थान के लिये कि आपने विभाग में ऐसे आदेश कर दिये कि आपके विभाग की रिंग मशीन ही इन हैण्ड पम्पों को खोदेगी। आपके विभाग की ये मशीनें न तो गहराई तक इन हैण्ड पम्पों को खोदती हैं और न ही सही वक्त पर खोदती हैं। मैं आपको एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि आपके विभाग से तो कोई हैण्ड पम्प सेंक्शन भी नहीं होता। मैंने, हमारे जो सांसद हैं उनके कोटे से 15 हैण्ड पम्प मंजूर करवाये और आज चार महीने हो गये, उन हैण्ड-पम्पों में से एक भी हैण्ड पम्प नहीं खुद पाया। आप आखिर क्या करना चाहते हो ? इस राजस्थान में किस तरह से जल की व्यवस्था करना चाहते हो। यहां कल सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने बहुत बड़ी + + + कि उनका कुबड़ापन ही मिटा दिया वहां पर। हमारे यहां भी तो पानी की समस्या का हल करो और आप यहां कोई व्यवस्था करो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी समस्या है, यह तो विधान सभा का सत्र चालू हो गया, नहीं तो गांव के लोग वहां आपके विभाग में घेराबंदी करते।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री मोहनलाल मोदी : यह बहुत बड़ी समस्या है। ढाणियों में बिलकुल ऐसी ही समस्या है ..

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री मोहनलाल मोदी : इसका कोई न कोई हल तो निकालिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने फरमाया है तो कुछ न कुछ तो होगा ही।

श्री मोहनलाल मोदी : नहीं, मैंने नियम 295 में भी तीन दिन पहले निवेदन किया था, लेकिन मैं मंत्री महोदय से इतना जानना चाहता हूं कि कम से कम हमको यह तो बतायें कि वे किस तरह से पानी की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : पहले आप बिराजिये तो।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं तो इसमें दो-तीन बार बोल चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा। विराजिये, विराजिये।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरे को यह इस बात का जवाब दें और जब तक नहीं देंगे तब तक मैं आपके आसन के सामने आकर धरना देता हूं (व्यवधान)।

डा. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका कोई न कोई सोल्यूशन होना चाहिए ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये, माननीय सदस्य।

डा. जितेन्द्र सिंह : पूरे राजस्थान का कोई न कोई सोल्यूशन होना चाहिए।

श्री मोहनलाल मोदी : मुझे बहुत तकलीफ है। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा। मुझे बहुत बड़ी तकलीफ है। मेरे क्षेत्र में ऐसी स्थिति है, वहां यह मुश्किल का (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : विराजिये, माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने परसों भी निवेदन किया था कि यह जो 15 हैंडपम्प आप खुदवाना चाहते हैं, उसकी जानकारी आप मुझे दें और अभी मेरे चीफ-इन्जीनियर आये हुए बैठे हैं। आप अभी इसके बाद चलिये और कहां आप 15 हैंडपम्प खुदवाना चाहते हैं, क्या दिक्कत है, मुझे समझाइये। यह पूरी करेंगे, इसमें कहां आप धरने पर बैठते हो, अभी चलिये ना।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, कलक्टर की सैंक्शन मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या चाहते हैं ? चट मगनी और पट ब्याह हो गया। आपने मांगा और मंत्री महोदय ने कह दिया कि हमारा चीफ इन्जीनियर आया हुआ है, उसको आप दिखा दीजिये। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : मंत्रीजी ऐसी बात कहें कि इनको जानकारी नहीं है जबकि कलक्टर ने मंजूरी दी है। सांसद ने अपने कोटे में लिख कर भेजा है और आप, एक-एक गांव की लिस्ट मौजूद है। मैं आपके सामने पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप इनको बता दीजिये। अब विराजिये। श्री रामगोपाल जी।

श्री मोहनलाल मोदी : क्या कर देंगे, कोई एहसान थोड़े ही कर देंगे ? मैं तो यह कह रहा हूं कि यह क्यों नहीं खोदे ? इसका जवाब दीजिये। आज तक यह क्यों नहीं खुदवाये, यह क्या कर रहे हैं ? आप कोई हम पर मेहरबानी करेंगे ? यह तो सांसद कोटे में सैंक्शन है।

श्री अध्यक्ष : अब आप काम भी करवाना चाहते हैं और दोनों ही बातें कह रहे हैं। आपने जो बात उठायी है, उसका मंत्रीजी ने जवाब दिया है। विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर में गवर्निंग कौन्सिल की मीटिंग में जब पेयजल समस्या के बारे में कोई बात उठती है तो पिछली बार कंटीन्जेन्सी में जो हमें हैंडपम्प उपलब्ध करवाये गये हैं माननीय मंत्री महोदय ने, मैं एक आलोचना के रूप में नहीं बल्कि आपके वहां के जो अधिकारी हैं, और खास तौर से वहां पर जो एस ई. बैठे हुए हैं, मिस्टर चोरड़िया, उनकी निष्क्रियता और अकर्मण्यता के चलते यह सारे हालात आज पैदा हुए हैं। पिछली बार के कंटीन्जेंसी में जो हैण्डपम्प उपलब्ध करवाये गये थे ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा आपकी। उन हैंडपम्प्स को आज तक नहीं लगाया गया। उसके बाद में एम. पी. कोटे में न केवल नीमकाथाना के, बल्कि मैं आपसे अर्ज करूं कि पूरे सीकर डिवीजन के ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : सारे हैंडपम्प बिना खुदे पड़े हैं। उसके बाद अभी पिछली 25 मार्च को ही हमारी एक मीटिंग हुई थी, कलक्टर की अध्यक्षता में। उस मीटिंग में यह तय किया गया था कि 1 अप्रेल को आप एस. ई. की अध्यक्षता में एक मीटिंग करवाइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : और उसमें सारे डिस्कशन करके, उसको निराकरण करके, उस मीटिंग की मैं आपको जानकारी दूं कि वहां का एस ई. पूरी मीटिंग के समय झगड़ा करता रहा। एक हैंडपम्प की उन्होंने बात नहीं की लेकिन उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि मेरी यहां कोई उपयोगिता नहीं है। मेरा दफ्तर उठाकर आप जयपुर भिजवा दीजिये। अब माननीय मंत्री महोदय, गर्मी का मौसम सामने आ रहा है। यह कोई ऐसी बात तो है नहीं कि साहब, आप एक मिनट गये और वहां पर खुदवा देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे +++ अधिकारी को आप वहां से हटाइये और वहां पर पानी के मामले में बड़ी संजीदगी से आप बर्ताव करें। आपका पैसा दिया हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने पैसा नहीं दिया.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : सरकार ने पूरे फण्ड्स उपलब्ध करा दिये। सरकार ने ट्यूबवैल के लिये पैसे दे दिये। सरकार ने...

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : सरकार ने वहां जी. एल. आर के लिये पैसे दे दिये, एम.पी. कोटे से वहां जी. एल. आर. सैंक्शन हो गया।.... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, जीरो ऑवर में आपने कह दिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : एम. पी. कोटे में ट्यूबवैल सैंक्शन हो गये। बावजूद उसके

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

वहां का एक अधिकारी बैठा हुआ है, केवल उसके चलते काम नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे +++ अधिकारी को वहां से हटवा कर यदि आपने तत्काल कोई अच्छी व्यवस्था नहीं की तो हमें मजबूर होकर उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी जिसकी सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहूंगा कि ऐसे +++ अधिकारी को आज आप बुलवाइये। बुलाकर उसको पाबन्द करिये और सीकर की जल व्यवस्था जो आगे जाकर नहीं बिगड़े उसके मामले में आप व्यवस्था करिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये अब।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय एडिशनल चीफ इन्जीनियर मिस्टर गोयल ने मेरी मौजूदगी में टेलीफोन पर स्पष्ट निर्देश दिये कि वहां पर जितने भी ओपन वैल्स हैं, उनको आप दुबारा बोरिंग करवाइये, इनको सबको चालू करवाइये। बावजूद उसके, वह एस. ई. वहां पर बैठकर आये दिन यह कहता रहता है, मैं तो उनके आर्डर को मानने के लिये कतई बाध्य नहीं हूं।.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय मंत्रीजी ने पहले ही कह दिया कि मुझ से मिलकर बात कर लें।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह बात सही है, ऐसे अधिकारी को पाबन्द किया जाय। मेरा आपसे यह भी निवेदन है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री रामगोपाल बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजकीय चिकित्सालय, इन्दरगढ़ में गत वर्ष जब स्थानान्तरण किये गये थे तो इस चिकित्सालय में कार्यरत एक डाक्टर और लेडी डाक्टर का स्थानान्तरण करके मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दूसरे हास्पिटल में लगा दिया गया। इस डाक्टर और लेडी डाक्टर ने जाकर वहां अपनी ड्यूटी जोइन कर ली लेकिन जिस डाक्टर और लेडी डाक्टर का इस राजकीय चिकित्सालय, इन्दरगढ़, में पोस्टिंग किया गया था, वे पूर्व में ऐसी जगह पर कार्यरत थे जहां पर वह अपनी प्राइवेट क्लिनिक चलाते थे और उस क्लिनिक से उनको हजारों रुपये प्रतिदिन की आय होती थी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जब उनकी पोस्टिंग यहां पर की गयी, तो वह अपना स्थानान्तरण कैन्सिल करवाने के लिये पहले तो माननीय मंत्रीजी के पास और भी कई अन्य जगह पर घूमे। जब इनका स्थानान्तरण निरस्त नहीं हुआ तब दो महीने के बाद, एक दिन इस

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

चिकित्सालय में आकर अपनी ड्यूटी जोइन कर ली और एक दिन ड्यूटी जोइन करने के बाद, आज दिन तक भी उस अस्पताल में नहीं आये हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए वहां की जनता ने बार-बार सी एम. एच. ओ., बूंदी और वहां के जिला कलक्टर को भी इस बात से अवगत कराया लेकिन आज दिन तक भी इस बात का कोई समाधान नहीं हुआ है, और लेडी डाक्टर के अभाव में वहां की माताओं और बहनों को अपने इलाज में काफी परेशानी होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि वह इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामगोपाल बैरवा : इन डाक्टरों को तुरन्त ड्यूटी जोइन करवायी जाये। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस प्रकरण के बारे में अभी चर्चा की है, मैं आपके माध्यम से उनको निवेदन करना चाहूंगा कि वे लिखित में मुझे दे दें। मैं एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर निश्चित तौर पर व्यवस्था कर दूंगा।

श्री रामनारायण (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका भी नम्बर आ रहा है, आप बाद में बोल लेना।

श्री रामनारायण (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, ऑब्जेक्शनेबल है यह बात कि लिखित में दें। जब सदन में एक सदस्य बोल रहा है और मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि लिखित में दें ?

श्री अध्यक्ष : वे गणेशजी के अवतार नहीं है। माननीय, बिराजिये आप। बिराजिये आप। न तो कोई सरस्वती का अवतार है, न कोई गणेशजी का अवतार है, बिराजिये आप।

श्री रामनारायण (नैनवां) : यह भाषा, इनके अधिकारियों की तरह बोल रहे हैं (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : काम भी करवाना चाहते हो और चार लाइन भी लिख कर नहीं दें.... (व्यवधान) ..

श्री रामनारायण (नैनवां) : मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्रीजी को बड़ी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय रामनारायणजी, हर मामले में बोलना कोई जरूरी नहीं है। हर काम का आपने एक्सपर्टाइज नहीं ले रखा है। बिराजिये आप। श्री शैलेन्द्रजी जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान रोडवेज की लगभग 50 बसों को गत एक डेढ़ माह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब्त करके रखा गया है जिससे राजस्थान सरकार को पांच लाख रुपये प्रतिदिन का घाटा हो रहा है। 50 बसों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

अवैध रूप से सड़क पर चलने वाली मानकर इनको जब्त कर लिया गया है। ये बसें अयोध्या, बनारस, हरिद्वार, गोरखपुर व सोनाली, नेपाल की सीमा तक जाती थीं और इन सब की जब्ती से अब तक राजस्थान रोडवेज को चार करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है। पता चला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों रुपये जुर्माना कर दिया है और लाखों रुपया जुर्माना करने के बावजूद भी अभी तक नहीं छोड़ा गया है क्योंकि करोड़ों रुपया बकाया है। इस तरीके से ऐसे रूट पर जहां पहले अनुमति नहीं ली गयी और इन अवैध बसों को चला दिया गया, हमारे राजस्थान सरकार की इज्जत गिरी, क्योंकि राजस्थान की रोडवेज की बसें जो संख्या में पचास से ज्यादा हैं, उनको डेढ़ महीने से जब्त कर लिया गया और उनके द्वारा जो प्रतिदिन 10 करोड़ रुपये की कमाई होती थी उससे भी राजस्थान रोडवेज वंचित है। इस बारे में विभाग मौन है। कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है और इस तरीके से जानबूझकर रोडवेज को घाटा दिलवाया जा रहा है जबकि राजस्थान रोडवेज का किराया अन्य रोडवेज के किराये से व रेलवे किराये से ज्यादा है। इस तरह जानबूझ कर जनधन की हानि हो रही है और राजस्थान को अपमानित होना पड़ रहा है। मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय से कि वे अतिशीघ्र इन जब्तशुदा बसों को छुड़वा कर वापस मार्गों पर चालू करवायें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा। मेरे पर कृपा करना, शीघ्रता से समाप्त करना आप।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आज उन जनप्रतिनिधियों की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि राजस्थान पंचायत अधिनियम के तहत नवनिर्वाचित होकर आये हैं। जिला परिषद् के जो प्रतिनिधि बने हैं और पंचायत समिति के जो सदस्य बने हैं उनकी बड़ी अजीब हालत हो गयी है। गांव के अन्दर उनको निर्वाचित तो कर दिया लेकिन जो पंचायत समिति की मीटिंग होती है, या कहीं भी पंचायत की मीटिंग होती है, आज तक उनको कहीं नहीं बुलाया गया है। इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान में एक आन्दोलन का रूप वह धारण करते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। मेरे क्षेत्र के जिला परिषद् के और पंचायत समिति के प्रतिनिधि आज मेरे पास आये। अन्य जगह के जो प्रतिनिधि आये है उनके साथ वे भी हैं और बाहर धरने पर वे बैठे हैं। उन्होंने मांग की है कि हमारी इस जनतंत्र के अन्दर बहुत उपेक्षा की जा रही है और हमारी बात को कहीं भी नहीं सुना जाता है और इसके कारण जनता उनको परेशान करती है। मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरी पंचायत समिति नादोती के अन्दर और टोडाभीम के अन्दर, कल वहां पर इतना हंगामा हुआ और उसका परिणाम यह हुआ कि पंचायत समिति के ताले लग गये। अध्यक्ष महोदय, उन जनप्रतिनिधियों में अपने अधिकारों की मांग करते हुए, इतना आक्रोश पैदा हो गया कि पंचायत समिति के ताले तक उन्होंने लगा

(श्री रामस्वरूप)

दिये । मेरा विनम्र निवेदन है आपके माध्यम से कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाये । किन अधिकारों के तहत उनका चुनाव हुआ है, क्या अधिकार उनको दिये गये हैं, जनता की वह क्या सेवा करेंगे, इस बात को बताया जाये ।

श्री अध्यक्ष : : बिराजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : और पंचायत समिति के जो ताले लगाये गये हैं उनको यह सरकार जल्दी से जल्दी खुलवाये । अगर आपने इन जनप्रतिनिधियों पर ध्यान नहीं दिया तो यह ताले आज उनके ऊपर लगे हैं कल यह ताले आप के ऊपर भी लगेंगे, माननीय मंत्रियों का क्षेत्र के अन्दर जाना दुर्लभ हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उनकी रक्षा करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी ।

श्री रामनारायण (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक प्रदेशव्यापी हड़ताल की तैयारियां हो रही हैं । चुनाव के दौरान यह कहा गया था कि हम चुंगी माफ करेंगे । राजस्थान में ट्रक यूनियन एसोसियेशन की कल प्रदेशव्यापी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि यदि चुंगी को माफ नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में ट्रक वाले चक्का जाम कर देंगे । मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है । यह सरकार अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहती आयी है कि हम चुंगी माफ करेंगे । आज चुंगी माफ होने के बजाय चुंगी बढ़ायी जा रही है और चुंगी मेला-फाइड इन्टेन्शन से बढ़ायी जा रही है । इनके द्वारा इन नगर परिषदों में चार-चार गुना चुंगी इसलिए बढ़ायी जा रही है ताकि इण्डस्ट्रीज वाले इनसे एप्रोच करें, दूसरे लोग एप्रोच करें । अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा और इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा है जनता से वोट लेने के लिए कि हम चुंगी माफ करेंगे, उन व्यापारियों का, उन काश्तकारों का, उन शहरवासियों का, ट्रक वालों का ध्यान रखें ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री रामनारायण (नैनवां) : नहीं तो ट्रक वालों ने चुंगी के नाम पर चक्का जाम कर दिया तो स्थिति खराब हो जायेगी । कृपा करके आप चुंगी माफ करें और अपनी बात को और अपने वादे को, जो चुनाव में वोट लेते समय आपने किया है, उसको पूरा करें । धन्यवाद ।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, खनिज मंत्री खनिज विभाग की एक अधि-सूचना सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 में अभी मेरा नाम पुकारा था ।

श्री अध्यक्ष : आज मैं सोच रहा हूं आगे रख लें कभी ।

श्री राधेश्याम : आपने नाम पुकारा है हाउस में, अध्यक्ष महोदय ।....(व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : तो फिर आप थोड़ी शीघ्रता करेंगे ।....(व्यवधान) ...

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, 295 पढ़े हुए मान लें आप ।

श्री अध्यक्ष : पढ़े हुए मान लें । .. (व्यवधान) आज के पढ़े हुए मान लेते हैं । (व्यवधान) पढ़े हुए मान लिये ।

श्री राधेश्याम : मेरा नाम तो तीसरे नम्बर पर था ।

श्री अध्यक्ष : आज पढ़े हुए मान लीजिये । ... (व्यवधान)....

श्री रतन लाल ताम्बी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह कायदा है । हम यहां किसलिए आये हैं । (व्यवधान) ...

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) : एक चार लाइन की लिस्ट देकर के अभी एक घंटे का समय दिया तो जिन्होंने नियम प्रक्रियाओं के अनुसार नोटिस दिये हैं वह (व्यवधान) .. पढ़े हुए मान लिये जायें ।

श्री अध्यक्ष : चलिये, बिराजिये आप ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : यह एक नयी परम्परा हो रही है हाउस में ।

श्री अध्यक्ष : मैं चाहता था कि आज डिबेट शीघ्र चालू हो जानी चाहिए । .. (व्यवधान).... चलिये कोई बात नहीं, आपकी बात मान ली ।

श्री मांगीलालजी ।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं अभी-अभी आपका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, सर्वसम्मति से, उस पर आपको बधाई समर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि आप सारे सदन को अपना पूरा प्यार देते रहेंगे । इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ...

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल ।.... (व्यवधान) ..

एक माननीय सदस्य : मांगीलालजी का नाम पुकारा है ।

श्री राधेश्याम : मेरे को पुकारा है पहले ।

श्री अध्यक्ष : मांगीलालजी मेघवाल ।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं या जैसा आप आदेश दें ।

श्री अध्यक्ष : मांगीलालजी मेघवाल बोल रहे हैं ।

श्री राधेश्याम : पहले मुझे कह दिया था ।

श्री अध्यक्ष : हां आपका है । अभी एक-एक को ले लूं । इसी को पढ़ें, माननीय सदस्य, जरा जल्दी ।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

चम्बल सिंचित क्षेत्र में कैचमेंट की राशि की माफी

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत चम्बल सिंचित क्षेत्र में

(४२)

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

कैचमेंट (भूमि सुधार) की राशि (ऋण) माफ करने एवं जन-समस्याओं के निवारण बाबत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश में सिंचाई के तहत चम्बल सिंचित क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना गत 33 वर्षों से प्रदेश के विकास में योगदान कर रही है। इसमें अरबों की राशि व्यय की गयी है। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया व्यय किये जाने के बाद भी अधिकारियों द्वारा जो कार्यक्रम एवं कार्यप्रणाली अपनायी जा रही है इससे राशि व्यय किये जाने के बाद भी हर वर्ष समस्याएं बढ़ ही रही हैं। समाधान नहीं होने से कृषक वर्ग एवं ग्राम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः समाधान हेतु निम्न कार्य किये जाने की पुरजोर मांग कर आज इस पवित्र सदन में सरकार एवं सी. ए. डी. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :—

(1) 33 वर्षों से पुरानी कच्ची मिट्टी की नहरों को बरसात, रास्तों, पशुओं एवं कृषक वर्ग द्वारा भी काफी नुकसान होने से इनकी क्षमता जो 55% एवं 21% की थी अब मात्र 30% तक हो गयी है। इसका पूर्ण गठन किया जाना अति आवश्यक हो गया है। अतः वांछित योजना जो सम्भागीय स्तर से बनायी जा रही है, के अनुसार 40 करोड़ रुपये की दो वर्षीय या तीन वर्षीय योजना स्वीकृति तुरन्त प्रभाव से कर इन दिनों में जब नहरें गर्मी में बन्द रहती हैं, तब कार्य करवाया जाये।

(2) इस परियोजना में विशेष कर बांयीं नहर जो बून्दी में तालेड़ा व केशवरायपाटन क्षेत्र में है, यहां पर नहरों एवं ड्रेनों की सफाई, खुदाई एवं जंगल कटाई की महती आवश्यकता है। साथ ही यह कार्य जल भराव का क्षेत्र होने से मशीनों द्वारा ही होता है। परन्तु बार-बार लिखने-कहने एवं अधिकारियों द्वारा आश्वासनों के बाद भी, मशीनों द्वारा किये जा रहे कार्य में भारी भ्रष्टाचार एवं लापरवाही के कारण परेशानियां बढ़ रही हैं। अतः मशीनें सहायक अभियन्ताओं को ही, अपने कार्य क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी से, उनके अधिकार क्षेत्र में दी जायें। साथ ही अच्छी मशीनें एवं सभी साधन भी दिलाये जाकर अधिक से अधिक उपयोग किया जावे।

(3) हमारा बून्दी जिला विभिन्न नदियों वाला जिला है। इसके कैचमेंट क्षेत्र के जो बरसाती खाले-नाले हैं वे हर वर्ष नहरों द्वारा फालतू बहने वाले पानी से, दो फीट से पांच फीट तक, वर्ष में 10 महीने बहते रहने से भारी जन समस्याएं रहती हैं। एक गांव से दूसरे गांव में किसान अपने खेतों तक नहीं पहुंचता है। इस समस्या के समाधान के लिए इन खालों पर पुलियाएं या कॉजवे बनाये जाने आवश्यक हैं। वर्षों से भारी परेशानी है। अतः कम से कम एक करोड़ रुपये की स्वीकृति दिलाई जाये। 25 लाख रुपये की लागत से कॉजवे टेण्डर किये जाने के बाद भी धनाभाव के कारण नहीं किये जा रहे हैं, अतः स्वीकृति दिलावें।

(4) इस सिंचित क्षेत्र में नहरी अव्यवस्था से जल भराव की स्थिति पैदा हुई फिर समाधान के लिए भूमि सुधार

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

(कैचमेंट) कार्यक्रम लिये जाने लगे एवं करोड़ों रुपयों का व्यय किया जाकर कृषक वर्ग को भी अपनी कृषि भूमि सुधार के नाम करोड़ों का कर्जदार बना दिया गया। हजारों कृषक, कैचमेंट के ऋण से बैंकों, तहसीलों एवं विभिन्न आवश्यक कार्यों में भारी परेशानियों से पीड़ित हैं। अतः जन-हित में तुरन्त प्रभाव से कैचमेंट के कर्जे को माफ किया जावे। साथ ही इस कार्यक्रम में करोड़ों की योजना कृषक वर्ग में भारी आक्रोश एवं भ्रष्टाचार फैला रही है। इसके समाधान हेतु एक समिति जनप्रतिनिधियों, किसानों एवं अधिकारियों की बनायी जाकर इस कार्यक्रम को जनता का कार्यक्रम बनाया जाये। कृषक वर्ग स्वयं भी इसमें रुचि ले रहा है परन्तु भ्रष्टाचार से दुखी है अतः परिवर्तन किया जाये।

(5) इस क्षेत्र के अधिशाषी अभियन्ता का क्षेत्र, प्रदेश का सब से बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मात्र चार सहायक अभियन्ता हैं। अभी लवान एवं खाटियाड़ी सब-डिवीजन क्षेत्र सभी सुविधाओं के बाद मात्र स्टाफ न होने के कारण बन्द हैं। अतः मेरी मांग है कि दोनों सहायक अभियन्ताओं के क्षेत्र पुनः शुरू किये जायें। साथ ही कनिष्ठ अभियन्ताओं की पूर्ति की जाये, बेलदारों की संख्या भी बढ़ाई जाये।

(6) इस क्षेत्र के अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारी जिले के बाहर एवं अपने निजी स्थानों पर ही रहते हैं जिससे जनता को भारी असुविधा होती है, समस्याओं के समाधान नहीं हो पाते। अतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यालय पर पाबंद किया जाये।

अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं सी.ए डी. मंत्री महोदय से इस कथन के साथ कि चम्बल परियोजना अत्यन्त ही जीर्णशीर्ण स्थिति में अपने अंतिम दिनों में है, अतः बजट राशि देकर समाधान करवायें।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

(13.00)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह जी सिंघवी (अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र जी रावत। (व्यवधान) माननीय सदस्य बैठे हैं उनको नहीं लेऊं ?

कोटपूतली क्षेत्र के गांवों में पेयजल संकट

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य सचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत लोक महत्व के तथ्यों पर सदन में चर्चा हेतु। पेयजल की विकट समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन व सरकार के समक्ष निम्न लोक महत्व के तथ्य सदन में विचारार्थ पेश कर रहा हूं :—

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली का ग्राम देवता, बनार, छादड़ा, बनेठी से लेकर द्वारपुरा तक पूरी पर्वतीय बैल्ट पीने के पानी की समस्या से जूझ रही है। विशेषकर

(श्री रामचन्द्र रावत)

ग्राम बनार में पानी पीने के नाम पर एक बूंद भी नहीं है, दूसरे गांव से पानी लाया जाता है, पानी की सतह नीचे जाने के कारण हैण्ड पम्प भी बेकार हो गये हैं और ऊंटगाड़ियों से लादकर पानी लाया जाता है व एक रुपये में एक मटका पानी बिक्री किया जाता है। गर्मियों में तो इस क्षेत्र की हालत और भी विकट बन जाती है, क्या ऐसे में सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता ? इस संकट से उबारने के लिये कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक लागू की जा रही है ? आज तक विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या-क्या प्रयास किये हैं ? क्या उक्त क्षेत्र में पड़ने वाले नदी-नालों का पानी रोक कर पेयजल समस्या एवं कृषि के लिये स्थायी समाधान हेतु कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो सदन को अवगत कराएं और नहीं, तो क्यों ?

सरकार से इस सम्बन्ध में मेरी मांग है कि ऐसे समस्त गांवों में पीने का पानी सुलभ कराने हेतु आवश्यक योजना शीघ्र अमल में लायी जावे। खरीद कर प्यास बुझाने की इस समस्या जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सदन में चर्चा की अनुमति प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी।

गंगानगर शहर में सामान्य चिकित्सालय

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे श्रीगंगानगर शहर में सूरतगढ़ रोड पर सामान्य अस्पताल चलाने के लिए एक बहुत बड़ा भवन लगभग पांच करोड़ रुपये के जनसाधारण के सहयोग से और लगभग पचास लाख रुपये डी.आर.डी.ए. के माध्यम से प्राप्त हुई धनराशि व्यय करके निर्मित किया गया है। इस भवन में लगभग पांच सौ शैय्याएं मरीजों के लिए उपलब्ध करवायी जा सकती है। इस भवन को पूर्ण रूप से निर्मित हुए लगभग दो वर्ष का समय व्यतीत हो गया है लेकिन सरकार इसमें सामान्य अस्पताल को स्थानान्तरित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ? जिसके परिणामस्वरूप जनता के सहयोग से एकत्रित की गयी राशि निरर्थक पड़ी है। ऐसा चिकित्सालय भवन बीकानेर के अलावा आसपास के क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। पंजाब और हरियाणा के श्रीगंगानगर जिले से लगते हुए क्षेत्र में भी ऐसा भवन नहीं है। जन साधारण द्वारा श्रीगंगानगर शहर में जो सरकारी अस्पताल कार्यरत हैं, उसको इस नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित करने की मांग की जा रही है। वर्तमान में सामान्य अस्पताल जिस भवन में कार्यरत है उस भवन में महिला चिकित्सालय प्रारम्भ करने की मांग की गयी है।

दो वर्षों से भी अधिक समय से जनता की उपरोक्त मांग पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकारी निष्क्रियता के कारण जो पैसा भवन निर्माण में व्यय किया गया है, सदुपयोग में लेने का सरकार की ओर से कोई प्रयास दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। मुख्य मंत्री महोदय ने वित्तीय वर्ष 1995–96 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय यह घोषणा की कि वित्तीय वर्ष

(श्री रामचन्द्र रांवत)

1995-96 में चिकित्सा सेवाओं के लिये समर्पित वर्ष होगा और चिकित्सा सेवाओं के लिए इस वर्ष अधिक राशि आबंटित की गयी है। ऐसे वित्तीय वर्ष में नव-निर्मित अस्पताल के भवन में चिकित्सा के लिए आधुनिक मशीनों और उपकरणों जैसे—एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, आई सी यू., केट स्केन मशीन, हृदय रोगों की जांच के लिए आधुनिक उपकरण, कम्प्यूटर सिस्टम की खरीद के लिए धनराशि आबंटित करवायी जाये जिससे कि डी.आर.डी.ए. और जन सहयोग से एकत्रित की गयी लगभग पांच-साढ़े पांच करोड़ की राशि, जो दो वर्ष से निष्क्रिय पड़ी हुई है, का सदुपयोग हो सके और जन साधारण को बेहतर चिकित्सा सुविधा अधिक मात्रा में मिल सके तथा साथ ही महिला और बालकों के लिए पृथक से चिकित्सा सुविधा पुराने सामान्य चिकित्सालय, जो कि शहर के बीच अवस्थित हैं, के माध्यम से सुलभ हो सके।

मैं राज्य सरकार से अपेक्षा करता हूं कि जन साधारण की एक आवश्यक मांग की पूर्ति के लिए और लगभग पांच, साढ़े पांच करोड़ रुपये के निष्क्रिय नियोजन का अविलम्ब लाभ उठाने को दृष्टिगत रखते हुए नवनिर्मित भवन में सरकार सामान्य चिकित्सालय को स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करेगी और पुराने अस्पताल भवन में जनाना अस्पताल खोलने के आदेश प्रदान करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति प्रदान करें।

इसके साथ ही, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत दिन पहले हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था ..

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, यह पढ़ा हुआ ही रहता है इसमें।

श्री राधेश्याम : ....कि यह हास्पिटल गंगानगर का नहीं, राजस्थान का एक महान हास्पिटल बनेगा। मेरा आपके माध्यम से, हमारे मंत्री महोदय से निवेदन है कि महाराजा गंगासिंह ने यह हास्पिटल बनाया था, सरकार ने नहीं बनाया .. (व्यवधान) और अब बनाया है पब्लिक ने। मेरा यह निवेदन है कि वह हास्पिटल महाराजा गंगासिंह के नाम पर लेकर, गवर्नमेंट उसको अण्टरटेक करके जल्दी से जल्दी उसकी व्यवस्था करे। उसके अन्दर जो उपकरण लगाने हैं। इसके साथ ही, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मंत्रीजी उठकर यह आश्वासन दें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, जयहिन्द। .... (व्यवधान) खड़े होकर जरा फरमा दीजिये, बैठे-बैठे नहीं। अध्यक्ष जी आपको आदेश दे रहे हैं। यंग मंत्री हो, आपका लगाव है, खड़े होकर आप कह दीजिये दो मिनट, अच्छी बात है, आयेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, नये चिकित्सालय में गंगानगर के पुराने चिकित्सालय को स्थानान्तरित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। तमाम औपचारिकताएं करीब-करीब पूरी कर ली गयी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं। नये उपकरण को खरीदने थे, उनके लिये कुछ दिन पहले ही एक टीम बनाकर उपकरण भी खरीदे गये हैं। मैं समझता हूं जल्दी से जल्दी हम पूरी कार्यवाही सम्पन्न कर लेंगे। और माननीय विधायक जी, वहां उपस्थित रहेंगे, इनको भी वहां मिठाई खिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश जी मेघवाल।

बिदियाद एवं बेसरोली ग्राम के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिये निर्वाचित हुए, उसके लिये मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन नागौर पर गौर करें। ...

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, इनको दो मिनट ज्यादा देना (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, फरमाइये आप।

श्री राकेश मेघवाल : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

(1) मकराना विश्व विख्यात मार्बल मण्डी में ग्राम बिदीयाद के संगमरमर का औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान है। इस गांव के लोगों ने दानदाताओं के सहयोग से करीब पचास लाख की लागत से भव्य भवन निर्माण करा दिया है तथा इस विद्यालय भवन में बच्चों के खेलकूद के लिये विशाल ग्राउण्ड भी उपलब्ध है। इस गांव में लम्बे समय से उच्च प्राथमिक विद्यालय है। गत वर्ष भी यह विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराये जाने की सूची में रहा है। परन्तु परबतसर पंचायत समिति में, ग्राम बागोट में माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हो जाने के कारण यह नहीं हो सका। इस वर्ष परबतसर पंचायत समिति के क्षेत्र ग्राम बिदीयाद के इस विद्यालय को अवश्य माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाय।

(2) ग्राम बेसरोली, जो मकराना पंचायत समिति क्षेत्र में है, एक हजार आबादी वाला ग्राम है। करीब बीस अन्य गांवों के लोगों का यहां आवागमन है व बच्चे पढ़ने आते हैं। यहां की उच्च प्राथमिक विद्यालय काफी पुरानी है। यहां पर्याप्त भवन व छात्रों की संख्या माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने के लिए उपलब्ध है व बीस गांवों के छात्रों को अपनी पढ़ाई चालू रखने के लिए भी इस स्थान के अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है। यह विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में अभी तक क्रमोन्नत नहीं होने के कारण काफी छात्रों को कठिनाई है। इसलिए ग्राम बेसरोली के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाय।

अतः नियम 295 के अन्तर्गत, विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये सरकार एवं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस चालू वर्ष में दोनों स्थानों पर चालू राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में अवश्य क्रमोन्नत करायें।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल जी पाटीदार।

सुनेल ग्राम, पिड़ावा के माध्यमिक कन्या विद्यालय की क्रमोन्नति

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में स्थित ग्राम सुनेल की आबादी 13000 है। वहां कन्या सैकण्डरी स्कूल कार्यरत है। कक्षा 10 में लगभग 65 लड़कियां शिक्षारत हैं। कक्षा दस के बाद लड़कियों का भाग्य अंधकारमय हो जाता है। उच्च शिक्षा हेतु अधिकांश लड़कियां लड़कों के स्कूल में प्रवेश नहीं लेना चाहती हैं और मजबूर होकर उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। मैंने पिछले वित्तीय वर्ष में भी राजकीय माध्यमिक विद्यालय (कन्या), सुनेल, को क्रमोन्नत किये जाने का अनुरोध किया था लेकिन असफलता ही हाथ लगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनेल बस स्टैण्ड का उच्च प्राथमिक विद्यालय भी कहीं अन्य जगह चलाया जा रहा है उसके बारे में भी मैंने स्कूल से सम्बन्धित कागजात शिक्षा विभाग को एवं मंत्री महोदय के कार्यालय में पेश किये, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सुनेल में एक ही उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसमें 750 छात्र अध्ययनरत हैं जो अध्ययनकर्ता एवं अध्यापनकर्ताओं के लिये काफी असुविधाजनक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में घरोनिया, कडोदिया माथनिया, हिम्मतगढ, आदि गांवों में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर तक ही शिक्षा उपलब्ध है और इन गांवों से सैकण्डरी स्कूलों की दूरी 10–12 किलोमीटर से कम नहीं है। ऐसी अवस्था में अधिकांश लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। उपरोक्त सभी गांवों की जनसंख्या 2000 से अधिक है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में 7 8 ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऊपर वर्णित सभी स्थानों पर वांछित स्कूल खोलने का कष्ट करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल जी ताम्बी।

जहाजपुर क्षेत्र में उत्पन्न गम्भीर विद्युत समस्या

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको आपके निर्विरोध निर्वाचन पर बधाई देना चाहूंगा।

श्री किशनगोपाल कोगटा : आपके सहयोग के लिए भी धन्यवाद।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसमें तो आप कंजूस रहे अब कहने की आवश्यकता नहीं। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आज प्रथम दिन से ही यह परम्परा जो इन दिनों में नजर आ नहीं रही है उसको वापस कायम करने का प्रयास करें।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सदस्यगण, राजस्थान की विधान सभा में, इस सर्वोच्च जनता की सत्ता के माध्यम से, राज्य सरकार का ध्यान, अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिए, यहां पर कटिबद्ध रहते हैं। मगर इस बात का अत्यन्त खेद और अफसोस है कि जिन प्रस्तावों पर हम चर्चा करना चाहते हैं, नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उनसे सम्बन्धित मंत्रीगण भी यहां पर उपस्थित नहीं रहें तो यह आवाज उन तक कैसे पहुंचे .

श्री कैलाश मेघवाल : हम हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था दी जाये आज कि 295 से सम्बन्धित जो भी मंत्रीगण हैं वह इस अवसर पर उपस्थित रहें।

एक माननीय सदस्य : आपका तो अनुभव है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं मंत्री रहा लेकिन विधान सभा में फेस नहीं करना पड़ा मुझे। तीन महीने ही रहा।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था आप प्रदान करें ताकि भविष्य में इस तरह की कठिनाई उपस्थित नहीं हो। आज मैं जिस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह राजस्थान की मूलभूत समस्या है और उस समस्या की तरफ अब हमारे गृह मन्त्री जी कह रहे हैं कि हमारी जोइंट रेस्पांसिबिलिटी है मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो यह मेरे पड़ौस के निर्वाचन क्षेत्र के हैं उनको शायद मालूम होगा कि नहीं इस अव्यवस्था से जहाजपुर क्षेत्र की जनता कितनी पीड़ित है।

श्री अध्यक्ष : माननीय 295 पढ़ें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं वो ही पढ़ रहा हूं साहब। मैं इस सम्बन्ध में जो भी यहां जोइंट रेस्पांसिबिलिटी के मन्त्रीगण यहां पर उपस्थित हैं, उनकी करामात भी देखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में उत्पन्न गम्भीर विद्युत समस्या के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(1) जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की जहाजपुर तहसील का विद्युत नियंत्रण मोरला देवली तथा बूंदी जिले से होने के कारण विद्युत कभी भी नियमित नहीं मिलती है। अतः नियंत्रण भीलवाड़ा विद्युत मण्डल के अन्तर्गत, अथवा मोरला ग्रिड मण्डल के अन्तर्गत, अथवा मोरला ग्रिड में संयुक्त नियंत्रण की व्यवस्था की जाये।

(2) मोरला ग्रिड पर ट्रांन्सफार्मर कम क्षमता का होने से आये दिन जो समस्या खड़ी हो जाती है अतः क्षमता बढ़ाकर 50 एम्पीयर लोड जहाजपुर तहसील को दिया जाय।

(3) जहाजपुर 1968 में नगरपालिका के अन्तर्गत नगर है मगर इसको मण्डल अभी तक भी ग्राम मान रहा है अतः

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इसको नगर मानकर समुचित विद्युत दी जाये ताकि अस्पताल एवं जल प्रदाय जैसी आवश्यक सेवाओं से भी नगर की जनता को वंचित नहीं रहना पड़े।

(4) मनोहरगढ़ इटून्दा लुहारीकलां ग्रामों के क्षेत्र को हिन्डोली विद्युत लाइन से हटाकर इस जहाजपुर क्षेत्र से जोड़ा जाये।

(5) पुरानी लाइनों का संधारण एवं विस्तार किया जाये तथा ट्रान्सफार्मर लोड के अनुसार ज्यादा क्षमता के बढ़ाये जायें।

उपरोक्त सुझावों को शीघ्र क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है। इस वर्ष रबी की फसल में किसानों को बराबर विद्युत नहीं मिलने से, रबी की फसलें प्रभावित हुई हैं और वर्तमान में छात्रों को परीक्षा के समय अध्ययन में विद्युत व्यवस्था ने काफी प्रभावित कर उनकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस बाबत विद्युत मंत्री जी जहाजपुर जाते समय जनता ने कार रोक कर घेराव भी किया था मगर उस आश्वासन के बाद भी स्थिति यथावत् रही।

अतः उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति बहुत ही गम्भीर है। जनता में भारी रोष और आक्रोश का आन्दोलनात्मक वातावरण बना हुआ है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिये उच्चस्तरीय समुचित प्रयास सर्वोच्च प्राथमिकता से करने की अपेक्षा के साथ चेतावनी दे रहा हूं कि विद्युत विभाग निष्क्रियता और उदासीनता को अब जनता ज्यादा तटस्थ पर्यवेक्षक होकर नहीं देख सकती है। और जनता के धैर्य की सीमा भी टूटती जा रही है इसलिए विद्युत मंत्री जी समय रहते समुचित प्रभावी व्यवस्था कर जनता को राहत देने में सम्पूर्ण मनोयोग से कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्विरोध निर्वाचन पर आपको बधाई देती हूं।

श्री मोहन लाल बारूपाल : मेरा भी नाम है। ऐसा मेरा निवेदन है। तीन दिन हो गये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बारूपाल जी मेरे ही बीच में काहे को आ रहे हो? हमें पढ़ने दो फिर आप पढ़ लेना।

श्री मोहन लाल बारूपाल : मेरा नम्बर था, मैं आपकी पार्टी में आ जाऊं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये कल भी आप नहीं थे श्रीमान्जी। इस तरीके से एलीगेशन्स मत लगाइये। तीसरी बार है जब आप यहां उपस्थित नहीं थे।

श्री मोहन लाल बारूपाल : मैं उठकर चला जाता हूं तो फिर मोहनलाल बारूपाल, क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष : दूसरी बार फिर आपका नाम पुकारा है। सबके बाद में वापस आपका नाम पुकारा गया है कल भी, और मैंने कहा कि नहीं वापस लेओ इनको। अब आपका ही नम्बर है। बिराजिये आप।

मानपुर कलां से वासना सड़क का निर्माण

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मान्यवर, नियम 295 के माध्मम से ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं ।

मान्यवर, जयपुर जिले की मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में कृषि उपज मण्डी के माध्यम से लगभग आठ-दस वर्ष पूर्व मानपुर कलां से वासना पंचायत समिति मुख्यालय तक तथा बाद में 6 किलोमीटर और वासना से टोड़ामीणा तक सड़क मंजूर हुई थी । पंचायत मुख्यालय से डेढ़ किलोमीटर पहले ही सड़क रोक दी गयी । मंजूर मानचित्र के अनुसार सड़क नहीं बनी । सड़क के बीच में किसी ने मध्य में एक झोपड़ा सा खड़ा कर लिया । चार पांच साल पहले एस.डी.ओ. नरेशचन्द्र रेवेन्यू कैम्प में गये थे । उक्त झोपड़े को हटा दिया गया । खेद है विभाग ने स्वीकृत मार्ग की बाधा की कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं की, न ही वह बाधा हटायी, न ही वह सड़क पूरी की है । उक्त सड़क के अभाव में गांव वाले बेहद परेशान हैं । कुछ दिन पहले अन्य मार्ग पर मुड़ने में बस उलट गयी । कई मरे, कई घायल हुए, परन्तु कोई बचाव नहीं । उक्त सड़क यदि अविलम्ब नहीं बनाई गयी तो और दुर्घटनाओं की सम्भावनाएं रहेंगी । मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि आश्वस्त करें कि उक्त सड़क यथाशीघ्र बनवायी जाकर बढ़ते असन्तोष व आशंका से मुक्त करेंगे । धन्यवाद ।

(13.00)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन ।)

श्री सभापति : श्री मोहन लाल जी बारूपाल ।

सुरणलिया से हुड़ास सड़क का डामरीकरण

श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : सभापति महोदय, नियम 295 के तहत मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को ध्यान दिलाना चाहता हूं, मंत्रीजी यहां हैं नहीं ।

तहसील जायल जिला नागौर के ग्राम सुरणलिया से हुड़ास 10 किलोमीटर के टुकड़े का डामरीकरण हो जाने से जोधपुर दिल्ली का सीधा रूट बन जाता है । उक्त मार्ग पर जोधपुर दिल्ली बसें भी चलती हैं परन्तु बीच में 10 किलोमीटर कच्चा होने से आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है । उक्त 10 किलोमीटर के डामरीकरण हो जाने से जन सुविधा में भारी राहत मिलेगी । आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदय, कविता सुना देता हूं आपको । आप थोड़ा ध्यान रखना पढ़े लिखे आदमी हो और यह महापुरूषों की कविता है, मेरी है नहीं । जो कुर्सी पर बैठेगा उनको बारीकी से ध्यान करना चाहिये । महात्मा कहते हैं :—

धनवत धर्म नहीं करे, धनवत आदमी को धर्म करने का कोई काम नहीं है । नरपत करने न न्याय, राजा का न्याय करने का काम नहीं । भजन करे नहीं भगत होय कीजे कौन उपाय, कीजे कौन उपाय सलाह एक मानो म्हारी जा बहेती के मांय नन्दी आवे जद भारी, जाय गडिण्दा खांवता पगल्या टिकेन ठाय, धनवत धर्मन नहीं करे, नरपत करे न न्याय ।

श्री सभापति : माननीय भीमसेन चौधरी ।

सेरेरा एवं बड़ावास ग्राम का राजस्व रिकार्ड

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय सभापति जी, मैं राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत नागरिक समस्या की ओर राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

ग्राम पंचायत सेरेरा व बड़ावास पंचायत समिति बीकानेर के क्षेत्राधिकार के गांवों का सर्वे व रेकार्ड सेटलमेंट विभाग द्वारा तैयार कराया जाकर जिला कलक्टर को सुपुर्द किया गया है। सेटलमेंट विभाग द्वारा तैयार किया गया रिकार्ड मौजूदा वास्तविक स्थिति के अनुकूल न होने के कारण काश्तकारों के मध्य विवाद पैदा करने का साधन हो गया है क्योंकि इन गांवों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के कारण इन गांवों का सर्वे व सेटलमैंट से पूर्व का रिकार्ड ग्राउण्ड रियलटी के विपरीत होने के कारण अविश्वसनीय था लेकिन सैटलमेंट विभाग ने उसी रिकार्ड को आधार मानकर वर्तमान में रेकार्ड तैयार किया जो सही नहीं है।

पूर्व बीकानेर रियासत के समय में ये गांव खालसा गांव थे जिनका सर्वे सम्वत् 1985 में सम्पन्न हुआ था। इतने लम्बे अन्तराल के बाद इन गांवों का सर्वे कार्य अभी सम्पन्न कराया जाकर रिकार्ड आपरेशन सरकारी आदेश से समाप्त घोषित किया गया। लेकिन यह रिकार्ड इतने लम्बे अरसे के दौरान समय-समय पर किये गये आवंटन, इंतकाल व पारिवारिक बंटवारों, रेवेन्यू नक्शों में अंकित न करने के कारण रिकार्ड सही तैयार नहीं हुआ। फलतः रेवेन्यू रिकार्ड व काश्तकारों एवं वास्तविक कब्जा काश्त में अन्तर है जो विवाद का कारण बना हुआ है। ऐसे विवादास्पद रिकार्ड को आधार मानकर किया गया कार्य विवाद उत्पन्न करने वाला हो सकता है। अतः इस विवादित रिकार्ड की दुरूस्ती हेतु दोनों पंचायत क्षेत्रों के लिए दो रेवेन्यू इंस्पेक्टरों के अधीन सैटलमेंट में दक्ष पटवारियों की टीम नियुक्त की जावे जो मौके पर सर्वे करके कब्जे के आधार पर रिकार्ड तैयार करके इस समस्या का समाधान कर सके। जय हिन्द।

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचना

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल, खनिज मंत्री, खनिज विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं, खनिज विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 14 (4) खान/ग्रुप–2/86/पार्ट–6 दिनांक 28 मार्च, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 को और संशोधित किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का वार्षिक (1992–93) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

श्री सभापति : श्री श्रीकिशन सोनगरा, खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 सदन की मेज पर रखेंगे।

(52)

श्री श्रीकिशन सोनगरा (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग) : माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

मलकीसर छोटा तहसील लूणकरणसर को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने बाबत

श्री सभापति : श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, मैं पुराने बसे ग्राम मलकीसर छोटा तहसील लूणकरणसर को राजस्व गांव घोषित किये जाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

खैरवाड़ा तहसील मुख्यालय से पंचायत मुख्यालय एवं अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण

श्री सभापति : श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, मैं, खैरवाड़ा तहसील मुख्यालय जिला उदयपुर से पंचायत मुख्यालय एवं अन्तर्राज्यीय सड़कों के निर्माण कराने के सम्बन्ध में पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

याचिका समिति, 1994-95 का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन

श्री सभापति : श्री कालीचरण सराफ, सभापति, याचिका समिति, 1994-95 समिति के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (सभापति, याचिका समिति) : सभापति महोदय, मैं, सभापति, याचिका समिति, 1994-95 समिति के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयकों का पुरःस्थापन

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री सभापति : श्री अनंग कुमार जैन।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय सभापति महोदय, मैं, राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री अनंग कुमार जैन : सभापति महोदय, मैं, राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री सभापति : अनंग कुमार जैन।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं, राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री अनंग कुमार जैन : सभापति महोदय, मैं, राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

महा मंदिर सीवरेज योजना, जोधपुर का क्रियान्वयन

श्री सभापति : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा जोधपुर स्थित महामंदिर सीवरेज योजना के क्रियान्वयन में देरी से आम जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय सभापतिजी, मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय भंवर लाल जी शर्मा।

श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहूंगा। जोधपुर शहर के महामंदिर क्षेत्र की आवासीय बस्तियों में सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1989 में सीवरेज योजना (प्रथम चरण) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रुपये 186.75 लाख की प्रदान की गयी थी व इस सम्बन्ध में सर्वे करके विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिये गये थे। विस्तृत तकनीकी जांच के उपरांत जुलाई, 91 में तकनीकी स्वीकृति जारी हो पायी। इसी दौरान भूमि अवाप्ति सम्बन्धी अधिसूचना को लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवाप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया पर फरवरी, 93 में स्थगन आदेश भी दिये गये जिसके बाद मार्च, 94 में ही भूमि अवाप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ हो पायी।

योजना के क्रियान्वयन हेतु, भूमि अवाप्ति हेतु फरवरी, 1995 तक लगभग

(श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई)

135 लाख रुपये की राशि व्यय की जाकर भूमि अवाप्ति का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्तमान में विशेष तौर पर 1 जनवरी, 95 से 25 मार्च, 95 के अन्तराल में महामंदिर क्षेत्र में गेस्ट्रोइन-टाइटिस व टाइफाइड के शून्य तथा पीलिया के दो रोगी ही पाये गये हैं। महामंदिर क्षेत्र में तालाब, नालों इत्यादि में प्रति सप्ताह विभिन्न दवाइयां इत्यादि भी छिड़की जा रही है तथा सफाई रखने हेतु पर्याप्त प्रयास जारी है। महामंदिर चार दीवारी के बाहर स्थित नलकूपों एवं खुले कुओं से पेयजल वितरण किया जा रहा है। विभाग द्वारा पेयजल का सामान्यतः क्लोरीनीकरण किया जाता है एवं पेयजल जीवाणुओं की उपस्थिति की नियमित जांच की जाती है। जांच के पश्चात् वितरण व्यवस्था में जीवाणु नहीं पाये गये हैं। पूर्व वर्षों में मानसागर, महामंदिर, झालरा इत्यादि का पानी भी महामंदिर क्षेत्र हेतु पेयजल स्रोत था। परन्तु विगत कई वर्षों से इन स्रोतों का उपयोग पीने के पानी हेतु नहीं किया जा रहा है।

इस महामंदिर सीवरेज योजना के प्रथम चरण को पूर्ण किये जाने के उद्देश्य से हिस्सा पूंजी राशि का प्रबन्ध नगर सुधार न्यास एवं नगर निगम से भी किये जाने के प्रयास जारी है। नगर सुधार न्यास द्वारा 75 लाख रुपये एवं नगर निगम द्वारा 30 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति प्रस्तावित कर दी गयी है जो उनके द्वारा तीन वर्षों के अन्तराल तक बराबर अंशों में प्रदत्त की जानी है। शेष राशि का प्रबन्ध करने हेतु बाह्य वित्तीय संस्थाओं इत्यादि से सहायता प्राप्त करना भी प्रस्तावित है।

इस योजना के लिए वर्तमान मूल्य लागत के आधार पर संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिए गये हैं। उपलब्ध बजट को दृष्टिगत कर योजना के क्रियान्वयन के लिए उचित कदम उठाये जायेंगे।

श्री सभापति : और पूछना है इसमें ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : हां, साहब।

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि स्पष्ट वक्तव्य आ गया है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : महत्वपूर्ण है साहब।

श्री सभापति : सवाल पूछिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : सवाल ही पूछ रहा हूं। माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है, यह मैं मानता हूं कि योजना में विलम्ब हुआ है और विलम्ब के बाद उन्होंने जो कार्यवाही की है उससे ऐसा लगता है कि योजना स्वीकार कर इसी वर्ष योजना प्रारम्भ करेंगे।

दूसरा, सफाई व्यवस्था के संबंध में आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करता है कि महामन्दिर क्षेत्र के अन्दर जो 15-20 कालोनियां, बस्तियां आती हैं उनमें कई नाले हैं और जो मानसागर तालाब की चर्चा की गयी है वह तालाब शौच और गन्दे पानी का एक पात्र बन कर रह गया

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

है। महामन्दिर क्षेत्र की आबादी 30 हजार के आस-पास है और सारा गन्दा पानी उस तालाब के अन्दर आ रहा है और उस गन्दे पानी के तालाब के अन्दर आने के कारण उस क्षेत्र के अन्दर स्थित करीब 15-20 ट्यूब वैल, 15-20 हैण्ड पम्प और कुओं का पानी भी धीरे-धीरे दूषित हो रहा है। यह भूमिगत पानी दूषित होना, बहुत गम्भीर मसला सदन के सामने है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस योजना में किसी भी कारण से कोई भी विलम्ब नहीं किया जाय और इस योजना को जल्दी से जल्दी प्रारम्भ किया जाय।

साथ ही क्षेत्र का जो मानसागर तालाब है वह मच्छरों के उत्पादन का केन्द्र है। मच्छरों के कारण क्षेत्र के अन्दर, चार किलोमीटर क्षेत्र के अन्दर लोगों का बैठना, घूमना बन्द हो गया है। घरों में मच्छर भनभनाते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी एक टिप्पणी में कहा है कि इसमें वह पूरी कार्यवाही कर रहे हैं। कीटनाशक और दूसरी दवाइयों से उपचार कर रहे हैं। एक तरह से सदन को गुमराह किया गया है।

मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, कोई प्रश्न हो, और जो किसी विभाग से रिपोर्ट लेने के लिए भेजा जाता है तो उस पत्र को पढ़ना चाहिये। नगर निगम के आयुक्त ने जो पत्र का जवाब दिया उसमें जो रिपोर्ट भेजी है उसमें कहीं भी सफाई व्यवस्था का जिक्र नहीं किया गया और यह कहा कि योजना हमारे द्वारा निर्मित नहीं है, जलदाय विभाग इस योजना को करेगा। माननीय सभापति महोदय, यह प्रश्न बहुत गम्भीर है। हम ध्यान आकर्षण करते हैं, उल्लेख करते हैं और किसी विभाग के पास पत्र जाता है तो वह विभाग अपनी जिम्मेदारी से दूर हटने की कोशिश करता है। जो जवाब दिया जाता है, जो उत्तर दिया है, वह गुमराह करने वाला है, भ्रमित उत्तर देते हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में कोई भी विभाग ऐसा नहीं करें। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि इस योजना को कब तक स्वीकृत कर देंगे? इस योजना के लिए इस वर्ष क्या वित्तीय प्रावधान आपने रखे? यदि आप वित्तीय प्रावधान इस योजना के लिए नहीं रखेंगे तो योजना और खटाई में पड़ जायेगी। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि 1 करोड़ 74 लाख रुपये की योजना अब 5 करोड़ 20 लाख की हो गयी है। योजना समयबद्ध नहीं होने के कारण कितना अपव्यय होता है और लोगों को कितनी परेशानी होती है। इस योजना को जल्दी से जल्दी प्रारम्भ करें।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न को मैं भी गम्भीरता से लेता हूं और इसलिए आपने देखा होगा कि इसमें गति आयी है, कार्यवाही कर रहे हैं। अभी 5 तारीख को इस पर विचार किया है। यह तो आपको मालूम है कि इसमें भूमि अवाप्ति की कार्यवाही थी उसको पूरा नहीं कर पाये क्योंकि लोग कोर्ट में चले गये और कोर्ट में जाने के कारण वह बहुत लम्बा हो गया। लेकिन फरवरी में हमने

(श्री भंवर लाल शर्मा)

पूरा निपटारा कर दिया, पूरा पेमेण्ट कर दिया, पूरी जमीन हमारे पास आ गयी। अब यह विवाद खत्म हो गया है। जहां तक पैसे का सवाल है, सबसे बड़ा प्रश्न अब यह रह गया है। इसके लिए यू.आई.टी. ने अपनी तरफ से 75 लाख लगाने का वायदा किया है, नगर निगम 30 लाख रुपये देगा और हमारा जो जलदाय विभाग है वह भी करीब-करीब एक करोड़, इसके लिए हम सोच रहे हैं। और इसके बाद मैं समझता हूं कि इतना जल्दी और हम क्या कर सकते हैं। 12 तारीख को फिर मीटिंग कर रहे हैं, यह आपकी जानकारी में है।

श्री सभापति : एक सवाल और था इसका कि इस तरह से जवाब भेजते हैं, यह भी आक्षेप है।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या जवाब भेजते हैं, क्या आक्षेप है ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : वहां की सफाई व्यवस्था, आप जोधपुर पधार रहे हैं, देखेंगे कि ठीक नहीं है और स्वास्थ्य विभाग ने जो ... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सैकण्ड, विभाग रिपोर्ट भेजता है। जहां सीवरेज व्यवस्था नहीं है वहां अन्दाज किया जा सकता है कि वहां गन्दगी होगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : जवाब तो आपने पढ़ लिया ना।

श्री भंवरलाल शर्मा : जहां सीवरेज नहीं है, इसीलिए तो करोड़ खर्च कर रहे हैं। इसीलिए तो एक करोड़ खर्च कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : स्वास्थ्य विभाग ने कहा है उसमें नियंत्रण करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या जवाब, क्या छिपायेंगे आपसे, कोई छिपाने वाली बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं इसके लिए, माननीय मंत्रीजी, आपको धन्यवाद देता हूं कि योजना पर जल्दी कार्यवाही करें।

मंडा बासना ग्राम, तहसील डीडवाना का विद्युतीकरण

श्री सभापति : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा, ग्राम मंडा बासनी, तहसील डीडवाना को विद्युतीकृत घोषित किये जाने के उपरान्त भी विद्युत लाइन आदि कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के तहत मैं माननीय विद्युत मंत्रीजी का ध्यान बिना लाइन खींचे गांवों को विद्युतीकृत करने और बिना ट्रान्सफार्मर लगाये विद्युतीकृत करने के संबंध में ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : सभापति महोदय, मंडा बासनी नाम का कोई राजस्व गांव डीडवाना तहसील में नहीं है। मंडा बासनी एक ढाणी है जो डीडवाना ग्राम का एक हिस्सा है। 1981 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार डीडवाना ग्राम की कोड संख्या 14219 है। डीडवाना ग्राम दिनांक 31-3-1981 को विद्युतीकृत किया गया था। यहां पर पहला ट्रांसफार्मर आसजी की ढाणी पर लगाया गया। दिनांक 30-3-89 के पहले कनेक्शन दिया गया। डीडवाना ग्रामीण में कई ढाणियां हैं, छोटे-छोटे ग्राम हैं जिनमें हिस्से मानकर प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कनेक्शन दिये जा सकते हैं। उक्त मंडा बासनी ढाणी, जो ग्रामीण डीडवाना ग्राम का हिस्सा है, में दिनांक 24-1-1992 से लेकर 5-1-1993 तक 171 घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन सभी आवेदकों का सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से तकमीना बनाकर, सक्षम अधिकारी तकमीना की स्वीकृति जरिये पत्र संख्या 1046 दिनांक 29-9-1993 प्राप्त कर दिनांक 30-10-93 को 170 आवेदकों को मांग पत्र समूह योजना में जारी किये गये। सभी आवेदकों ने दिनांक 30-11-1993 को मांग पत्र की राशि प्रति उपभोक्ता रुपये 158/- जमा करवायी तथा "एल" फार्म प्रस्तुत किये। मांग पत्र की राशि जमा होने के बाद दिनांक 22-12-1993 को कार्य आदेश जारी किया गया। सम्बन्धित उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु एक कि.मी. 11 के.वी. लाइन, 55 पोल की एल.टी. लाइन तथा 11/0.4 के.वी., 63 के.वी.ए. की उप चौकी प्रस्तावित है। कार्य की अब तक की प्रगति निम्न प्रकार है :—

(1) ग्यारह के.वी. लाइन—खम्भे खड़े कर दिये हैं।

(2) एल.टी. लाइन—खम्भे खड़े कर दिये हैं।

(3) 11/0.4 के.वी. उप चौकी—ट्रांसफार्मर लाइन कार्य पूरा होने पर लगाया जायेगा। वर्तमान में कंडक्टर्स की देशव्यापी कमी है। वांछित मात्रा में कंडक्टर्स एवं अन्य सामान की व्यवस्था कर कार्य शीघ्र पूरा कर कनेक्शन देने के निर्देश दे दिये गये हैं। डीडवाना ग्रामीण में वरीयता अनुसार ही कनेक्शन दिये जा रहे हैं। डीडवाना उपखण्ड में निम्नलिखित 8 ग्राम है जो विद्युतीकृत घोषित हैं लेकिन जिनमें ट्रांसफार्मर नहीं लगे हुए हैं :—(1) दादूबासनी, (2) ठाकरियावास, (3) मामासी, (4) चक, (5) खाडरिया, (6) बगरवालिया, (7) कायाथावासनी, (8) इलीचपुरा।

उपरोक्त में से 5 ग्रामों—दादूबासनी, ठाकरियावास, मामासी, चक एवं खाडरिया में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष तीन ग्रामों—बगरवालिया, कायाथावासनी व इलीचपुरा में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं जिनमें आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय सभापति महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में खासकर दो मुद्दे थे कि बिना ट्रांसफार्मर

(श्री हरजीराम बुरडक)

लगाये विद्युतीकृत घोषित कर दिये गये हैं और वर्षों तक लोगों की डिमांड के पैसे जमा करके उनको अपने पास रोकते हैं और गांवों में कनेक्शन नहीं देते। विद्युत मण्डल ने सन् 1984 में लेटेस्ट किये गये गांवों में विद्युतीकृत करने के सम्बन्ध में जो आदेश जारी किया था उसमें यह स्पष्ट उल्लेख है और इस आदेश की प्रति मुझे एक प्रश्न के उत्तर में अभी थोड़े दिन पहले ही प्राप्त हुई है। उसमें यह लिखा है -- ग्राम के विद्युतीकरण की सूचना देते समय सम्बन्धित सहायक अभियंता इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी देगा कि उक्त ग्राम में ट्रांसफार्मर हरिजन बस्ती के निकट ही लगाया गया है और इसमें आगे यह लिखा है कि क्षेत्रीय अधिशाषी अभियंता इस आदेश की पालना निश्चित करेंगे। क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता, उप मुख्य अभियंता और मुख्य अभियंता अपने दौरों के समय व स्वयं मौके पर जाकर जांच करेंगे। आगे इसमें यह भी लिखा है कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार का स्पष्ट आदेश होने के बाद आप आये दिन यहां देखते हैं कि राजस्थान में ऐसे कई सैंकड़ों-हजारों गांव होंगे जो वर्षों से इन्होंने इलैक्ट्रीफाइड घोषित कर रखे हैं और गजट में नोटिस निकाल दिया, न तो वहां ट्रांसफार्मर है, न वहां लाइन है, पहले ही आपके सामने ऐसे कई मामले आये थे। यह मेरे क्षेत्र में जो 8 गांव हैं इनमें कई गांव ऐसे हैं जो 3 साल से इलैक्ट्रीफाइड घोषित किये हुए हैं और उनमें ट्रांसफार्मर तक नहीं लगाया, न इन्होंने अपनी नीति चेंज की। लेटेस्ट मेरे सवाल के जवाब में जो सर्क्यूलर दिया है, इसके अलावा इन्होंने कोई दूसरी पालिसी चेंज नहीं की और बोर्ड के और राज्य सरकार के आदेशों के खिलाफ नीचे के अधिकारी जो कार्यवाही करते हैं उस सम्बन्ध में आज तक इन्होंने किसी के भी विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और न अपनी कोई पालिसी चेंज की। दूसरा सवाल यह था कि ग्राम मण्डा बासनी जो डीडवाना की सरहद में आपने बताया है इसमें 30-11-93 को 170 व्यक्तियों से राशि जमा करवायी और उसके बाद में आपने उसी समय 22-12-93 को जॉब आर्डर जारी कर दिये। इसमें मेरा यह सवाल था कि अगर डीडवाना शामिल में ये गांव हैं और प्रायोरिटी से कनेक्शन देने का आपका आदेश है, यह नियम बना रखे हैं तो क्या इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपने मांग करके इनको डिमांड नोटिस जारी किये, क्या उस क्षेत्र में इसके बाद में किसी को कनेक्शन नहीं दिया? क्या आपने इस बात की जांच की है कि इस एरिये में इसके बाद के लोगों के कनेक्शन हुए या नहीं हुए? अगर बाद में कनेक्शन हुए हैं तो इस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही करेंगे और अब जो लोग दो साल से पैसे जमा कराये बैठे हैं उनको आप कब तक कनेक्शन दे देंगे? जो 8 गांव अभी आपने बताये हैं उनमें आपने यह कहा कि उन 5 में भी जल्दी ही ट्रांसफार्मर लगायेंगे तो यह कब से पेंडिंग हैं और अब इसमें आप कब तक लगा देंगे? आयंदा ग्राम को विद्युतीकृत घोषित करने के सम्बन्ध में जो आपने पुराना सर्कुलर निकाल रखा है, क्या आप इसी पर कायम है या आप इसमें कोई संशोधन कर रहे हैं? इसका उत्तर दीजिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय सदस्य ने जो आदेश अभी बताया है अभी वही आदेश लागू है, उसके बाद कोई अन्य आदेश नहीं निकाला गया है। इसलिए विद्युतीकृत करते समय ट्रांसफार्मर लगाना उचित है। कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि एरिये में यदि कनेक्शन मांगने वालों की देरी होती है तो ट्रांसफार्मर चोरी करके किराये से चलने लगे। आपने कहा है कि मैंने इस सम्बन्ध में सख्ती से इस आदेश की पालना करने के निर्देश दे दिये हैं, आपने कहा, मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि अभी अनेक ऐसे गांव हैं जो विद्युतीकृत घोषित कर दिये गये हैं किन्तु वहां ट्रांसफार्मर नहीं लगे।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अनेक नहीं, हजारों।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कई जगह के लिए आप यदि यह भी कह दें कि खम्भे भी पूरे नहीं लगे तो मैं स्वीकार करता हूं। यह गलतियां होती हैं, इसमें यह गलतियां न हों, जो गलतियां हो गयी हैं उनको सुधार करें और आगे बिना ट्रांसफार्मर लगाये किसी गांव को विद्युतीकृत घोषित नहीं करेंगे, यह सख्ती से आदेश दे दिये गये हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : ठीक है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने आज मेरी रात भर काली कर दी।

श्री सभापति : एक्सपर्ट हैं आप।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : वह इसलिए कि जो माननीय सदस्य हैं, संजीदा भी बहुत है और बिजली के एक्सपर्ट हैं, तो इनका प्रश्न आता है तो मैं उसको बड़े ध्यान से पढ़ता हूं। इन्होंने लिख दिया कि मण्डा बासनी गांव कब विद्युतीकृत किया गया। मान्यवर, मेरे विभाग ने लिखा–मण्डा बासनी नाम का कोई गांव नहीं है तो मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। रात में मैंने जिला कलक्टर को टेलीफोन किया, उनका सारा रेकार्ड निकलवाया, कोड नम्बर पूछा, रात को दो बज गये। यह मण्डा बासनी नाम का कोई गांव नहीं है, मेरे सारे अफसर कहते रहे। मैं कहता रहा कि हरजीराम जी बुरड़क ने पूछा है इसलिए कोई न कोई बात जरूर होनी चाहिए लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने स्वयं यह बात मान ली है और इसमें आप मुझे यह बतायेंगे कि गांवों की वरीयता होती है, इस गांव में या डीडवाना ग्रामीण में यदि कोई भी कनेक्शन, जैसी एप्लीकेशन जिस गांव से आयी है, पैसा जिस गांव से जमा हुआ है यदि उस ग्राम को तोड़ करके यदि कोई एक भी कनेक्शन दिया होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। मेरे पास यह जानकारी है कि एक भी व्यक्ति की वरीयता को नहीं तोड़ा गया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : दूसरा इसमें यह है कि अभी आपने बताया कि यह सर्कुलर जो आपका 84 का है उस पर आप कायम हैं और दूसरे आपने बताया कि कहीं-कहीं ट्रान्सफार्मर इसलिए नहीं लगा पाते हैं कि वहां डिमाण्ड नहीं होती है। तो यह जो 8 गांव आपने बताये इसमें कई गांव ऐसे हैं कि जो सालभर पहले डिमाण्ड

(श्री हरजीराम बुरड़क)

नोटिस में पैसे जमा करा दिये और बहुत से ऐसे हैं कि जिनमें डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं और एप्लीकेशन्स दे रखी हैं। क्या उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय सदस्य, यह जो 8 गांव बताये हैं मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इसकी जानकारी पूरी लूंगा और इनको इस वर्ष में खम्भे लगाकर, ट्रान्सफार्मर लगाकर विद्युतीकृत कर देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : धन्यवाद।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह।

मैं इस पर थोड़ी व्यवस्था देना चाहूंगा कि बोलने वाले बहुत हैं और समय कम है। 15-15 मिनट की छूट मानकर आप अपनी बात को कहें और 15 मिनट में समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति जी, आपका आदेश हम पूरा मानेंगे। 1 घंटा 40 मिनट से 1 घंटा 35 मिनट लेंगे, 36 वां मिनट नहीं लेंगे।

माननीय सभापति जी, बजट के संबंध में बात कहते वक्त 3 अवस्थाएं मेरे सामने आती हैं। एक जो माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना बजट भाषण यहां पढ़ा और उसमें तथ्य दिये, दूसरी स्थिति आती है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो-तीन रोज पहले माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का जवाब देते वक्त कुछ बातें कहीं और दूसरे हमारे पूर्व वित्त मंत्री श्री चन्दनमल जी बैंद ने उस पूरे आवरण को हटाकर जो कुछ हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा उन सब को + + + कर दिया।

सभापति जी, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा। माननीय श्री चन्दनमल जी बैंद ने बहुत आंकड़े पेश कर दिये। उन पर भी यदि मुख्य मंत्री जी ध्यान दे लें तो बहुत अच्छा होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां जवाब देते वक्त अपने यहां की स्थिति को कि वह कहां जवाब दे रहे हैं, बात कही। यह उनकी आदत है कि हमेशा अपने आपको समझते हैं कि जौहरी बाजार की बड़ी चौपड़ पर भाषण दे रहे हैं। जो कुछ आपने यहां कहा उसको मैं उसी रूप में लेता हूं। आपने नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव का बहुत जोरशोर से जिक्र किया और यह कहने की चेष्टा की कि पचायतों के चुनावों ने और नगरपालिका आदि के चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि राजस्थान के ग्रामों में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा स्थान बन गया है। यदि उनके इस कथन को मैं लूं तो यहां हमारे मुख्य मंत्री जी और उप-मुख्य मंत्री जी बिराजमान नहीं हैं, राठौड़ साहब यहां मौजूद हैं, जिला परिषदों के प्रमुख और पंचायत समितियों के प्रधान जिस संख्या में आये हैं, कैसे आये हैं वह बाद में निवेदन करूंगा, तो क्या मैं यह मानकर चलूं कि मुख्य मंत्री जी के कथन के अनुसार चूरू जिले से भारतीय जनता पार्टी विदा हो

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(61)

(श्री शिवनाथ सिंह)

चुकी है। वहां न प्रमुख आये हैं, न प्रधान आये हैं। यही हाल झुंझुनूं का है, यही हाल सीकर का है, यही हाल नागौर, बीकानेर और गंगानगर का है। तो मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई क्राइटेरिया नहीं है। देखना हमें इस बात को पड़ेगा कि जो चुनाव हुए हैं प्रधानों के, जो चुनाव हुए हैं जिला प्रमुखों के और पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषदों के सदस्यों के चुनाव हुए हैं उनमें क्या स्थिति है। पूर्ण रूप से ग्रामीण जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। आप देखें, 40 प्रतिशत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आये हैं और 60 प्रतिशत उनके खिलाफ गये हैं। पिछले दिनों 1। साल पहले, 1। साल पहले विधान सभा के चुनाव हुए थे उन चुनावों में माननीय सदस्य जो चुनकर यहां सदन में आये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कांग्रेस से अधिक थे। आज जो स्थिति आई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य चाहे वह जिला परिषदों के सदस्य हैं, चाहे पंचायत समितियों के सदस्य हैं कांग्रेस से बहुत पीछे हैं। इसलिए मैं यह मानकर चलता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी से अपने विचार सुदृढ़ रूप से सोचने के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मात दी है इन चुनावों में। और अपना आधार जो कांग्रेस का गांवों में है उसको कायम रखा है। आपने जोड़-तोड़ के आधार पर, +++ के आधार पर पंचायत समिति और जिला परिषदों में इधर-उधर करके आपने कुछ प्रधान और जिला प्रमुख बना लिये उससे वह क्राइटेरिया नहीं आता है कि किस का वहां बहुमत है और किस का नहीं है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी इस बात के लिए सोचें कि चुनावों में उनके दल में बहुत बड़ी गिरावट आई है। मुख्य मंत्रीजी ने अलग-अलग प्रान्तों का भी कहा। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, अलग प्रान्तों की बात में इतना ही कह कर निवेदन करना चाहूंगा कि आज दूसरे प्रान्तों में भी आपकी जो दुर्गति हुई है आप बिहार के लिए अपना श्रेय लेना चाहते हैं, और कहीं का श्रेय लेना चाहते हैं आपकी भयंकर दुर्गति हुई है और महाराष्ट्र में जिसका आप ढिंढोरा पीटते हैं, मेरे ख्याल से आपकी दुर्गति यह शिवसेना इतनी बुरी तरह से करेगी कि आप संभल नहीं पाओगे।

माननीय सभापतिजी, चुनावों में धांधलियां हुई। लोगों को प्रभावित किया गया। हम भुगतभोगी हैं और इस केबिनेट की सरकार के मंत्रीगण हर जिले में गये। वहां बैठे रहे और लोगों पर इतना भयंकर दवाब दिया अपने पक्ष में और अपनी पार्टी के पक्ष में प्रधान और प्रमुखों को वोट देने के लिए। मैं उन सभी साथियों का साधुवाद करता हूं कि इतने दवाब के बाद भी कांग्रेस के साथ वह रहे। एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण हैं और आज तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इनके मंत्रियों ने एक मिसाल पैदा कर दी। कोई भी भला आदमी जिस परिवार का सदस्य कोई राजसेवा में है वह क्या चुनाव में लड़ने की हिम्मत कर सकता है? पता नहीं इनकी इन्टेलीजेन्स राजेन्द्र मिर्धा के मामले में फेल हो गयी लेकिन

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(62)

(श्री शिवनाथ सिंह)

इतनी बड़ी इन्टेलीजेन्स इनके पास है कि कौन सदस्य जो पंचायत समिति और जिला परिषद् में चुनकर आया है उसकी बीबी कहां है, उसका भाई कहां है, वह कहां नौकरी करता है और बड़े-बड़े राज्य के अधिकारी हैं उसमें उनको दबाते हैं और यह मजबूर करते हैं कि तुमको राजसेवा में रहना है, तुमको यहां रहना है, सस्पैण्ड होना है इस बात का फैसला तुम्हारे ऊपर है तुम अपनी बीबी का वोट दिलाओ, अपने भाई का वोट दिलाओ। इस प्रकार के दबाव पंचायत चुनावों में यह करें, यह बड़े +++ की बात है माननीय सभापति जी, इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूं।

माननीय सभापतिजी, नया एक्ट लाया गया और नये एक्ट में बहुत प्रावधान किये गये। माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हम पंचायत राज को सुदृढ़ करना चाहते हैं। आज क्या हाल हैं उस पंचायती राज के। आपके डी.आर डी.ए. की क्या स्थिति रह गयी ?

(14.00)

जिला परिषद् की क्या स्थिति रहेगी और जिला प्लानिंग कमेटी की क्या स्थिति रहेगी, इसकी आपके दिमाग में कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है। आज डी आर.डी.ए. भी काम कर रही है, जिला परिषदों को आपने कोई काम दिया नहीं है, जिला प्लानिंग कमेटियां आपने बनने नहीं दीं और उनको कोई साधन नहीं दिये, यह स्थिति आज के दिन है। न कोई अधिकारी अपने दिमाग में स्पष्ट है कि उसको क्या करना है, न कमेटी को स्पष्ट है कि उसको क्या करना है।

इन बातों की तरफ तो राज्य सरकार और मुख्य मंत्रीजी ध्यान देते नहीं हैं और यहां हमको कहते हैं, आपका सफाया होगा। माननीय सभापतिजी, कांग्रेस का सफाया न हो सकता है और न कभी हुआ है। यह तो ऐसी संस्था है जिसका बहुत लम्बा चौड़ा इतिहास है। कांग्रेस जिस रोज बनी थी उससे आज दिन तक कांग्रेस है। इधर कभी राम राज्य परिषद्, कभी जनसंघ, कभी जनता पार्टी, कभी जनता दल और कहीं समता पार्टी, पता नहीं, कितने रूप आपने बदल लिये और कितने रूप आप बदलते जाओगे, कोई कह नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस के ऊपर लांछन लगाने से पहले, कांग्रेस की आलोचना करने से पहले अपना मन तो टटोलिए, आप कहां हैं .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अभी आप कहां हो ? ..

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बैठे-बैठे बातें नहीं करें। यह डेकोरम नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने कहा मैं कहां हूं, आप जानते हैं, आपका दिल जानता है, आपके मुख्य मंत्रीजी, नेता महोदय जानते हैं कि मैं कहां हूं। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं, कांग्रेस में रहा हूं और कांग्रेस में आज भी हूं। आपको इस बात का कोई मुगालता

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शिवनाथ सिंह)

नहीं होना चाहिए और इसी बात के लिए आप अपने नेता जी से पूछिये ।

माननीय सभापति जी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां आंकड़े पेश किये, हमारी योजना में वृद्धि हुई है, पर-कैपिटा इन्कम बढ़ी है, विकास के कार्यों में प्रगति हुई है और कई बातें हुई हैं । सही है, आज यह विकासशील युग है । सम्पूर्ण भारत के प्रान्त सम्पूर्ण संसार के देश प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और उस प्रगति में राजस्थान का बढ़ना आवश्यक है, बढ़ा है । मुख्य मंत्रीजी ने आलोचना की, मिलान किया कि पहली योजना में कितना रुपया, दूसरी में कितना रुपया और तीसरी में कितना रुपया । माननीय सभापतिजी, प्रगति का आकलन रुपये से नहीं होता है । उस समय रुपये की कीमत क्या थी और आज रुपये की कीमत को अगर देखेंगे तो आपकी योजना बहुत छोटी है । उन योजनाओं में जिसके लिए आप कहते हैं कि कांग्रेस ने 40 साल तक राज किया, उसमें जो प्रगति हुई, उस प्रगति का मूल्यांकन आप करना चाहें, उन विकास कार्यों का मूल्यांकन आप करना चाहें तो आपकी प्रगति उसके मुकाबले बहुत बौनी है । आप इस बात का घमण्ड नहीं करें हम इतना रुपया योजना में रखते हैं । आपको देखना यह पड़ेगा कि आपने जो कुछ रुपया योजना में रखा है, उसका रिटर्न पब्लिक को क्या मिला है । आज सड़कों की हालत, अस्पतालों की हालत, बिजली की हालत देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी योजनाओं के मुकाबले क्या आज के दिन जनता में सन्तोष है ? आप इतना रुपया खर्च करने की जो बात कहते हैं, उससे जनता को क्या मिला ? जनता आज निराश है और आपके किसी भी काम पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है ।

माननीय सभापति जी, पिछली बार बजट पेश करते वक्त मुख्य मंत्री जी ने कहा था यह बजट शिक्षा को समर्पित है, आज वह कह रहे हैं यह बजट स्वास्थ्य को समर्पित है । 12 महीने पहले यहां आंकड़े पेश हुए थे कि शिक्षा के मामले में हम यह करना चाहते हैं । हमने पूछा था कि कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें अध्यापक नहीं हैं, कितने स्कूल ऐसे हैं जिनके मकान नहीं हैं । एक तस्वीर हमारे सामने आयी, शिक्षा को समर्पित बजट में हम यह मानकर चल रहे थे कि साल के आखिर में कुछ न कुछ मिलेगा । कल जब माननीय शिक्षा मंत्रीजी फिगर्स दे रहे थे, उन्होंने कहा कि आज अध्यापकों के इतने पद रिक्त हैं । माननीय नाथूसिंह जी चतुर निकले, उन्होंने एक आदेश निकाल दिया 27 मार्च को हमारे प्रश्न पूछने के बाद कि अध्यापक लगा दिये गये हैं, बजट दे दिया गया है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि जो एक साल तक आप अध्यापकों को वेतन देते, वह बजट कहां गया ? वह पूरा रुपया आपने बचा लिया और मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि मैं घाटे को जीरो पर ले आया हूं । यह तो जीरो पर कोई भी ला सकता है । जो प्रावधान आपने बजट में हमसे पास करवाये, जनता के सामने रखा कि हम इतना शिक्षा के लिए खर्च करेंगे, वह कहां गया ? शिक्षा मंत्रीजी कह रहे थे कि स्थान खाली हैं, हमारी मजबूरियां हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी बात नहीं मानता है, हाई कोर्ट में

(श्री शिवनाथ सिंह)

मामले पड़े हुए हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी आप बताइये, हम आपकी क्या मदद करें ? पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी नहीं मानता है, लैक्चरर्स के पद नहीं भरता है, प्रधानाध्यापक के पद नहीं भरता है, हम तो आपका इतना ही सहयोग कर सकते हैं, हममें से किसी को आप बैठा दीजिए, आपकी मदद करेंगे, सलैक्शन करवा देंगे। यह संस्थाएं आपकी बात नहीं मानती हैं तो आप राज करने के लिए किस प्रकार अधिकारी हैं ? वह संस्थाएं अपने आप में कुछ हैं लेकिन फिर भी राज्य सरकार का दायित्व है कि वह ऐसी स्थितियां पैदा करवाए, अपनी मांग रखे और स्कूलों में अध्यापकों की पूर्ति करें।

माननीय सभापति जी, कांग्रेस के शासनकाल की तुलना की गयी है। कांग्रेस के शासनकाल की उपलब्धियों से आप पीढ़ियों तक मुकाबला नहीं कर पाओगे। कांग्रेस ने इस राजस्थान के लिए एक सुदृढ़ नींव रखी, विकास के कार्यों के लिए सुदृढ़ आधार रखा, आप तो अभी तक उसमें चल ही नहीं पा रहे हो। कौनसे आपने नये काम किये, कौनसा बिजली का उत्पादन आपने किया, कौनसा काम आपने किया जिससे हम कह सकें आप कांग्रेस से आगे हैं ? इसलिए इन कम्पेरिजन्स में "आपको नहीं" पड़ना चाहिए। आप अपनी बात कहो। ठीक है, आपकी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को हल करने में हम आपकी मदद करेंगे लेकिन आप यह कह कर मत टालिये कि आपने नहीं किया इसलिए हम भी नहीं करेंगे। इस तरह राज का कोई भी काम हो नहीं सकता।

माननीय सभापतिजी, मैं बहुत बातों के ऊपर न जाकर दो-तीन बातों की ओर संकेत करना चाहूंगा। बिजली के मामले में इस सदन में बहुत चर्चा चली और उस चर्चा में सब बातें उभर कर सामने आयी। मोटी बात यह थी कि आज का विद्युत मण्डल उपभोक्ता के लिए निर्दयी बना हुआ है, उसके मन में उपभोक्ता के लिए कोई जगह नहीं है। किसान को बिलजी देने के लिए पिछली बार बात आयी, बहुत लम्बी चौड़ी बात हुई। किसान खुश हुए, नयी-नयी सरकार आयी है और सम्पूर्ण सदन ने एक राय व्यक्त की वे माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि हम 8 घंटे बिजली देंगे। वह बिजली कहां है ? आज भगवान की मर्जी से वर्षा हो गयी। किसान की फसल बच गयी वरना आप यह जो ढिंढोरते कि हमारे समय में कृषि पैदावार में बढ़ोतरी हुई है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह कृषि पैदावार में बढ़ोतरी न होकर पूरा घाटा होता यदि भगवान की मर्जी न होती। यह तो वर्षा हो गयी और किसान की फसल बच गयी आपके भरोसे यदि किसान खेती करता तो उसको जो लाभ मिलने वाला है जिसकी वह अपेक्षा करता है, उसको मिल नहीं पाता। इसलिए इस बिजली के मामले में यह सदन सब जानता है, देश की जनता जानती हैं, किस प्रकार का भार आपने बढ़ाया है। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी यहां नहीं है, उनको तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस उच्छृंखल घोड़े की लगाम कसने की कुछ चेष्टा की है। अभी पांच-सात रोज पहले वह एक प्रस्ताव लेकर आये थे कि विद्युत मण्डल को 2500 करोड़ रुपये तक की उधार लेने की हम इजाजत दें, हमने दी लेकिन उस दो

(श्री शिवनाथ सिंह)

घण्टे की बहस में वे मुद्दे उठकर सामने आये और उनके उठाने के बाद इन्होंने कुछ लगाम कसने की चेष्टा की और मैं उनका धन्यवाद करता हूं, आभार मानता हूं कि वे +++ आदेश, +++ आदेश जो बोर्ड के चेयरमैन ने दिये थे, सब इनको विथड्रा करने पड़े। आज स्थिति यह है, वे आदेश खतम हो गये और किसान को कुछ राहत मिलने की आशा है लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, माननीय सभापति महोदय, जो विद्युत मंत्रीजी को करनी पड़ेंगी। आज एक किसान का कनेक्शन जिसके 100 रुपये का बिल आता है, 28 तारीख पेमेंट की होती है, 29 तारीख को उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन हालत दूसरी क्या है ? अभी मुझे एक प्रश्न के जवाब में एक सूची मिली है, मैंने यह पूछा था कि विद्युत मण्डल का कितना रुपया जो 50 हजार रुपये से ऊपर की राशि हो, नीचे वाली नहीं, कितनी ऐसी यूनिट्स हैं, कितने ऐसे उद्योग हैं जिनमें आपका 50 हजार रुपये से ऊपर बकाया है। और वह सूची यह है कि 501 उद्योग ऐसे हैं जिनमें आपके 50 हजार रुपये से ऊपर की राशि बकाया है। सभापति महोदय, वह राशि कम नहीं है, कई करोड़ों में है, अरबों के पास वह बकाया है। उसकी वसूली के लिए आपने क्या किया ? मैं दो-तीन उदाहरण दूं –

श्री सीमेंट लिमिटेड में 41 लाख रुपये, पालीवाल मिनी स्टील लिमिटेड में 266 लाख रुपये, हनुमान मिनरल एण्ड ग्रेण्डी में 111 लाख रुपये बकाया है।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : मेरी नहीं है यह।

श्री शिवनाथ सिंह : मोदी जी को नहीं कहता हूं। मोदी एल्कालिज एण्ड केमिकल में 401 लाख रुपये, एलोइस प्राइवेट लिमिटेड में 124 लाख रुपये, आधुनिक केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में 143 लाख रुपये, पोद्दार स्टील प्लांट में 113 लाख रुपये, सर्राफ पेपर मिल्स में 113 लाख रुपये, सर्राफ सिन्थेटिक्स में 114 लाख रुपये, नार्दन कार्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में 121 लाख रुपये, दीप स्पेशल स्टील में 260 लाख रुपये, सूरत ऑयल में 166 लाख रुपये बकाया है। सभापतिजी, आश्चर्य होगा जयपुर में बैठी हुई इण्डस्ट्रीज में मान इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन में 84 लाख रुपये, मान इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन में 142 लाख रुपये, जयपुर स्पिनिंग में 49 लाख रुपये, पोद्दार स्पिनिंग में 99 लाख रुपये और प्राइमर केजिटेबल्स में 108 लाख रुपये ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : बन्द है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति-जी, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि विद्युत मण्डल, राज्य सरकार इन पैसे वालों से, उद्योगपतियों से मिली हुई है और उनसे वसूल नहीं करना चाहती है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने शायद कहा कि ये बन्द हैं ..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सिक हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं यही कह रहा हूं कि ये जो सिक हैं, इनको सिक

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(66)

(श्री शिवनाथ सिंह)

होने का अवसर आपने दिया। इनसे वसूल करने की आपने ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पिछले 10 वर्षों से ये सिक फर्म्स हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं यही कह रहा हूं कि इनको सिक होने का आपने मौका दिया, इनसे वसूली नहीं करने का आपने मन बना लिया और यदि आपका वसूली करने का मन होता तो न तो ये सिक होतीं और न कोई दूसरी बात होती। माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वसूली का एक तरीका होता है, इन संस्थाओं का, इन उद्योगों का एक झगड़ा हो सकता है कि हमारे अन्दर बकाया कम है, बकाया ज्यादा दिखा रखा है। एक बार यदि यह करते कि उनसे स्टेटमेंट लेते कि आपके अन्दर कितना बकाया है, वे अपने हिसाब से सोचते, उतना रुपया तो जमा कर लेते आप लेकिन इनको बराबर छूट दिये जा रहे हैं। उनकी प्रोपर्टी आज के दिन है। सिक हैं, हो सकती हैं लेकिन उनकी प्रोपर्टी आज के दिन है, उनके और दूसरे सामान हैं और फिर उनकी शिक्षण संस्थाएं हैं। एक संस्था चली उसमें बकाया हो गया, दूसरी खोल ली। क्यों आपने उन दूसरी को कनेक्शन दिया? जैसे एक किसान, एक कंजूमर घर का है उसके घर का कनेक्शन कट गया तो उस मकान में दूसरा कोई भी आदमी उस बकाया को चुकाये बिना कनेक्शन नहीं ले सकता। यह सब आपकी मिलीभगत है और सरकार का +++ है, बोर्ड का +++ है। ये काश्तकार को तबाह करने पर तुले हुए हैं और इनसे वसूली करने का इनका मन नहीं है।

श्री सभापति : मैं निवेदन करूं, 25 मिनट आपके हो चुके हैं। It is an indication.

श्री शिवनाथ सिंह : सिर्फ 5 मिनट। माननीय सभापतिजी, बिजली के मामले में मैं 2–3 सुझाव देना चाहूंगा ...

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : सिक यूनिट्स हैं। अभी सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी कह रहे थे कि 10 साल से उनको सिक मिली, जैसे हमने कोई कीटाणु डाल दिये हों बीमार करने के लिए। अब आपकी योजना है क्या इनकी हैल्थ रेस्टोर करने की? कोई इंजेक्शन है आपके पास में या आप यह हमने सिक बना दी, हमने सिक बना दी, जैसे कि हमने कोई इस तरह के प्लेग के जर्म्स डाल दिये उसके अन्दर ले जाकर के। वे अपने किन्हीं कारणों से सिक बन गयीं, राज्य सरकार की जो नयी पालिसी है, इस पालिसी के अन्तर्गत इनको वापस वायेबल यूनिट बनायें ताकि आज जो सरकार का इतना बड़ा पैसा पड़ा हुआ है इनके अन्दर, जो स्टेग्नेट हो गया है, उसकी वसूली हो सके और यूनिट भी वापस वायेबल बन सके। सरकार ने ऐसा कुछ सोचा है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के सन्दर्भ में चर्चा की थी। जहां तक रिवाइवल का

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सवाल है, वह एक अलग प्रश्न है जिस पर मुख्य मंत्रीजी और आपके (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मैं उत्तर की आपसे आशा नहीं रखता हूं क्योंकि यह विषय आपसे सम्बन्ध नहीं रखता है लेकिन बात यह कि सिक वाली बात का तो आपको ध्यान है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्योंकि कोटा की दो फैक्ट्री बतायी है ।

श्री परसराम मदेरणा : बीमार करने में तो आप माहिर हो लेकिन उसको तंदुरुस्त बनाने में और उसका स्वास्थ्य ठीक करने के अन्दर भी आप कभी सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं ?

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : जो बड़े उद्योग हैं, इनकी सिकनेस की जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया है और बी आई एफ आर है वहां पर, वह ध्यान देती है । राजस्थान सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती ।

एक माननीय सदस्य : बिजली की रिकवरी भी वे करे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : विषयान्तर हो रहे हैं, बी आई एफ आर कहां से ...

श्री परसराम मदेरणा : अनुभव की बात कह रहे हैं लेकिन इनके अनुभव का आप लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापतिजी, बिजली के मामले में 2–3 बातें मैं कहना चाहूंगा । आज पहली बिजली बनाने की आवश्यकता है, दूसरी बिजली के विस्तार की आवश्यकता है और तीसरा पाइंट आता है कंज़ूमर । आपने एक विद्युत मण्डल बना रखा है । इसको आप इतना क्यों दबाओ कि कच्चे मटके की तरह फूट जाए । इतना मार मत दो इनको, आप अलग व्यवस्था कीजिये कि जो सिर्फ बिजली के उत्पादन से सम्बन्धित हो वह बिजली का उत्पादन ही करे । ऐसी संस्था, उसका नाम कुछ भी दे सकते हो, भण्डारी साहब को पीड़ा हो सकती है कि उनके अधिकार क्षेत्र को, उनके साम्राज्य को छीना जा रहा है लेकिन वह देश हित में, प्रान्त हित में हो तो किया जाना चाहिए ।

दूसरा, यह है कि बिजली की लाइनें बिछाने का काम आज इतना बड़ा हो गया है कि वह एक विद्युत मण्डल नहीं कर सकता । इसलिए बिजली की ट्रांसमिशन लाइन बिछायी जाए, छोटी-बड़ी लाइन बिछायी जाए, यह काम दूसरे को दीजिये और कन्जम्प्शन का काम जो कंज़ूमर से सम्बन्धित है वह काम तीसरे को दीजिये । यदि यह आप कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से इस मामले में काफी सुधार हो सकता ।

श्री सभापति समाप्त करें ।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति जी, स्कूलों के मामले में भी थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री परसराम मदेरणा : बिजली के मामले में काफी कुछ कर सके, मैं कोई चार्ज नहीं लगा रहा हूं लेकिन, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, मैंने एज ए प्रेसीडेंट आफ ए पालिटिकल पार्टी, टेलीविजन पर एक भाषण

(श्री परसराम मदेरणा)

दिया था और इसमें एक चिन्ता यह प्रकट की थी कि आने वाले 10 सालों के अन्दर राजस्थान की प्रगति को जबरदस्त सेटबेक लगने वाला है और यह स्टम्बलिंग ब्लाक जो क्रियेट हो रहा है, बिना पावर जनरेशन के, यह आने वाली संतति को कई वर्षों तक भुगतना पड़ेगा। मैं समझता हूं, यह बहुत ही सीरियस मैटर है, आप कहां उम्मीद कर रहे हैं। जो वित्त मंत्रीजी का पैरा नम्बर 16 है, वह उपभोक्ता नीति (व्यवधान) आप रूकिये अभी ठहरिये, उपभोक्ता नीति कुछ नहीं है। यह आपकी रेट बढ़ेगी, यह टेरिफ इन्क्रीज हो रही है। काश्तकार को क्रुसिफाई करने के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए बकरे की तरह उसको खड़ा करो आप, यह सब पालिसी उसके ऊपर है। इनकी सब निगाहें हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापतिजी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो कहा पर मेरा कहना यह है कि 10 साल तक ये इधर रहेंगे, इसमें मुझे संदेह है और यह काम तो अन्त-पन्त आपको ही करने पड़ेंगे। इसलिए पहले से ही आप तो चिन्ता कीजिए, और वह काम करना चाहिए।

श्री परसादीलाल मीणा : 14 महीने रहेंगे।

श्री किशन गोपाल कोगटा : 15 साल रहेंगे।....(व्यवधान)....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति जी, मैं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा कि यह स्वास्थ्य को समर्पित बजट है लेकिन स्वास्थ्य की हालत क्या है? खुद स्वास्थ्य का ही स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। आज डाक्टर अस्पतालों में नहीं हैं, खाली पड़े हैं और जो अस्पतालों में डाक्टर्स लगे हुए हैं वह अपने घरों में क्लिनिक खोले हुए बैठे हुए हैं अस्पतालों में कभी जाते नहीं हैं। एस.एम.एस. से लेकर गांव की छोटी से छोटी डिस्पेंसरी को आप देख लीजिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी नाराज हो सकते हैं लेकिन मैं उनको चैलेंज करता हूं, दावत देता हूं कि आप एट रेंडम किसी भी जगह चले जायं, कोई डाक्टर आपको हास्पिटल में काम करता हुआ नहीं मिलेगा। और जहां हास्पिटल हैं, उनकी हालत क्या है? पट्टी साथ ले जाओ, सूई साथ ले जाओ, एक्स-रे फिल्म साथ ले जाओ। यह हालत है आपके हॉस्पिटल्स की। सफाई आप करवा नहीं सकते, एस.एम.एस. का ठेका दे दिया, और कहीं का ठेका दे दिया। मेरे ख्याल से फिर यह पूरी सरकार ठेके में क्या नहीं दे देते हैं? आप बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं, ठेके में दे दो, आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सकते हैं, ठेके में दे दो और प्राइवेट एन्टरप्रिन्योर को आपने इन्वाइट किया ही है। प्राइवेट एन्टरप्रिन्योर जब स्वास्थ्य के मामले में आ जाएंगे, सड़कों में आप बुलवा रहे हैं, माननीय श्री चतुर्वेदी जी। इसलिए आप ठेका प्रथा को कहां तक ले जाना चाहते हैं? म्युनिसिपैलिटीज की सफाई का ठेका, म्युनिसिपैलिटीज की चुंगी का ठेका, कहां तक आप इसको ले जाएंगे? इसलिए एक तो नीतिगत सवाल यह पूछना चाहूंगा कि आपकी स्वास्थ्य की नीति क्या पूछना चाहूंगा कि आपकी स्वास्थ्य की नीति क्या है, आप कितनी पापुलेशन पर एक

(श्री शिवनाथ सिंह)

डाक्टर रखेंगे ? यह तो आप कम से कम स्पष्ट कीजिए। आज कई स्थान हैं, जहां भी हॉस्पिटल्स हैं, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां डाक्टर नहीं है। इसलिए आप नीतिगत निर्णय लीजिए कि इतनी पापूलेशन पर हम एक डाक्टर रखेंगे।

दूसरा यह निवेदन करना चाहूंगा कि

श्री सभापति : समाप्त करें। मैं समझता हूं कि आपको आधे घण्टे से ज्यादा हो गया।

श्री शिवनाथ सिंह : भगवान के नाम पर नये-नये....

श्री सभापति : नेचुरल है, Everybody speaks important things.

श्री परसराम मदेरणा : यह गम्भीर मैटर है, स्वास्थ्य मन्त्रीजी बैठे हुए हैं, आपने एक अप्रेल को बजट स्वास्थ्य के सुपुर्द कर दिया, मच्छर ठोक रहे हैं मुझे रोज। स्वास्थ्य मंत्रीजी मैं ईमानदारी से कह रहा हूं—It is a God above, I tell you. कम से कम 10–15 मच्छर पिछले 15–20 दिन से मार रहा हूं। कभी प्लास्टिक की बैंत लिये हुए दौड़ता हूं, कभी छोटा टावल लेकर दौड़ रहा हूं। जैसे कोई पागल आदमी दौड़ रहा हो वैसे मच्छर मार रहा हूं। आप मेहरबानी करके सबसे पहले यह समर्पित बजट में मच्छरों से हमारा पिंड तो छुड़वाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा): माननीय सभापति महोदय, मैंने एक समाचार-पत्र में पढ़ा था कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने मच्छर मारने में....

श्री परसराम मदेरणा : आप घर आकर देख लें, मैंने पूरी दीवार खराब कर रखी है मच्छर मार-मार कर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : महारथ हासिल की है, मैं चाहूंगा कि आपने जो अनुभव से मच्छर मारने में महारथ हासिल की है, वह माननीय सदस्यों को भी बतायें। इससे उनको भी लाभ मिलेगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप मेरे घर तो आवो, मच्छर रोज मार रहा हूं। अभी ही नहीं मार रहा हूं।

श्री सभापति : This is no reply. माननीय मंत्रीजी बैठें आप। (व्यवधान) ... माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी, Conclude it, please.

श्री शिवनाथ सिंह : कन्क्ल्यूड ही कर रहा हूं। माननीय सभापतिजी, समय तो आप लोगों ने ले लिया।

माननीय सभापतिजी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने करों के बारे में कई घोषणाएं की हैं, कहीं स्लैब घटाया है, कहीं बढ़ाया है और कोई नये कर लगाये हैं, छूट भी दी है। एक कर आपने लगाया है खांडसारी पर। आज तक खांडसारी पर कोई कर नहीं लगा है, सैल्स टैक्स नहीं लगा है। खांडसारी कौन खाता है ? गरीब आदमी खाता है। या तो किसी को बालाजी को ढोक देने के लिए चूरमा चाहिए, वह आदमी खांड डालता है या भैरूजी का प्रसाद करने के लिए खांड

(श्री शिवनाथ सिंह)

डालकर चूरमा करता है तो, मुख्य मंत्रीजी नाम का तो लिहाज रखिये। आपके नाम पर जिस देवता को भेंट चढ़ती है, चूरमा करते हैं, उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया। दूसरा टैक्स आपने लगाया है आयातीत चीनी पर पहले से ही चीनी मंहगी है यह टैक्स आपने क्यों लगाया है ? क्या समझ कर लगाया है ? इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं है। टैक्स लगाना बुरा नहीं है न लगाना बुरा है। जिन लोगों ने समाज की कीमत पर सुविधाएं प्राप्त की हैं, अपनी स्थिति सुधारी है, उनका दायित्व है कि समाज के लिए वह खर्च करें और जो वर्ग सुविधाओं से वंचित है, वह उन वर्गों के लिए खर्च किया जाय।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अब कर नहीं लगायें लेकिन इस नीति में फर्क डालें। कर नहीं लगाये हैं, करों में छूट देकर वाह-वाही लूटना अच्छा नहीं है। समाज में सब वर्गों के अन्दर समानता रखने के लिए, सब वर्गों को लाभ मिले इसलिए कर लगाना वाजिब है। आपने यह कहा कि केन्द्र ने जो बजट पेश किया था, वह चुनाव को ध्यान में रखते हुए, पार्लियामेंट के चुनाव को ध्यान में रख कर पेश किया था। माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने यह जो बजट पेश किया है वह आगामी पार्लियामेंट के चुनावों को ध्यान में रखकर नहीं किया है ? क्या आप इस बजट का गुणगान आपके पार्लियामेंट के चुनावों में जो भाषण होंगे, उनमें नहीं करेंगे ? इसलिए चुनाव का दृष्टिकोण है, यह उसके हिसाब से बजट पेश होना चाहिए और वायदे हमने जनता से किये हैं, कांग्रेस ने जनता से किये हैं, हमारी दिल्ली की सरकार ने जनता से किये हैं, उनको पूरा करने के लिए, ध्यान में रखते हुए बजट पेश होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री राजपालसिंहजी।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क) : माननीय सभापतिजी, अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण में और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुख्य मंत्रीजी के जवाब के दरमियान मुख्य मंत्रीजी ने जो बातें कीं, जो मुलम्मा चढ़ाया, जो वाह-वाही की बातें कीं, उसकी सारी की सारी पोल श्री बैद साहब की स्पीच से निकल गयी। उन्होंने यह भी कहा कि श्री बैद साहब ने चर्चा की, कभी राजकोषीय घाटे की, कभी उन्होंने चर्चा की राजस्व घाटे की और कहा कि राजस्थान तो कर्ज से डूब गया। दुर्भाग्य से हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर नोशंस हैं, कुछ वैल्यूज को एस्टेब्लिश कर देते हैं हम खुद ही कि चुनाव के साल के अन्दर बजट चुनावी होना चाहिए। बजट तो चुनावी और गैर चुनावी जैसा होना नहीं चाहिए। बजट तो बजट होना चाहिए। दुर्भाग्य से हम देश के अन्दर बजट के रूप में बजट पेश अभी तक नहीं कर पाये हैं और यह संस्कृति जो कांग्रेस की चली आ रही है, यह संस्कृति बजटीय संस्कृति नहीं कहलाती है। यह अपने आप में एक कुप्रबन्ध है, यह अपने आप में

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

मेल-मैनेजमेंट है जिसमें मेलाफाइड इंटेंशन की बदबू तक आती है और बजट की सेंविटटी तक को नुकसान होता है। यही कारण है कि कांग्रेस आज जो दिन भुगत रही है जिसको भुगतने का उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा यह उसका एक्युमुलेटेड लास है। यह जो आपका कर्ज जनता पर चढ़ गया है, उस कर्ज से आप बिलकुल दब चुके हैं।

मैं, सभापति महोदय, इस मौके पर इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि (व्यवधान) ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राजपालसिंह शेखावत : मैं जानता हूं, कुछ मेरे मित्र हैं जो मेरे विचार सुनना पसन्द करेंगे लेकिन फिर भी मेरी कुछ अपनी तकलीफ हो सकती है, मैं आज के दिन (व्यवधान) ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। Please, come to order. आर्डर प्लीज।

श्री राजपालसिंह शेखावत : सारे के सारे काम लोकप्रिय हों, यह जरूरी नहीं है, लोकहित में होने चाहिए, यह जरूरी है। यह चीज आपने मेरी चर्चा से सीख ली तो जिस विधान सभा का कई टर्म्स से ट्रेंड आ रहा है कि केवल 30 पर्सेण्ट लोग रिटर्न होकर आ रहे हैं, कांग्रेस के भी और बी. जे. पी. के भी, सभी के, 29-30 पर्सेण्ट लोग, बाकी लोग पता नहीं कहां चले जाते हैं, आज 200 सदस्य यहां बैठे हैं, उनमें से सोचता हूं कि 140 चले जायेंगे जो ट्रेंड चल रहा है, उसके अनुसार।

श्री परसादीलाल मीणा : आपका तो पूरा मंत्रिमण्डल ही चला जाता है।

श्री राजपालसिंह शेखावत : आपके भी गये हैं, आपके मुख्य मंत्री लुढ़क गये, आपके कौन लुढ़क गये, प्रधान मंत्री लुढ़के। माननीय सदस्य, सब की चर्चा नहीं करनी चाहिए। कई मुख्य मंत्रियों के नाम आएंगे, यहां एक दो के नाम गिना पाएंगे, ज्यादा का नाम नहीं गिना पायेंगे, प्रधान मंत्रियों के नाम आएंगे। इस पर चर्चा करने से बजट की बहस पूरी नहीं हो पाएगी।

मैं तो केवल इतना सा आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि गये 40-45 साल में जितने आपने बजट पेश किये हैं या जितने बजटों को इवेल्युएट करने की आपने कोशिश की है, उनका नजरिया या तो राष्ट्र हित होना चाहिये और दृष्टिकोण आर्थिक होना चाहिये। जो सही है, वह सही है और जो गलत है, वह गलत है। आपकी पालिटिकल विशेज इकोनेमिक्स से पूरी नहीं हो सकती। आप कहना चाहेंगे कि कर्ज ले लिया, कर्ज में डूब रहा है, राजस्थान डूब गया, हमारे जाने के बाद डूब गया। हमने इतना सा कर्जा छोड़ा था, इतना कर्जा हो गया, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, राजस्व घाटा बढ़ रहा है। अब राजस्व घाटा क्या अछूत है? राजकोषीय घाटा क्या अपने आप बढ़ जाता है? इसके कारण क्या हैं? यह राजस्व घाटा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है? बजटरी डेफिसिट आता है, क्यों आता है?

(72)

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

यह अपने आपमें अछूत नहीं है। नोन-प्लान आउटले अछूत नहीं है, गैट अछूत नहीं है, कोई भी अछूत नहीं है। इनमें से मुद्दा यह है कि यह लिया क्यों जाता है? बजट एकाउन्ट्स नहीं हैं, बजट तो सरकार की एक नीति है, उसकी एक स्ट्रेटेजी है उस आब्जेक्ट को पूरा करने की, जिस आब्जेक्ट को वह चैरिश करती है। यह लोंग टर्म स्ट्रेटेर्जी है जिसको एक साल के समय में नहीं देखा जाना चाहिए। गयी साल बजट में था, उससे एक रुपया कम हो गया, बजट गड़बड़ हो गया। बिजली पर दाम बढ़ा दिये, बजट किसान विरोधी हो गया।

अब कोई चीज मेरी समझ में नहीं आती हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आप बड़ी चर्चा कर रहे थे कि फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए और फिस्कल डेफिसिट इस कारण से है, यह रेवेन्यू अकाउण्ट डेफिसिट कम होना चाहिए। रेवेन्यू अकाउण्ट डेफिसिट ही है तो किसी न किसी रूप में राजकोषीय घाटे का कारण है। जब तक राजस्व अकाउण्ट में घाटा चलता रहेगा, तब तक आपका केपिटल एकाउण्ट बढ़ते रहेंगे और केपिटल अकाउण्ट का मोटे तौर पर, थम्ब रूल से अगर बात करें तो उसका मतलब है लोन। अब लोन उसके बढ़ते रहेंगे और वह लोन एक्युमुलेट होता जायेगा, राजकोषीय घाटा बढ़ता जायेगा। यह एक विशियस सर्किल है लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि यह देश और यह प्रदेश दोनों प्रगतिशील हैं और आप सब जानते हैं मेरे ख्याल से, प्रगतिशील देशों के अन्दर, प्रगतिशील राज्यों के अन्दर डेफिसिट प्लानिंग एक नोर्मल फेनोमेनन है। Deficit planning is rather a Compulsory phenomenon. Deficit financing is an obvious phenomenon. डेफिसिट पहले से होगी और जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी तो किस तरफ होगी और खास तौर से आपकी सरकार की नीति किस तरफ है, उस तरफ खर्चा ज्यादा होगा। आपने कहा था, कि आपका राजकोषीय घाटा बढ़ गया क्योंकि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए बढ़ गया क्योंकि यह सरकार गरीब को गणेश मानकर सेवा करती है। जिस सरकार का बजट शिक्षा को समर्पित होता है, जिस सरकार का बजट चिकित्सा को समर्पित होता है, उस सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडीचर बढ़ता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह गरीब के लिए बढ़ता है। यह गरीब के लिए बढ़ने वाला बजट है और गरीब के नाम पर अगर कोई खर्चा होता है तो आपको क्या तकलीफ है? क्या आपको इस बात की तकलीफ है कि बजट शिक्षा के नाम पर समर्पित नहीं होना चाहिए? क्या आपको तकलीफ है कि चिकित्सा के नाम पर समर्पित नहीं होना चाहिए था? आज आप खुद भी कह रहे हैं कि मास्टर्स नहीं आ रहे हैं। अभी दो दिन पहले इस बात पर चर्चा हुई थी कि मास्टर नहीं हैं, कुछ जगह लेक्चरर्स नहीं हैं। अभी आप कह रहे थे कि लेक्चरर्स के इन्टरव्यूज नहीं हो रहे हैं। अभी आप राठौड़ साहब से कह रहे थे कि कुछ जगह डाक्टर्स नहीं आ रहे हैं। डाक्टर्स नहीं आ रहे हैं, डाक्टर्स आने चाहिए। टीचर्स नहीं हैं, स्कूल में जाने चाहिए। इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। फिर यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां से बढ़ेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, यह

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

तो बढ़ेगा। सोशल सर्विसेज सेक्टर के अन्दर 25 पर्सेन्ट तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चला जाता है। उसको आप कहते हो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। यह एक्सपेंडिचर अगर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है तो जिस समाजवाद का आप नाम लेकर राज करते रहे, उस समाजवाद के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। सामाजिक सेवाओं की अपनी जिम्मेदारी से सरकार कोई मुक्त होना चाहती है तो मैं सोचता हूं, सबसे पहले विरोध तो इस कांग्रेस को इस बात का करना चाहिए लेकिन दुनिया बड़ी अजीब है। वक्त बदला, दिन बदले, लोग बदल गये, चेहरे बदल गये, नजरें बदल गयीं। लिबरलाइजेशन आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, इक्विटी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, और फोरेन एक्सचेंज आना चाहिए, फोरेन रिजर्व बढ़ना चाहिए। समाजवाद कहां गया, कोई तकलीफ नहीं। राजस्थान की सरकार अगर गरीब के लिए शिक्षा पर पैसा देती है, स्वास्थ्य पर पैसा देती है। सवाल उठता है, यह बढ़ कैसे गया, यह खर्चा कैसे बढ़ गया? समाजवाद की लगातार बात करने वाले आज सामाजिक सेवाओं पर किये जाने वाले खर्च के ऊपर सवालिया निशाने लगा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का हो नहीं सकता। इस समय तो मैं इतना कहना चाहता हूं, न कोई नॉन-प्लान एक्सपेंडिचर गुनाह है, न रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गुनाह है, न कर्जा लेना गुनाह है और न ही, मेरे दोस्तों, फ़िस्कल डेफिसिट गुनाह है। सवाल यह है कि यह क्यों हुआ, किसके लिए हुआ?

अभी बिजली की चर्चा चल रही है और कह दिया कि बिजली पर पैसा यदि बढ़ गया तो किसान विरोधी हो गये। मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर हमारी सारी की सारी इकोनोमी एग्रेरियन इकोनोमी है, एग्रीकल्चर इन्पुट का इसमें बहुत बड़ा रोल है और बड़ी सही बात आपने कही कि मानसून अच्छा था इसलिए जी. डी. पी. बढ़ गया। इसमें कोई सन्देह नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मानसून के बदलाव के साथ में जी डी.पी के अन्दर वेरिएशन आता है। जब मानसून निप कर जाता है तो जी. डी. पी. भी निप कर जाता है। जब मानसून ठीक होता है तो जी डी.पी. भी अच्छी होगी, यह सही है लेकिन साथ में यह भी सही है कि किसान कौन है? सवाल इस बात का है कि यह राजपाल सिंह, जमीन मेरे पास भी है, कुआ मेरे नाम भी है, बिजली मेरे कुएं पर भी है, मेरे हाथ में कोई आटन भी नहीं है। मुझे मेरे घर वालों ने कांवेन्ट में पढ़ाया, कालेज में आते ही कार दे दी, आज मैं एम.एल.ए. हूं, आक्युपेशन कल्टीवेटर लिखता हूं। एक मैं भी किसान हूं, एक किसान वह भी है जिसने अपनी औरत के जेवर को गिरवी रखकर बड़ी मुश्किल से कुआ खोदा और आज दिन वह चड़स से सिंचाई करता है, वह भी किसान है। एक आदमी जिसने अपने कुए के ऊपर बिजली लगा रखी है, साथ में किसी दिन बिजली फेल हो जाय तो डीजल इंजिन लगा रखा है। एक ऐसा है जिसने बिजली लगा रखी है, एक ने डीजल इंजिन लगा रखा है और एक आदमी ने न डीजल इंजिन लगा रखा है न बिजली लगा रखी है। तो मैं पूछना

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

चाहता हूं, इस तरह से किसी को आपने कनेक्शन दिया तो सही, दो तरफी मार उस आदमी पर हो रही है। एक तो यह कि आप बिल्कुल कवर्ड सब्सिडी दे रहे हैं, आर. एस. ई. बी. को छिपी हुई, हिडन सब्सिडी। रोज आप आर एस. ई. बी. की मार का भुगतान करते हैं और आर.एस ई.बी. का भुगतान इसलिए करते हैं क्योंकि आपने पैसा बढ़ा दिया तो आप किसान विरोधी हो जायेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी डरती है, कांग्रेस भी डरती है। मैंने कहा ना कि हम इलेक्ट्रोल कंसीडरेशन से ऊपर नहीं हैं। यह दुर्भाग्य है इस देश का (व्यवधान) आपके सेंटीमेंट्स और मेरे सेंटीमेंट्स मिलते हैं दरअसल, इसके बारे में व्यक्तिगत बात कर लेंगे लेकिन इतना ही अर्ज करना चाहता हूं इस मौके पर, एक तरफ तो अगर आपने बिजली की यूनिट पर कोस्टिंग से कम पैसा रिकवर किया और डेफिसिट आपने लगा दिया तो मुझसे पूछिये कि राजपाल सिंह, आज मकान बनायेगा तो कब बनायेगा? आज अपनी बीवी का खर्चा निकालेगा, अपना खर्चा निकालेगा, अपनी कार का खर्चा निकालेगा, दोस्तों की चाय का खर्चा निकालेगा और जब पैसा बच जायेगा तो मकान बनाने की सोचेगा। अगर राजपाल सिंह का आपरेशनल मेंटिनेंस एक्सपेंसेज ही मीट आउट नहीं हो रहे हैं, उसके लिए राजपाल सिंह को कर्जा लेना पड़ता है, किसी और की तरफ मोहताज होना पड़ता है तो राजपाल सिंह का मकान भी नहीं बनेगा। यही आर.एस.ई.बी. की हालत है। अब कौनसी इकोनोमिक्स से आर.एस.ई.बी. प्रोफिट जनरेट करना चाहते हैं? आप कहते हैं कि आर.एस.ई.बी. में नया जनरेशन कैसे नहीं हुआ? दो कारणों से नहीं हुआ। एक तो प्रोजेक्ट्स पाइप लाइन में नहीं थे इसलिए नहीं हुआ। दूसरा, दिल्ली से आपको क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, प्राइस एस्कलेट हो रही थी, इस कारण से नहीं मिला और तीसरा, इस कारण नहीं मिला, आर.एस.ई.बी. पर आपने ऐसी सब्सिडी कुलक्स लोगों की डाल दी किसानों के नाम पर कि जिससे फिर आर.एस.ई.बी. उठ नहीं पाई। आज एक तरफ उन कुलक्स को सब्सिडाइज रेट पर बिजली मिल रही है और दूसरी तरफ, जो सिंचाई के सबसे सस्ते साधनों में से एक है, बिजली वाले के तो गेहूं पड़ा 300 रुपये क्विन्टल कोस्ट आफ प्रोडक्शन, डीजल वाले के 325 रुपये क्विन्टल और 5 बीघा 3 बीघा की जोत वाले, चड़स से खेती करने वाले के पड़ा गेहूं 375 रुपये क्विन्टल। दोनों 450 रुपये बेच रहे हैं बाजार के अन्दर। गरीब पर एक और मार आपने लगाई। आप कौनसे किसान के समर्थक हैं, यह तो बताइये। आर एस.ई.बी. के समर्थक हैं। ठीक है, किसान के समर्थक हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है, किसान का समर्थक तो होना पड़ेगा, यह किसान के समर्थक हैं। यह सरकार चाहे आपकी हो या हमारी हो लेकिन लोक कल्याणकारी सरकार है और समाज के अन्तिम छोर के ऊपर बैठे हुए आदमी का खजाने के ऊपर पहला हक है और उसको यह हक दिलाने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है पर कौनसे किसान का सहयोग करना चाहते हैं, कौनसे किसान के इन्ट्रेस्ट को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? अब आज गरीब के ऊपर दो तरफ से मार रहे हैं। एक तो उसको

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

बिजली कभी नहीं मिलेगी या मिलेगी तो दो साल में मिलने वाली दस साल में मिलेगी। आप पावर जनरेट नहीं कर पाओगे और लगान उससे लेते जाओगे। आप पावर जनरेट करने के लिए नया पैसा लगा नहीं पाओगे। मैं कहना चाहता हूं कि बिजली की, पावर की जो प्रोब्लम है, अब तो ऐसी हालत हो गयी है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने यदि प्रोजेक्ट्स को टाइमली क्लियरेंस नहीं दी तो कोस्ट बहुत ज्यादा एस्कलेट हो जायेगी। मैं ऐसा समझता हूं कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों के वस का रोग अब पावर जनरेशन नहीं रहेगा। आज आपको एक तो साफ-साफ देखना पड़ेगा, बिजली का जुड़ाव आज की तारीख में इण्डस्ट्रियल सेक्टर से भी है इसका जुड़ाव एग्रीकल्चर सेक्टर से भी है, कौनसा सेक्टर है जिसका बिजली से जुड़ाव नही है और आप सब जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई के बीच में कितना गैप रहेगा। सन् 2000 में कितना रहेगा, पीक में कितना रहेगा, इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि उसको कैसे मीट-आउट करें। पब्लिक सेक्टर में जाये बिना तो इसका कोई इलाज नहीं है। दो दिन पहले किसी ने कह दिया कि डीजल से चार रुपये यूनिट बनेगी। वैसे वैदजी इकोनोमिस्ट हो सकते हैं, टेक्नोक्रेट हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इतनी जल्दी उन्होंने कोस्टिंग निकाल दी। अब यह एग्जेक्टली इकोनोमी कोस्टिंग नहीं है? जब तक आप उस टेक्नोलोजी के बारे में जानते नहीं होंगे, उसकी कोस्टिंग के बारे में नहीं जानते होंगे, इनके इन्पुट और केपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में नहीं जानते होंगे, इतनी आसानी से कोस्टिंग निकल जाय और पावर प्रोजेक्टस की निकल जाय, मैं सोचता हूं, फिर तो दुनिया के अन्दर मेरे जैसा आदमी भी कंसल्टेंट बन सकता है। ग्लोबल टेण्डर के अन्दर सी.एम. साहब के यहां डाल सकता है, डलवा सकता है, कम्पनी फ्लोट कर सकता है। सवाल अब एक ही सामने आ रहा है कि हमें यह लगे कि यह सोशल सर्विस नहीं है, यह इकोनोमिक सर्विस है। इकोनोमिक सर्विस पर आप फायदा नहीं दें, लेकिन कोस्टिंग लीजिये, कोस्ट दीजिये। कोस्ट रिकवरी तो करनी पड़ेगी। अब कोस्ट रिकवरी भी आप कराना नहीं चाहते, पावर आप क्रिएट करना चाहते हैं और अब स्थिति यह है, पावर बढ़ी नहीं, कनेक्शन दे दो, इतने कुएं एनरजाइज कर दो, इतने गांवों में विद्युत दे दो। हालत क्या है? वैदजी खुद ही कह रहे थे कि जब मैं अपने गांव जाता हूं और सुबह दाढ़ी बनाता हूं तो मोमबत्ती रख लेता हूं कि बिजली न जाने कब चली जाय। अब यह हालत क्यों हैं? पावर जनरेशन हैं नहीं और 5 कनेक्शन और दे दो, 10 कनेक्शन और दे दो, 20 कनेक्शन और दे दो तो क्या? जिस सिस्टम को कन्सोलिडेट करना चाहिए था ईमानदारी से फिलहाल, जनरेशन हो नहीं रहा, कंसोलिडेशन पर पैसा खर्च करना चाहिए था, साथ ही जनरेशन पर प्राइवेट सेक्टर में खर्चा करना चाहिए था। खुद को फाइनेंशली इम्प्रूव करके कन्सोलिडेटेड करना चाहिए था। अब यह सब हमने नहीं किया क्योंकि इलेक्टोरल कंसीडरेशन से ऊपर हम नहीं गये।

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं इस बजट के बारे में बात करते समय, इतनी लम्बी चर्चा इस बारे में मैं नहीं करना चाहता पर मैं कहना चाहता हूं, यह सवाल इस तरह का है कि अब यह फिस्कल डेफिसिट की बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी किन्हीं कारणों से बढ़ते हैं। कई बार जेन्युइनली बढ़ते हैं और कई बार नोन-जेन्युइनली बढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे नॉन-डवलपमेंटल हो, ऐसा नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 61 प्रतिशत डवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। मैं इतना ही इस बारे में अर्ज करना चाहूंगा, आपने जो यह माहौल बनाने की कोशिश की है कि राजस्थान को हमने कर्ज में डुबो दिया, आपके टाइम में इकोनोमिक डवलपमेंट बहुत जोरदार था, ग्रोथ रेट बहुत जोरदार थी, हमारे टाइम ग्रोथ रेट खत्म हो गयी, इतना इनपुट किया हमने और प्रोडक्शन आया नहीं, खत्म हो गया, आपने यह भी कहने की कोशिश की कि सातवीं योजना में हमने इतनी सड़कें बना दी, आपने आज क्या किया पांच साल में, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे को भी लगा कि ऐसा है तो बड़ा गम्भीर है। मैं घर पर गया, सबसे पहले मैंने सड़क का देखा तो पाया कि सातवीं योजना सबसे खतरनाक योजना सिद्ध हुई सड़क के क्षेत्र में 1951 से जो योजना शुरू हुई थी, 1951 की योजना में सड़क क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा पर्सेंटेज पैसा अलाकेट किया हुआ है और सबसे कम पैसा अगर किसी योजना में अलाकेट किया गया है, वह सातवीं योजना में किया गया है और सातवीं योजना कोई लम्बी-चौड़ी योजना नहीं थी, 2100 करोड़ के आस-पास की योजना थी। 2100, 3000 के करीबन योजना थी, मुझे नहीं पता रियलाइजेशन कितना किया उसका। अब इतनी सी योजना पांच साल में खर्च करने की और उसमें 2.9 प्रतिशत का आपका हिस्सा, जो आज तक का लोएस्ट है। फिर मैंने किताबें पढ़ीं, कि भाई, सधारण क्या है, ग्रेड बनती कितनी है, ग्रेबल वाली किस भाव बनती होगी, उन दिनों क्या भाव मिलती होंगी, आज भाव बढ़ गया होगा, तो मुझे लगा यहां तो एक अजीब चीज हो गयी। अगर ऐसा हुआ है तो मैं सोचता हूं राजस्थान का पूरा का पूरा ठेका, बैदजी बतायें उसको तो, यह सड़क नीति की कोई दरकार ही नहीं थी। बैदजी से पहले ही सी. एम. साहब की बात हो गयी होती और उन्होंने यह मंत्र बता दिया होता, सड़क नीति बनाने की कोई दरकार नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। बहुत कम पैसे के अन्दर गांव-गांव, गली-गली में सड़क हो गयी होती, बड़ी इम्प्रूड, आग्मेंटेड सड़क होती, चौड़ी होती, बहुत अच्छी सड़कें होती। अब इस तरह के डेटाज देकर हम करना चाहते हैं, कौन से बजेट का क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ? हम राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं या बी जे पी सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं या हम कांग्रेस वालों को नीचा दिखाना चाहते हैं ? करना क्या चाहते हैं आखिर ?

श्री रतनलाल ताम्बी : यही हो रहा है।

श्री राजपालसिंह शेखावत : मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं, यह सब चीजें, बातें, जो सच है उसको सच माना जायेगा।

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

आपने कहा, हम भी नान प्लान डेफिसिएट रेवेन्यू अकाउण्ट वाले को खतरनाक मानते हैं। खतरनाक है, उसे वाइप-आउट करना चाहिए। उसे वाइप-आउट करने की कोशिश की जानी चाहिए। उसमें रेस्ट्रिक्शन हमने किया। पिछली बार हमारा काफी ऊंचा था, वह ऊंचा तो नहीं होना चाहिए था, आज नीचे गया, उसके लिए समर्थन भी मिलना चाहिए।

आपने यह भी कहा कि रिवाइज्ड एस्टीमेट बड़े अजीब से पेश किये, बैदजी साहब ने फरमाया कि रिवाइज्ड एस्टीमेट के अन्दर बड़ा बदलाव आया है। 1994-95 के बजट एस्टीमेट के अन्दर तो हमारा जो उधार और देनदारियां थीं 2022 और बढ़ गयी 3955, नहीं बढ़नी चाहिए, चिंता सही हो सकती है, नान प्लान भी हमारा बढ़ गया पर आपने यह नहीं देखा, इस साल हमने क्या प्रपोज किया है। जो चिंता आपको है, वह चिंता हमको है। अगर जो चिंता आपको थी वह हमको नहीं होती तो इस साल के बजट में बजट का वोल्यूम कितना बढ़ा ? इस बार हमने नान-प्लान में केवल 9 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी प्रपोज की है। दूसरी तरफ यही फर्क, आपने देखा है सब, देनदारियों और रिसीट्स के बारे में है, हमने केपिटल रिसीट्स हमारी कम की है। केपिटल रिसीट्स कम करना चाहते हैं और इस बार के बजट में रिवाइज्ड एस्टीमेट्स के मुकाबले सिर्फ 393 करोड़ रुपये, उससे 393 रुपये कम हम इस बार कर्ज लेना चाहते हैं। हम कम कर्ज लेना चाहते हैं, नान-प्लान को कम करना चाहते हैं, नान-प्लान रेवेन्यू डेफिसिएट को बिल्कुल वाइप-आउट करना चाहते हैं। आपको इसमें एतराज क्या है. इसमें आपको तकलीफ क्या है, लेकिन इस बात को नहीं बताना चाहते। इस बात को नहीं बताना चाहेंगे। आप तो यह कह रहे हैं कि कर्ज में डूब गया, अब कर्ज में डूब गया लेकिन क्या तकलीफ है कर्ज लेने में, कोई न बैंगन भायेड़ा और कोई न बैंगन पच। हम डेट सर्विस कर पा रहे हैं, हमारे लिए कर्ज बड़ा अच्छा है। डेट सर्विस नहीं कर पा रहे हो आप दिल्ली में, तकलीफ आपको है. आप हैं ट्रेप में। जब तक आप ट्रेप में नहीं हैं, ट्रेप में आने की स्थिति में नहीं हैं, तब तक कर्ज लेकर अगर आप डवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर आप कर्ज का उपयोग प्रोडक्टिव इनवेस्टमेंट में करना चाहते हैं और कर्ज लेकर आप विनियोजन बढ़ाना चाहते हैं और कर्ज के द्वारा आप सम्पत्ति का निर्माण करना चाहते हैं तो कर्ज लेने में कोई आपत्ति नहीं है। आपने भी लिया है, हमने भी लिया है और कर्ज की कोई रफ्तार ऐसी तेज नहीं हैं। कर्ज कितनी रफ्तार से ले लिया, कितना ले लिया, आपने फिगर्स दे दिये, अब फिगर कुछ हमारे पास भी हो सकते हैं, हमारे फिगर भी हैं, इतना कोई बदलाव नहीं आया।

श्री परसराम मदेरणा : जरा यह स्पष्टीकरण करायें तो ज्यादा उचित रहेगा कि जो डेट सर्विसिंग है या इन्टरेस्ट पेमेन्ट है, यह डाइरेक्ट टैक्सेज का कितना प्रतिशत है।

श्री राजपालसिंह शेखावत : डाइरेक्ट टैक्सेज का मैंने निकाला नहीं, मैं इतना जानकार ...

(78)

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, रेवेन्यू को जो है....

श्री राजपालसिंह शेखावत : उसको निकाला नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है कहने में कि डाइरेक्ट ...

श्री परसराम मदेरणा : अगर वह डेट सर्विसिंग में, उसमें चला जायेगा तो राजस्थान के विकास को सेट-बैक लगेगा। यह है प्रश्न बेसिक इकोनोमिक्स का।

श्री राजपालसिंह शेखावत : मैं आपको फिर इसमें अर्ज करना चाहूंगा कि मैं इस डाइरेक्ट टैक्सेज के रेफरेंस में हार गया हूं। सेन्टर की बात, मैं सेन्टर का नाम लेकर बचना नहीं चाहता, हालांकि सेन्टर पर भी आऊंगा क्योंकि यह राष्ट्र हमारा है, उसका इम्पेक्ट हम पर पड़ेगा परन्तु फिलहाल मैं सेन्टर का नाम लेकर बचना नहीं चाहता लेकिन इतना बता सकता हूं कि ...

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, इकोनामिक्स के बेसिक प्रिंसीपल्स को बहुत स्पष्टतः सदन में रख रहे हैं, इनका भाषण काफी गहराई लिये हुए है इसलिए मैं यह पूछ रहा था कि कर्ज लेने या कर्ज में डुबाने वाली बात, डवलपिंग इकोनोमिक्स में आपको लोन लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन उसका प्रमोशन, सर्विसिंग का और इन्टरेस्ट का, टैक्सेज जो आपकी रेवेन्यू है उसका कितना पर्सेन्टेज है? अगर उसमें डेट सर्विसिंग में और इन्टरेस्ट में: हम पेमेन्ट कर देंगे तो आपके पास सेविंग कहां रहेगी? उससे डवलपमेंट को सेट-बैक लगेगा।

श्री सभापति : प्लीज कन्टीन्यू।

श्री राजपालसिंह शेखावत : मैं इतना अर्ज कर दूं कि फिलहाल मैंने इस पाइंट आफ व्यू से इसको इवेल्यूएट नहीं किया। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको इवेल्यूएट कर लूंगा लेकिन साथ में इतना जरूर बता सकता हूं कि दिल्ली की सरकार को जिन पैरामीटर्स पर टास्क पर रख कर इवेल्यूएट कर रहे हैं, जिन पैरामीटर्स पर आप उसकी हैल्थ को जज करना चाहते हैं, उन पैरामीटर्स को फिलहाल रख लें, वह मैंने भी देखे हैं और आपने भी देखे होंगे। इसके अतिरिक्त आपने यह नयी चीज और देखी होगी। हमको रुपया खर्च करना पड़ेगा बारह नये पैसे, 12 प्रतिशत, हमारी डेट सर्विसिंग है, आपकी सर्विसिंग पहुंची है टोटल एक्सपेंडीचर की 30 प्रतिशत और रेवेन्यू रिसीट की तो 52 प्रतिशत पहुंच गयी। 52 पर्सेन्टेज आफ रेवेन्यू रिसीट्स, 30 पर्सेन्टेज आफ टोटल एक्सपेंडीचर। और चक्कर क्या है, 26 नये पैसे का कर्ज 26 प्रतिशत आप कर्ज ले रहे हैं टोटल वोल्यूम का और कर्ज अदायगी करनी पड़ रही है 26 से ज्यादा। यानि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कर्ज को चुकाने के लिए, कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए जो कर्ज ले रहे हैं, वह कर्ज छोटा पड़ रहा है। यह हिन्दुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। यह सही है कि ब्याज को चुकाने के लिए हम कर्ज ले रहे थे। अब ब्याज को चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज भी छोटा पड़ने लगे और फिर भी कहें कि डेट ट्रेप के नजदीक नहीं हैं तो जैसे यह साहब फरमा रहे थे तीन दिन पहले कि हार आने के बाद भी कोई कह दे कि नहीं हारा मैं, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। हम डेट

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

ट्रेप में हैं और डेट ट्रेप के बाद जो मेक्सिको के साथ हुआ, 1982 के अन्दर हालत उसकी हमारे जैसी थी। फिर वही लिबर-लाइजेशन लाये, वही ग्लोबलाइजेशन लाये, आई एम एफ. की मानी, वही वर्ल्ड बैंक की मानी, उन्होंने रिपोर्ट भेजी, मेक्सिको इम्प्रूव कर रहा है, पैसा उसने डिवेल्यू भी किया। एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश भी की, डिवेल्यू करके, एक्सपोर्ट बढ़ा भी। फिर एक्सपोर्ट बढ़ा कर लगा कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पैसा काफी आने लग गया। तो उसने क्या किया, आयात खोल दिया, आयात खुल गया परन्तु आज मेक्सिको की हालत क्या हुई ? 50 मिलियन डालर अगर क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन इमीजियेटली नहीं देता तो मेक्सिको नाम का देश आर्थिक रूप से इस दुनिया के नक्शे से समाप्त हो जाता। आज आप उसी दौर से गुजर रहे हो जो 1982 में मेक्सिको ने देखा। आज वही लिबरलाइजेशन, वही ग्लोबलाइजेशन की थ्यौरी पर चल रहे हैं आप। फिर आपको इस तरह लग रहा है, फोरेन रिजर्व हमारे लबालब हो गये। लबालब हो गये हैं, अब आयात को भी छुट्टी की आपने। आप निर्यात बढ़ाने चलने वाले थे। गयी बार था 20 प्रतिशत, घट कर आ गया 17 प्रतिशत। निर्यात बढ़ाने वाले आयात को शुरू करना चाहते हैं, क्यों, इन्फ्लेशन का डर लगने लगा है। जो फोरेन रिजर्व आयी हुई थी उतनी आयी नहीं। वह इन्फ्लेशन क्रियेट कर गया, इन्फ्लेशन रोक नहीं पा रहे हैं। आयात बढ़ेगा, क्या होगा, इसके रिपरकेशन्स क्या होंगे ? हमने दरअसल क्या किया, हमने इण्डियन इकोनोमी को कभी बेसिकली प्लान नहीं किया, चाहे जब समाजवाद में चले गये, चाहे जब मिक्स्ड इकोनोमी में चले गये, चाहे जब इस रास्ते पर आ गये। अब यह रास्ता कौन सा है, समझ में नहीं आ रहा। केपिटलिस्कि है, मिक्स्ड है, नाम ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या नाम है। कभी ट्रिकल डाउन स्ट्रेटेजी पर चलते हैं डवलपमेंट की, कभी पावर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम सीधे लगाने लग जाते हैं...

श्री परसराम मदेरणा : मिक्स इकोनोमी है।

श्री राजपालसिंह शेखावत : मिक्स इकोनोमी है पर यह सब इतना मिक्स हो गया है साहब कि इकोनोमी नाम की अब चीज नहीं रह गयी है।

श्री देवीसिंह भाटी : न वेजीटेरियन हैं, न नॉन-वेजीटेरियन।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राजपालसिंह शेखावत : मैं आपको इतना ही अर्ज करना चाहता हूं इस मौके पर कि मिक्स इकोनोमी का मतलब मैंने जो पढ़ा और जो मैंने देखा...

श्री परसराम मदेरणा : मेक्सिको को यहां कैसे मिक्स कर दिया आपने ?

श्री राजपालसिंह शेखावत : मैं फिर मिक्स कर देता हूं साहब, मैं थोड़ा सा डेवियट हो जाऊंगा....

श्री परसराम मदेरणा : मेक्सिको में यह जो डाउनफाल हुआ उसके दो कारण थे, एक, इन्फ्लेशन का 50 प्रतिशत होना

(श्री परसराम मदेरणा)

और लोन जो था वह शार्ट टर्म लोन था। हिन्दुस्तान की इकोनोमी में यह दोनों ही इन्हेरेण्ट वीकनेसेज नहीं हैं।

श्री राजपालसिंह शेखावत : मैं आपको थोड़ा इस बारे में बताना चाहूंगा। जो स्थिति 1982 की मेक्सिको की थी, वह फिर मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं आपको करीबन 12-13 साल की छुट्टी दे रहा हूं। मैंने कहा था, आयात बढ़े, आयात बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट करने के बाद में आपको लगा कि इन्फ्लेशन हो जायेगा, इन्फ्लेशन हुआ इसलिए आपको एक्सपोर्ट के लिए मैंने कहा है। शार्ट टर्म लोन, और लोंग टर्म की चर्चा आपने की है। मैं आपको इतना अर्ज करना चाहता हूं इस मामले में कि हिन्दुस्तान के अगर आपने लोन मिक्स को देखा है तो अभी किस तरह बढ़ रहा है। इण्डिया के डेट को, इन्टरनल, एक फर्क जरूर होगा मेक्सिको और हिन्दुस्तान के अन्दर, इतना फर्क जरूर आया है, मेक्सिको मरा एक्सटर्नल डेट से, आप मरोगे इन्टरनल डेट से। आपका इन्टरनल डैट बड़ा ऊंचा हो गया है पर एक ही मौत के कारण अलग-अलग होंगे। मैं इतना अर्ज कर दूं कि जिस मिक्स की आप चर्चा कर रहे हैं, वह मिक्स बढ़ रहा है और खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है परन्तु उसको छिपा रहे हैं। आप जनता से सीधा डायलोग नहीं करना चाहते, जनता से आप बचना चाहते हैं। लोकतन्त्र के अन्दर सत्ता में बैठे हुए लोक के साथ समझौता इसलिए इस रूप में करना चाहते हैं कि वोटों की राजनीति कर सकें, वह सीधा डायलॉग एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते हैं। यह जो देश की तकलीफ है, हमारी भी तकलीफ है, राष्ट्र की तकलीफ है, बी. जे. पी. की तकलीफ है, यह कांग्रेस की तकलीफ भी है, निर्दलियों की तकलीफ भी है। राष्ट्र की तकलीफ को छिपाया जाय जनता से, ऐसी स्थिति को मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं।

मैं इतना ही इस मौके पर अर्ज करना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि कर्ज बढ़ने की आपने पहले बात कही। अब जिस तरीके से आपने कर्ज को इवेल्यूएट करना चाहा, मैंने वास्तव में उसको एक्जामिन नहीं किया लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है जिससे हम दिल्ली को एक्जामिन करते हैं. बाकी इलाकों को एक्जामिन करते रहे उसके लिए मैंने बताया कर्ज तो बढ़ा हमारा 79 पर्सेंट और इस दरम्यान हमारी योजनागत व्यय में वृद्धि हुई 300% हमारा पर-केपिटा प्लान एक्सपेंडिचर आया वह पड़ा 293 पर्सेंट। हमारे बजट का वोल्यूम कितना बढ़ा? आप उस प्रपोर्शन में देखो उसको। अभी भी हम बार-बार मितव्ययता की बात करते हैं, हम बार-बार यह कहते हैं कि इकॉनामीक को अभी और टाइट किया जा सकता हैं, मोर-मेनेजेबल बनाया जा सकता है, मोर-प्रोडेक्टिव बनाया जा सकता है। हम जीरो बजटिंग की बात भी कर रहे हैं तो यह हम सब स्वीकार करते चलें साथ-साथ कि इसके अन्दर सुधार की गुंजाइश है और सुधार हम कर रहे हैं। अब सुधार को नकारकर यह कहना चाहो, कर्ज में डूबो दिया, कर्ज में नहीं डुबो दिया, यह विनियोजन है। यह ऐसा विनियोजन है जिससे कर्ज को हमने सम्पत्ति में बदला है, इसको विनियोजन में बदला है, हमने बजट

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

के वोल्यूम को बढ़ाया है और यही कारण है कि हमने जो आपसे विरासत में बैकवर्ड राजस्थान लिया था, वह प्रोग्रेसिव राजस्थान बन गया है। अब यह भी कहते हैं आप यहां फाइनेन्स कमीशन ने प्रोग्रेसिव राजस्थान कह दिया, तबाह हो गये हम। (व्यवधान) मैं कह दूंगा, अभी आ जाएगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राजपालसिंह शेखावत : अगर आपको जम ही जाती तो तकलीफ किस बात की थी ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : आपको उत्तराधिकार बैकवर्ड राजस्थान मिला ?

श्री राजपालसिंह शेखावत : बिलकुल साहब। 2-3 इन्डेक्सेज हैं। आप ले लें इसको कि पर-केपिटा प्लान इन्वेस्टमेंट कितना था, एक आदमी पर अप विनियोजन कितना करना चाहते हो, उस आदमी से केपिटल फारमेशन कितना करना चाहते हो, उससे जी. डी. पी कितनी निकलवाना चाहते हो। यही है साहब, इसका मतलब ..

श्री सभापति : माननीय राजपालसिंह जी, आप माइक का उपयोग करें। थोड़ी आवाज कम आ रही है।

श्री राजपालसिंह शेखावत : ठीक है।

मैं इस बात को फिर भी स्वीकार करता कि केवल कर्ज बढ़ाया जाता तो चाहे कर्ज कम बढ़ाया जाता बाकी सब चीजें भी आपने बढ़ाई होतीं। तो भी मानने के लिए मैं तैयार व्यक्तिगत रूप से जरूर होता कि कर्ज नहीं बढ़ना चाहिए लेकिन कर्ज कब बढ़ाया, जब एडिशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन का काम हमको सौंपा, इतना रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर लो आप। हमें कहा गया कि आठवें प्लान के अन्दर टोटल रिसोर्स मोबिलाइजेशन आपको करना था 2,827 करोड़ का पांच साल में, हमने अपना एडिशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन कर दिया 3 साल में, तीन हजार करोड़ से ऊपर, 3,197 करोड़ रुपए। हमने अपनी तरफ से, सरकार ने अपने फ्रंट के ऊपर अतिरिक्त संसाधनों को जोड़कर और खास तौर से हमारे यहां तो नॉन-टैक्स रेवेन्यू वगैरह जिस रफ्तार से बढ़ा, वह अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो हमने बाकी सारी चीजों को टेप करने की कोशिश और उसके अन्दर अचीवमेंट्स पाने के बाद में बाकी जो गेप रह गया था, उस गेप को डेट द्वारा भरा कि उसका प्रोडेक्टिव यूनिटाइजेशन कैसे किया जाए, लार्ज इन्ट्रेस्ट में जनता के। कर्ज तकलीफ दिल्ली में है, आपसे सर्विस नहीं हो रही। हम राजी-राजी सर्विस कर रहे हैं, हमको देने वाले बहुत हैं। अभी मैं सी. एम. साहब के घर गया तो बोले कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जब बिजली के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी मुझे तंग नहीं करता। यह क्रेडिबिलिटी का सवाल है, सरकार की परफारमेंस का सवाल है। आपने भी देखा है पहले। उससे पहले आप न तो कोई इन्वेस्टमेंट करा पाए और न आप दिल्ली से कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन कराकर ले आए, क्लीयर कराकर ला पाए। अब बात करना बड़ा आसान है। यमुना

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

का पानी आप ले आते, हम तो क्रेडिट नहीं देते भैरोंसिंहजी साहब को और ब्राड-गेज के अन्दर यूनिगेज और यह बातें करके, मैं ताम्बी साहब केवल इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि इसकी कुछ भी कोई डेफिशिएंसी नहीं है कतई, इस बात को डिफेण्ड करने को हम बिलकुल तैयार नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप ले आये क्या यमुना का पानी ? आ रहा है, आ रहा है, वो आ रहा है। क्या आ रहा है ? वह कोई भेड़िया है क्या जो आ रहा है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आपके जमाने में यह था कि पानी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब यह बात है कि पानी आ रहा है, आ रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : He is a very learned Legislator. मैं उनसे बात कर रहा हूं, आप बीच में ही।

श्री सभापति : Kindly conclude Please. आधा घन्टा हुआ है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री राजपालसिंह शेखावत : हमें यह बताया गया कि 11,500 करोड़ की योजना है और योजना बड़ी थी तो क्या बात हो गई, सारी फाइनेन्स की फण्डिंग हो रही है वह केवल लोन से ही हो रही है। मैं तो एक मिनट के लिए पूरा का पूरा मान लेता हूं, बिलकुल सही फरमा रहे हैं वैद जी, 9 हजार हम तो उधार लेंगे मान लेता हूं, हम मान लेते हैं, बिलकुल सच नहीं है लेकिन मान लेता हूं, फिर भी राजस्थान की स्थिति आज यह है कि उसकी डैट सर्विस करने को राजस्थान की हैसियत है। उसको हम सच भी मान लें तो। क्या तकलीफ है ? कर्ज लेने में फिर ? यह कर्ज तो राजस्थान की जनता को गरीबी के मुंह से निकालेगा, यह कर्ज तो राजस्थान की जनता जो कई दिनों से टिमटिमाई निगाहों से सरकार की तरफ देख रही है, उसकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी और वह भी आम तौर पर एक आम हिन्दुस्तानी की तरह, आम प्रगतिशील राज्य के आदमी की तरह जिन्दगी बसर कर पाएंगी। यह उसको बाहर निकालने वाला कर्ज है। मैं इतना ही इस मौके पर अर्ज करना चाहता हूं कि कर्ज कब किसान विरोधी हो जाता है, कर्ज कब गरीब विरोधी हो जाता है और कब गरीब समर्थक हो जाता है यह तो उसकी सिचुएशन पर निर्भर करता है। कर्ज से कई बिड़ला बन गए। मोदी जी को कर्ज दो, मल्टी-प्लाई कर देंगे, मेरे जैसे को कर्ज दो, बरबाद हो जाएगा। अब किसको किसने कर्ज देना है, किसको कर्ज का कहां इस्तेमाल करना है, यही महत्वपूर्ण है और यह महत्व आपने समझा नहीं, इसलिये आपकी तो हालत हो गई खराब, दिल्ली में हो गई, राज्यों में हो गई खराब आप चाहे एम. पी. की चर्चा कर लो, चाहे हिमाचल की चर्चा कर लो, फिर उसकी चर्चा कर लो, फिर नगरपालिका से कतराओगे। अब इससे कोई मतलब नहीं। यह इन्ट्रोस्टपेक्शन का

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

टाइम है और इन्ट्रोस्पेक्शन कोई बड़ा लम्बा चौड़ा नहीं केवल इतना कि लम्बे समय तक हम इलेक्टोरल कंसीडरेशन से अपने डिसिजन्स को और अपने प्रोजेक्शन को जनता के बीच में नहीं लाये। हमने लम्बे टाइम से जनता को, 40 साल से धोखा दिया और सही है हिन्दुस्तान की गरीब जनता पावर्टी लाइन के नीचे रहने वाली जनता, इललिटरेट जनता धोखा खा गई होगी आपसे परन्तु अब जनता जाग गई है।

आपने दसवें वित्त आयोग की बात की और रेवेन्यू एकाउण्ट के डेफिसिट को पूरा करने की बात की। राजस्थान का कोई अपना खुद का एक बहुत बड़ा कोई टैक्स बेस नहीं है और जो है उसको हमने टेप कर लिया है, उसको एक्सप्लाएट कर लिया है, सेचुरेशन लेविल पर आया हुआ है। इसी कारण से हम कई दिनों से टैक्स नहीं लगा रहे हैं और बैटर रिकवरीज आफ टैक्स और सीवेज को रोकने की बात कर रहे हैं जिसमें हम सक्सैसफुल हो भी रहे हैं। अब हम ब्रोड-गेज की बात करते थे, कि भाई हमारे हक को लाओ हमारे हक को तुम भी दो, दिल्ली वाले मत ले जाओ, यह संघीय व्यवस्था है इसलिए केन्द्रीयकृत रूप से सामंत मत बनो। सामंत बन रहे हैं। हम लगातार इसका विरोध कर रहे थे तब तो आप कहते थे कि आप केन्द्र को कमजोर करना चाहते हो, असलियत तो यह है कि केन्द्र की कमजोरी की बात नहीं है, आप राज्यों के हकों को लगातार छीनते रहे और यही कारण है राज्यों के अन्दर अराजकता फैली है, अशान्ति फैली है, आतंकवाद फैला है। इसका कारण आर्थिक है। यह केन्द्रीयकरण शुभ नहीं है, न केन्द्र के लिए शुभ है, न राष्ट्र के लिए शुभ है न राज्य के लिए शुभ है इसलिए केन्द्रीयकरण को तोड़ा, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसमें हमें फायदा भी मिला। आप लगातार बात कर रहे थे, कारपोरेट टैक्स को किटी में लाओ। कारपोरेट टैक्स इनकम टैक्स है। कई दिनों से चर्चा हुई है, मैं भी सुन रहा था, साहब भी बोलते थे। पहली बार ऐसा हुआ है। मैं भी बोला था।

श्री परसराम मदेरणा : अब तो आ गया किटी में ?

श्री राजपालसिंह शेखावत : आ जाएगा, साहब, रफ्ता-रफ्ता आ जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : आ रहा है।

श्री राजपालसिंह शेखावत : उसमें भी आप कराओगे समाधान... आपको ही कराना पड़ेगा, आप करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उसमें भी यह कह दूं कि आपको, इस हाउस को एक रिजोल्यूशन पास करना चाहिए कि 29 पर्सेंट जो सारा आया है उसका एक साल बाद से डिविजन नहीं करें, इस साल से डिविजन करें। यह घाटा भी कम हो जाएगा और आपको कर्ज भी कम होता हुआ नजर आयेगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप यह कह रहे हैं कि यह रिजोल्यूशन पास करना चाहिए। मैं आपसे यह निवेदन चाहता हूं कि आपका रिजोल्यूशन पास करवाने के

(84)

(श्री परसराम मदेरणा)

अन्दर पालिटिकल ट्रांसपरेंसी है कि नहीं है, यह प्रतिपक्ष को विचार करना पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरी इस प्रस्ताव को पास कराने में बिलकुल ईमानदारी है और यह राजस्थान के हित में है ।

श्री परसराम मदेरणा : ईमानदारी है तो हमारी तरफ से भी रहेगी लेकिन हमको हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा इसमें कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है, मैं यह बता दूं ।

श्री परसराम मदेरणा : आप प्रस्ताव को अभी एकदम ले आये । इस प्रस्ताव की बात अपन बैठकर कर लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, यह कर लेंगे । I am sorry.

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी बात यह है कि इसमें कान्स्टीट्यूशनल अमेण्डमेंट भी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं बता दूं, कान्स्टीट्यूशनल अमेण्डमेंट तो हाथ की हाथ हो सकता है ।

श्री परसराम मदेरणा : कान्स्टीट्यूशनल अमेण्डमेंट हो रहा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पालियामेन्ट मई में चल रही है। मई में कान्स्टीट्यूशन अमेण्डमेंट आना चाहिए । सारे स्टेट्स का पैसा जो फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि कारपोरेट टैक्स और बाकी के टैक्स यह सब डिविजिवल पूल में आयेंगे और स्टेट्स को इसका हिस्सा मिलेगा । केन्द्र सरकार कहती है कि 1996 से दें, हम यह कहते हैं कि 1995 से दो । 1995 से यह पैसा यदि राजस्थान को और अन्य राज्यों को मिल गया तो समस्या का समाधान हो जाएगा ।

श्री परसराम मदेरणा : यह केन्द्र सरकार ने नहीं कहा है, 10 वें फाइनेंस कमीशन ने यह बात कही है कि 1996 से 29 पर्सेंट टोटल डिविजिबल पूल का शेयर जाना चाहिए । फाइनेंस कमीशन की रिकमण्डेशन है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, भारत सरकार यह आज ले रही है कि हमें कांस्टीट्यूशन में अमेण्डमेण्ट करना पड़ेगा ।

श्री परसराम मदेरणा : टेन्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमण्डेशन है इसमें ।

(15.00)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जरूरी नहीं है इसमें । टेन्थ फाइनेंस कमीशन ने सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार कर लिया कि दुनिया भर के जो टैक्सेज सैण्ट्रल गवर्नमेण्ट लेती है, इनको एक कॉमन किटी में लाओ और इनका डिस्ट्रीब्यूशन करो । भारत सरकार ने यह फैसला किया कि इसका संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन में एक वर्ष लगेगा । अगले वर्ष से....

श्री राजपालसिंह शेखावत : अगर नाइन्थ फाइनेंस कमीशन और टेन्थ फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो निश्चित बात करते हैं तो निश्चित बात है हर स्टेट अपने

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

केस को रि-प्रजेंट करता है और सबको ही मुंह मांगी मुराद नहीं मिलती ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसमें भी मैं समझता हूं कि अगर क्रेडिट मिलेगा तो राजस्थान को मिलेगा जिसने इनिशियेटिव लेकर सारे स्टेट्स से दस्तखत करवाये और भारत सरकार के सामने गये और टी. एफ. सी. के सामने इस बात को रखा।

श्री विष्णु मोदी : हमने भी उठाई है यह बात। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज, प्लीज। माननीय वी. पी. सिंहजी, बैठिये आप। प्लीज, वी. पी. सिंहजी, बैठिये, प्लीज। (व्यवधान) राजपालसिंहजी।

श्री राजपालसिंह शेखावत : मैं इतना ही अर्ज करना चाहता था....

श्री परसराम मदेरणा : हां, क्या कहना चाहते थे आप ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : टी. एफ. सी. के लिए....

श्री परसराम मदेरणा : यह मेरे पास टेन्थ फाइनेंस कमीशन की दो कॉपियां हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैं दे दूंगा पढ़ने के लिए।

श्री राजपालसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे नाइन्थ फाइनेंस कमीशन का मामला हो, चाहे टेन्थ फाइनेंस कमीशन का मामला हो, हर स्टेट अपने इन्टरेस्ट के हिसाब से अपने केस को प्लीड करना चाहता है और उसे प्लीड करना भी चाहिए। हर राज्य की अपनी कुछ पीकुलियर्टीज अलग होती हैं, उनके करेक्टर्स अलग होते हैं, उनके फीचर्स अलग होते हैं, उसकी तकलीफें कुछ अलग होती हैं। उनके हिसाब से उनको कुछ फायदा मिलना भी चाहिए। नाइन्थ फाइनेंस कमीशन में हमें कई चीजें नयी मिलीं। टेन्थ फाइनेंस कमीशन में वे चीजें मिलीं जो कि नाइन्थ फाइनेंस कमीशन में हमें कभी नहीं मिलीं। कुल मिलाकर टेन्थ फाइनेंस कमीशन के अन्दर, बैदजी ने कहा, हम तो लुट गये। हम तो लुट गये, कुछ नहीं किया, इतना प्रतिशत इसके पीछे, इतना प्रतिशत इसके पीछे, यह सही है। अब कुछ चीजें बदलोगे आप तो उससे कम्पोजिशन बदलेगा। अब टैक्स के अन्दर आपका शेयर तो बढ़ गया, 122%, साथ में कई ऐसी चीजें आयी हैं नयी जो पहली बार आपको यह फाइनेंस कमीशन दे रहा है। एक जो तकलीफ की बात है, वह यह हुई कि राजस्थान गवर्नमेंट को उसे अपने बैटर फिस्कल मेनेजमेण्ट के लिए, ऐसे स्टेट को देना चाहिए था फायदा, दे दिया नुकसान। काम करो अच्छा मिले नुकसान। नोमेटिव एप्रोच को छोड़कर इन सारे राज्यों के साथ आपने अन्याय किया इस रूप के अन्दर कि आपने कोई मोटिवेशनल फोर्स छोड़ी नहीं अपनी इकोनोमी को इम्प्रूव करने की, अपनी इकोनोमी को स्ट्रेंथन करने की, उसको स्ट्रीम लाइन करने की। जितने इन्सेंटिव्ज होने चाहिए थे, जितना मोटिवेशन होना चाहिए था, उसको आपने मार दिया, खत्म कर दिया और राजस्थान भी इस मायने में मर गया लेकिन कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अचीवमेंट्स के साथ हम

86

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

कोई लम्बा-चौड़ा शेयर लेना भी नहीं चाहते। हमने अचीवमेंट्स किये हैं, अपने बलबूते पर किये हैं, हम अचीवमेंट्स और भी करेंगे। फाइनेंस कमीशन ने जो दिया है, वह किसी भी रूप में नाइन्थ फाइनेंस कमीशन से बहुत ऊपर है और राजस्थान अन्य राज्यों के मुकाबले में कम से कम उस स्थिति में नहीं है जिसकी बैंदजी यहां पर चर्चा करना चाहते हैं।

मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं इस मौके पर कि राजस्थान को कर्ज में डुबोने की बात, राजस्थान का जी.डी.पी. गिर गया है ऐसी चर्चा, राजस्थान एक फिस्कल डेफिसिट में फंस गया है, जब फिस्कल डेफिसिट है तो वह छिपाया नहीं जा सकता है। फिस्कल डेफिसिट के अन्दर घाटे से आप पूर्ति नहीं कर सकते हैं। अब यह छिपाने की बात नहीं थी। फिस्कल डेफिसिट सीधा निकलता है, कौन किससे छिपा रहा था? सबके सामने पेश कर रहे थे, जनता के सामने भी जा रहा था। मैं इतना ही कहना चाहता हूं–कर्जा हमने लिया होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी जनता को दी है और जनता को देंगे। इस बात से कोई समझौता भी नहीं करेंगे चाहे कांग्रेस उसका विरोध करे। गरीब जनता को उसका हक दिलाने के लिए अगर कर्ज लेने की भी जरूरत पड़ी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे प्राइवेटाइजेशन करना पड़े, गरीब को हम बिजली देंगे, गरीब को हम रोटी देंगे, गरीब को हम रोजगार देंगे और राजस्थान की इकोनोमी को बायेंसी देंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस दरम्यान आपने जो कर्ज लिया, सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने जो कर्ज लिया, उस कर्ज का करना तो चाहिए था असेट में ट्रांसफर। असेट्स क्रियेशन करने के बजाय, उसमें 2 लाख 16 हजार करोड़ रुपये वाइप आउट हो गये। कन्जूम कर लिए उन्होंने, खुद ने कन्जूम कर लिए और यह रेश्यो 56% बनता है यानि जितना आपने कर्ज लिया उसका 56% आपने कन्वर्जन किया है असेट्स के अन्दर। अभी दिखाता हूं बेलेंस शीट ...

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : कब की बात कर रहे हैं आप ?

श्री राजपालसिंह शेखावत : अभी लेटेस्ट, वेरी लेटेस्ट। कन्जूम कर लिया आपने, यह आपकी बेलेंस शीट बताती है, आपकी क्रेडिएबिलिटी बताती है। यही कारण है कि हिन्दुस्तान की सरकार अपने पब्लिक सैक्टर के जब बाजार के अन्दर शेयर बेचने जाती है तो यूरोप के बाजार में शेयर खरीदने वाला नहीं मिलता है। सूरतगढ़ के लिये राजस्थान की रीको जब बाण्ड बेचने जाती है तो एक दिन में बाण्ड बिकता है। यह कारण है। शेयर के मामले में धोखेबाजी हुई है। आपको ध्यान है मनमोहन सिंहजी आये, बम्बई में बहार आयी, इण्डेक्स एकदम बढ़ गया। क्या हुआ इण्डेक्स का ? क्रेश-लेण्ड कर गया। मनमोहन सिंहजी के नाम से इण्डेक्स सूख जाता है आजकल। आप दरअसल कौनसी इकोनोमी लाना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। चिड़िया भी किसी पेड़ पर घोंसला बनाना चाहती है तो तय करती है कि कौनसा पेड़, कौनसी डाली। आप इन

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

40–50 सालों में यह तय नहीं कर पाये कि राष्ट्र की आर्थिक नीति को दिशा कौनसी दी जाये, उसकी शैली क्या होनी चाहिए, उसकी नीतियां क्या होनी चाहिए, उसकी रणनीतियां क्या होनी चाहिये। सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है ?

मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो बजट हमारी सरकार ने पेश किया है, माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने पेश किया है, इसकी अपनी एक रणनीति है, इसके अपने ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके ऑब्जेक्ट्स बड़े साफ हैं, गरीब को गणेश मानकर सेवा करना हमारा एक मात्र ऑब्जेक्ट है। इसके लिए आर्थिक रणनीति की रचना हमने इस रूप में की है कि हम गरीब को गणेश मानकर उसकी सेवा करना चाहते हैं। यह वह बजट है जो नॉन-प्लान को अपने लेवल के ऊपर रखना चाहता है। यह वह बजट है जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स को लगातार ऊंचा करना चाहता है। यह वह बजट है जो कैपिटल रिसीप्ट्स को नीचे करना चाहता है, मतलब कर्ज को कम करना चाहता है, देनदारी को कम करना चाहता है, यह वह बजट है जिसमें प्लान एक्सपेण्डीचर बढ़ रहा है और नॉन-प्लान लगातार गिर रहा है। अब इन सब इंडीकेटर्स से अगर आपको लगता है कि इकोनोमी खराब हो जायेगी तो मैं सोचता हूं कि मुझे इकोनोमिक्स की स्टडी दुबारा करनी पड़ेगी। या मैं आपसे स्टडी करने के लिए जरूर आऊंगा। इस प्रकार के बजट से विकास को जो गति मिली है भगवान करे वह गति लगातार राजस्थान के लोगों को मिलती रहे। राजस्थान बड़ा सौभाग्यशाली है कि साहब जब आते हैं, तो मानसून आता है और साहब जब आते हैं तो इकोनोमी के अन्दर बायेंसी आती है। आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भैरोंसिंहजी शेखावत साहब, जिनको राजस्थान का शेर जनता कहती है, अगर राजस्थान का शेर भी इस इकोनोमिक सर्विसेज के अन्दर मिलने वाली सब्सिडी को नहीं रोक पाये तो फिर राजस्थान के लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री परसराम मदेरणा : यह भी तो कहो कि ओले भी पड़ते हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया समाप्त करें।

श्री राजपालसिंह शेखावत : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बजट एक पालिटिशियन का बजट नहीं है, यह बजट एक स्टेट्समैन का बजट है। यह बजट एक राजनेता का बजट नहीं है, यह अर्थ प्रबन्ध शास्त्री का बजट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रबन्ध के इस जादूगर के बजट को विधान सभा निश्चित रूप से पूरा सहयोग देते हुए पास करें। आपने मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति महोदय, बड़ी आशा थी, बड़ी अपेक्षाएं थीं और बड़ी अभिलाषाएं थीं राजस्थान की आम जनता को, सर्वहारा

(श्री हरिसिंह)

वर्ग को, विशेष तौर से किसान वर्ग को कि प्रस्तुत बजट में उनके हितों की अनदेखी नहीं की जायेगी लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान के इस बजट में किसानों के हितों की अनदेखी ही नहीं की गयी है बल्कि उसके हितों पर कुठाराघात किया गया है। राजस्थान का जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है, श्रीमान्, इसे आप अर्थ-शास्त्र की नजर से देखें तो यह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति दिन-पर-दिन गिर रही है। राजस्थान की इकोनोमिक कण्डीशन जर्जर हो चुकी है। इसको आप और गहराई से देखें तो यह राजस्थान का प्रोग्रेसिव बजट नहीं बल्कि राजस्थान को अवनति की ओर ले जाने वाला बजट है। श्रीमान्, यह बजट पूर्वी राजस्थान के हितों पर कुठाराघात करने वाला है और यह राजस्थान के किसानों के हितों की अनदेखी करने वाला बजट है।

सभापति महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कुछ चार्जेज लगाना चाहता हूं इस बजट के ऊपर। पहला, जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि यह जो राजस्थान का बजट है, इस बात का द्योतक है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब हो चुकी है। केवल यह कहने मात्र से कि हमने 1700 करोड़ से 2450 करोड़ रुपये की अपनी प्लान बढ़ा दी या 2450 करोड़ से 3200 करोड़ रुपये पर अपने प्लान को ले गये या हमने फिस्कल डेफिसिट कम कर दिया, इस बात को कहने से काम नहीं चलता। किसी भी स्टेट की आर्थिक स्थिति क्या है, इसका इकानामिक्स के अन्दर एक निर्धारित मानदण्ड है। श्रीमान्, मानदण्ड यह है कि वहां का जी.डी.पी. कितना है, बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर बढ़ रहा है तो किस रेट से बढ़ रहा है, वहां की इकानामिक ग्रोथ रेट किस रेट से बढ़ रही है, वहां की इण्डस्ट्रियल ग्रोथ किस रेट से बढ़ रही है, वहां की पर-केपिटा इन्कम किस रेट से बढ़ रही हैं, वहां की स्टेट की पर-केपिटा इन्कम किस रेट से बढ़ रही है। ये कुछ मानदण्ड बने हुए हैं कि आप सोशल सर्विसेज पर खर्च कर रहे हो अपने पैसे को, इन इन सर्विसेज में आप खर्च कर रहे हैं, आपका नॉन-प्लान एक्सपेंडीचर बढ़ रहा है, आपका डवलपमेंट एक्सपेंडीचर बढ़ रहा है या आपका नॉन-डवलपमेंट एक्सपेंडीचर बढ़ रहा है। इन बातों पर, इंडीकेटर्स पर आप अगर बजट को देखेंगे तो आप मुझसे इस बात से एग्री करेंगे कि राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है वह दिन पर दिन गिरती चली जा रही है।

कुछ आंकड़ें जो सरकार ने पेश किये हैं मैं उनकी ओर आपको ले जाना चाहता हूं। जैसा मैंने आपको बताया, पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि राजस्थान की जी.डी.पी., ग्रोस डोमेस्टीक प्रोडक्ट, जिसे हम सकल उत्पादन कहते हैं, यह बढ़ रहा है अथवा घट रहा है। श्रीमन् 1992-93 के अन्दर 9,906 करोड़ रुपया राजस्थान का जी.डी.पी. था, जो 1993-94 में घटकर 9344 करोड़ रुपया रह गया। 562 करोड़ एक साल के अन्दर राजस्थान का सकल उत्पादन गिरा है और आप कह रहे हैं कि राजस्थान को हम प्रोग्रेस की ओर ले जाना चाहते हैं। सिक्स पर्सेण्ट कम हुआ है इनका, जबकि

(श्री हरिसिंह)

उम्मीद यह की जाती है कि हर साल जी. डी. पी. कम से कम छह पर्सेंट बढ़ना चाहिए। छह पर्सेंट बढ़ने की जगह इनका छह पर्सेंट घटा है। 12 पर्सेंट इनका जी. डी. पी. कम हुआ है। राजस्थान की जो सबसे प्रमुख इण्डस्ट्री है एग्रीकल्चर, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि 1992-93 में 114.69 लाख टन गल्ला पैदा हुआ था और 1993-94 में यह घटकर रह गया 70.45 लाख टन। मेरा कहने का मतलब यह है कि 44 लाख टन एक साल के अन्दर खाद्यान्न की कमी हुई। इस साल जो आप कहते हैं, हम सोचते हैं भगवान की दया से फसल अच्छी होनी चाहिए, उसमें इनका एस्टीमेट है, 105.37 लाख टन। यदि यह जो 105.37 लाख टन का अनुमान है गल्ले की पैदावार का, यह 1992-93 की 114.79 लाख टन के अनुमान से 9.42 लाख टन कम है। हमारा जो मुख्य धन्धा है खेती का, उसकी पैदावार घट रही है। हमारा जी. डी. पी. घट रहा है और आप कहते हैं कि हम राजस्थान की स्थिति को अच्छा कर रहे हैं, राजस्थान को प्रोग्रेस की ओर ले जाना चाहते हैं। हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, हम आठवें प्लान के अन्दर 11500 करोड़ रुपये ले गये खर्चे के लिए, उसके कहने से काम नहीं चल पायेगा कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति अच्छी होती जा रही है।

इसके बाद जो दूसरा इंडीकेटर है, श्रीमन् ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत न करें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हमें देखना पड़ता है कि इकोनोमिक ग्रोथ रेट क्या है? इकोनोमिक ग्रोथ रेट हमारी घट रही है। तो हम यह नहीं मानकर चल सकते कि आप राजस्थान को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। अब आज इकोनोमिक ग्रोथ रेट के इन्होंने जो फिगर्स दिये हैं, उनका आप मुलाहिजा करें। 1991-92 में आपकी ग्रोथ रेट माइनस 5.58 है, 1992-93 में यह बढ़कर हुई 10.82 और 1993 94 में फिर माइनस 5.67 रह गयी। इकोनोमिक ग्रोथ रेट आपकी कम हो रही है। जी.डी.पी. आपका कम हो रही है। हमारी एग्रीकल्चर की रेट कम हो रही है। फिर आप प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए। क्या बढ़ रही है आपकी? ये कुछ इंडीकेटर्स हैं जिनके आधार पर कोई भी विचार करके कह देगा कि हमारी राजस्थान की आर्थिक स्थिति क्या है। 1992-93 में हमारी पर-कैपिटा इन्कम थी। 1934.00 रुपया और यह 1993-94 में घट कर रह गयी 1760/- रुपया। एक व्यक्ति की आमदनी 174 रुपया कम हो गयी एक साल के अन्दर और आप कह रहे हैं कि हम राजस्थान को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। इसके अलावा श्रीमन्, हमारी इन्कम का जो राष्ट्रीय औसत है, उससे सैंकड़ों रुपये आपका कम है। पर-कैपिटा आपकी स्टेट इन्कम 1992-93 में 4596 रुपया थी जबकि भारत की औसत इन्कम है 5549 रुपया थी। 1003 रुपया आपकी राष्ट्रीय औसत से पर-कैपिटा स्टेट इन्कम कम है। तो अब किस चीज में कह रहे हैं कि हम राजस्थान को आगे बढ़ाकर ले जाना चाह रहे हैं? पॉवर प्रोडेक्शन आपका 1993-94 में 15374 मिलियन

(श्री हरिसिंह)

यूनिट था और 1994–95 में रह गया आपका 15329 मिलियन यूनिट, यानि 0.30 पर्सेण्ट आपका पॉवर प्रोडक्शन कम हुआ। आपकी जी. डी पी. कम हो रही है, आपकी इकोनोमिक ग्रोथ रेट कम हो रही है, आपकी इण्डस्ट्रियल ग्रोथ रेट कम हो रही है, आपका पॉवर प्रोडक्शन कम हो रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं हम राजस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं। यह स्थिति इस बात की द्योतक है कि आप राजस्थान की स्थिति को दिन पर दिन जर्जर करते चले जा रहे हैं। आप राजस्थान पर कर्ज का बोझ लादना चाहते हैं। 1991–92 में हमारा परमानेंट डेट था 20,916.20 लाख, परमानेंट डेट की बात कर रहा हूं, आपके टोटल डेट की बात नहीं कर रहा, और 1995–96 में हो गया यह 39,237 लाख। हंड्रेड पर्सेण्ट बढ़ गया आपका तीन साल के अन्दर परमानेंट डेट। तो जिसका परमानेंट डेट बढ़ रहा हो, जिसकी जी. डी. पी. कम हो रही हो, जिसकी यह सब रेट्स हैं, यह कम होती जा रही हों, उस प्रदेश का, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में निवेदन करूं, बहुत ही जर्जर कही जा सकती है, सुदृढ़ स्थिति आपकी कही नहीं जा सकती है।

इसके अलावा मैंने दूसरा चार्जेज बजट पर यह लगाया कि यह विकासोन्मुख बजट नहीं है, यह अवनति की ओर ले जाने वाला बजट है। इसके भी कुछ मानदण्ड हुआ करते हैं। जो भी इकोनामिक्स के विद्यार्थी हैं वे इस बात से एग्री करेंगे कि विकासोन्मुखी बजट वह बजट होगा जिसमें सोशल सर्विस पर भी ज्यादा खर्च किया जाय, जिसमें इकोनोमिक सर्विसेज के ऊपर कम खर्च किया जाय। उसका डवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए। उसके हिसाब से आप इस बजट को देखें, पिछले तीन साल से, तो आप मुलाहिजा करेंगे कि पर-कैपिटा डवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारा है 897.38 जो कि हिन्दुस्तान के अन्दर नौवां स्थान रखता है। हिमाचल जैसे प्रदेश में 1574 रुपया प्रति व्यक्ति डवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। हम हिमाचल से भी ज्यादा गिरे हुए हैं अपने एक्सपेंडिचर के अन्दर। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि इकोनोमिक सर्विसेज पर आपका खर्चा कितना होता है। मैं आपको निवेदन करूं कि एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विसेज 1991–92 में था 34.77 प्रतिशत और 1995–96 में बढ़कर 38.29 प्रतिशत हो गया। इंडेक्स आपका 696 से बढ़कर 1479 हो गया, दुगने से ज्यादा बढ़ गया। जनरल सर्विसेज का इंडेक्स आपका इस रेट से बढ़ रहा है और सोशल सर्विसेज में 1991–92 में था आपका 39.36 पर्सेण्ट और 1995–96 में हो गया 36.65 पर्सेण्ट। आपका सोशल सर्विसेज, जो कि आम जनता की फायदे की सर्विसेज हैं, आपकी हैल्थ की सर्विसेज हैं, आपकी एज्युकेशन की सर्विसेज हैं, इस टाइप की जो सर्विसेज हैं उन पर तो आपका इंडेक्स दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है और जनरल सर्विसेज पर आपका इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है और आप कह रहे हैं राजस्थान को अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं। हम प्रोग्रेस के ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। आपका डवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कुल डवलपमेंट एक्सपेंडिचर मैं आपको निवेदन करना चाह रहा था, जो इंडेक्स है वह

(श्री हरिसिंह)

1991-92 में है 554, 1980-81 की स्थिर कीमतों पर इंडेक्स है, निवेदन कर रहा हूं आपको, 554 था जो 1995-96 में 1025 हुआ, 1992-93 में आपका डवलपमेंट एक्सपेंडिचर था 66.95 पर्सेण्ट, 67 पर्सेण्ट था और 1995-96 में घटकर रह गया 61.77 पर्सेण्ट। यानि 6 पर्सेण्ट के करीब आपका डवलपमेंट एक्सपेंडिचर तीन साल के अन्दर गिर गया। आप डवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर कम खर्च कर रहे हैं, आप इकोनोमिक सर्विसेज पर कम खर्च कर रहे हैं, आप सोशल सर्विसेज पर कम खर्च कर रहे हैं, आप जनरल सर्विसेज पर कम खर्च कर रहे हैं, आप नान-प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, आपका जी. डी. पी. गिर रही है, आपकी इकोनोमिक ग्रोथ रेट गिर रही है, आपकी इण्डस्ट्रियल ग्रोथ रेट गिर रही है और फिर आपकी बढ़ क्या रही है? बढ़ रहा है आपका कर्जा, जो कि हंड्रेड पर्सेण्ट बढ़ा बढ़नी चाहिए थी हमारी खाद की रेट। खाद की रेट आज आप देखें, जो हमारे एग्रीकल्चर के काम आती है भारत में 70.7 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर खर्च होता है और राजस्थान में कितना खर्च होता है, अनुमान लगाये आप, 23.4 किलोग्राम। कितनी लज्जा की बात है। राजस्थान का एग्रीकल्चर, जो मरूस्थलीय प्रदेश है, उसमें 23.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खर्च होता है और भारत का जो औसत है वह 70.7 किलोग्राम। एग्रीकल्चर जो आपका मुख्य धन्धा है, उस पर आपका ध्यान नहीं है और उसके बाद भी आपने बजट में, इस साल का जो बजट बनाया है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है। आप कोई भी एक आइटम ऐसा बता दें, कि हमने ट्रेक्टर पर सैल्स टैक्स कम किया है, कि हमने उसकी सीड्स के ऊपर कम किया है, हमने सिंचाई के ऊपर कोई ज्यादा पैसा खर्च किया है, किस चीज पर आपने ज्यादा पैसा खर्च किया है।

इन इंडीकेटर्स को देकर, निवेदन कर मैं यह बताना चाहता था कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन गिरती, बिगड़ती जा रही है। आपका जो यह बजट बना हुआ है, वह विकासोन्मुखी न होकर अवनति की ओर ले जाने वाला बजट है।

तीसरा मैंने चार्ज लगाया, श्रीमन्, कि यह पूर्वी राजस्थान के हितों की अनदेखी करने वाला बजट है। अभी मुख्य मंत्री महोदय चले गये, वे कह रहे थे कि मैं यमुना का पानी लाया। मेरे पास दोनों एग्रीमेंट्स हैं, जो चेन्ना रेड्डी साहब के सामने एग्रीमेंट बन कर आया था दस्तख्त करने के लिए और जो अब इसमें दस्तख्त हुए हैं, उसमें भी 1.119 बी. सी. एम. शेयर मिला है राजस्थान को पानी में, 1.119 बिलियन क्यूबिक मीटर। अब जो हुआ है, उसमें भी 1.119 पानी राजस्थान के लिए मिला है। एक बूंद पानी उस वक्त से लेकर आज तक राजस्थान के शेयर में बढ़ा नहीं है। 1954 से लेकर राजस्थान के अन्दर यमुना का पानी, राजबहादुर जी के जमाने से क्लेम करते चले आ रहे थे, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है लेकिन दुःख, की बात यह है कि जो शेयर मिल गया राजस्थान के लिए उस पानी को लेने का कोई प्रबन्ध नहीं कर रही है यह सरकार। आप देखिये कि पूर्वी राजस्थान के हिस्सों के साथ कितनी खिलवाड़ हो रही है?...(व्यवधान)....

(श्री हरिसिंह)

आप मेरी बात तो सुन लीजिए। पानी आने के राजस्थान के अन्दर अभी तक केवल तीन रास्ते बने हुए हैं एक तो है गुड़गांवा कैनाल, दूसरी है भरतपुर फीडर और तीसरी है डीग डिस्ट्रीब्यूटरी गुड़गांवा केनाल के अन्दर 500 क्यूसेक्स पानी लेने का हमारा अधिकार है और भरतपुर फीडर से 300 क्यूसेक्स पानी लेने का अधिकार है और डीग डिस्ट्रीब्यूटरी है उसमें 50 क्यूसेक्स पानी लेने का अधिकार है। अब इनकी स्थिति क्या होगी ? श्रीमन्, आप कहेंगे हम पानी ले जायेंगे 500 क्यूसेक्स गुड़गांवा गुड़गांवा से। की जो ओरीजिनल केनाल बनी थी वह 2200 क्यूसेक्स के लिए थी। उसमें 1700 क्यूसेक्स तो हरियाणा का और 500 क्यूसेक्स का राजस्थान का, 2200 क्यूसेक्स पानी लेने की क्षमता वाली यह केनाल बनी थी। पहली बात तो यह है कि इस 2200 क्यूसेक्स पानी में हम कह दें 500 क्यूसेक्स पानी आप लाना चाहेंगे उससे। इसका मैं आपको निवेदन करूं, मंत्री महोदय, आपको मैं कुछ रैफर करना चाहता हूं। इसकी स्थिति क्या है कि 17-5-1992 को आपकी हरियाणा के साथ जो मिनिट्स ड्रा हुई, यह लिखा हुआ है—"Gurgava Canal in Haryana portion : This portion of the canal is also badly silt-up and its capacity has been reduced to 400 as against designed discharge of about 2200 cusecs.".

2200 क्यूसेक्स की केनाल जो डिजाइन हुई थी, उसकी कैपेसिटी 1992 में 400 क्यूसेक्स पानी की रह गयी है और आज 400 क्यूसेक्स से, चार साल के अन्दर हो सकता है, 50 क्यूसेक्स और कम रह गयी हो। 350 क्यूसेक्स उसकी कैपेसिटी है और भरतपुर फीडर की 300 क्यूसेक्स से 100 क्यूसेक्स की रह गयी है। मुख्य मंत्रीजी खुद देख कर आये हैं, 300 घट कर 100 रह गयी और 2200 घट कर 400 रह गयी। अब अगर उसमें यमुना का पानी आयेगा तो हरियाणा वाले पहले लेंगे। जो 1700 क्यूसेक्स पानी लेना चाहते हैं गुड़गांवा केनाल से, वह पहले 400 क्यूसेक्स पानी राजस्थान को लेने देंगे क्या ? इस केनाल के अन्दर तो 400 आता है और फसल के समय तो हरियाणा को भी जरूरत पड़ती है और राजस्थान को भी जरूरत पड़ेगी, तो पहले अपनी मीट करेंगे कि वह आपकी मीट करेंगे ? केरियर सिस्टम उनका, उनकी बाउण्ड्री में होकर आता है, आप पानी कहां से ले आयेंगे उसके अन्दर ?

श्री देवीसिंह भाटी : गुड़गांवा नहर की कब से हालत खराब है ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : गुड़गांवा नहर की हालत बहुत दिन से खराब है।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप सिंचाई मंत्री बने तब से।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सुनिये। मैंने इसका स्पेशल क्वेश्चन पुट अप किया है कि आप इस केनाल के उस सिस्टम को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं ? आप कहते हैं हैं कि हम पानी ले लेंगे इसके अन्दर। मैंने सवाल पूछा है आपसे, इसी सैशन में जवाब आया है। क्या समझौते के अनुसार राजस्थान के हिस्से का जल राजस्थान के भरतपुर

(श्री हरिसिंह)

आदि जिलों में लेने के लिए राजस्थान की नहरों में क्षमता बढ़ाने की कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें। आप जवाब देते हैं, जी नहीं। कोई प्लान नहीं है आपका। जी नहीं। यानि आप योजना तो कोई बना नहीं रहे, आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाना नहीं चाहते, आपने कह दिया पानी आयेगा। पानी आयेगा तो पानी कहां से ले लोगे आप ? यह मान लो कि कल पानी आ जायेगा आपका, देखो, कहां से आता है पानी। आप भरतपुर के लिए, पूर्वी राजस्थान के लिए एक पैसा खर्च नहीं करना चाहते, आप वहां के लोगों के हितों पर कुठाराघात करना चाहते हैं। अगर कोई और जिला हुआ होता, मैं आपसे निवेदन करता हूं तो अब तक एक स्पेशल चीफ इन्जीनियर बना दिया गया होता वहां के लिए, यमुना वाटर्स के लिए अलग से सैल बन गया होता, वहां पर करोड़ों रुपये का प्रावधान हो गया होता बजट के अन्दर। आप तो सो रहे हैं। पानी कल आयेगा, तो आप कहां से लेंगे ? पानी तो आयेगा, पानी क्यों नहीं आयेगा। मंत्री महोदय, मैं आपसे यह और निवेदन करना चाहता हूं 300 क्यूसेक्स पानी अगर आपका है, इस समय इन दोनों में आपको कितना पानी मिल सकता है ? आप तसल्ली से सुन लीजिये। देखिये, राजस्थान का एलोकेशन है जुलाई-अक्टूबर के बीच 0.963 बी. सी. एम. का, नवम्बर-फरवरी के बीच में 0.070 बी. सी. एम. का और मार्च और जून के बीच में 0.086 बी. सी. एम.। तो अगर यह 0.086 बी. सी. एम., आप अगर विलियन को मानते हैं इंग्लैण्ड के हिसाब से तो टेन रेज टू दी पावर ऑफ ट्वैल्व हो जायेगा, इतना क्यूसेक्स पानी होगा और आप कहते हैं अमेरिकन सिस्टम से लेते हैं इसको विलियन के लिए तो टेन रेज टू दी पावर ऑफ नाइन हो जायेगा। उस हिसाब से भी आपको 360 क्यूसेक्स पानी आज रोज मिलना चाहिए और इस साल एक बूंद पानी नहीं मिला है, श्रीमन्, समझौते के हिसाब से और जिसका इतना हो रहा है कि राजस्थान के अन्दर यमुना जल से निहाल कर दिया हमने तो पूर्वी राजस्थान को। मंत्रीजी, बैठे हैं, आप जवाब दे देना, आंकड़े निकलवा लेना आप कि क्या एक बूंद भी पानी इस समझौते के हिसाब से मिला है। अब की बार बरसात में पानी वही मिला जो हर साल मिलता था, दसियों साल से पानी मिलता रहा यमुना का।

मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आप इससे सन्तुष्ट मत होइये कि यमुना जल से आपने पानी ले लिया। राजस्थान का शेयर गंगा के अन्दर भी है। यह सवाल हमने बहुत दिन से उठा रखा है। गंगा के पानी के अन्दर हमारा शेयर क्यों है ? इसलिए है कि आगरा केनाल के अन्दर गंगा के पानी से इरिगेशन होता है। हिण्डन नदी के माध्यम से गंगा से पानी आता है जो आगरा केनाल में गिरता है और उससे इरिगेशन होता है और क्योंकि गंगा के बेसिन में पानी आता है, राजस्थान के अन्दर आ सकता है जो उत्तर प्रदेश के बगल में आता है, हमारा भी इसमें शेयर बनता है और गंगा का पानी फालतू जाता है

(श्री हरिसिंह)

समुद्र के अन्दर । वह भी मैं आप से निवेदन करूं । मंत्री महोदय, आप तो वैसे हमारे बहुत हितकारी मंत्री हैं ...

श्री देवीसिंह भाटी : गंगा का पानी लाकर रहेंगे ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : You are very considerate Minister. मैं इसलिये आपसे निवेदन कर रहा था कि हरिद्वार पर जो इनका बैराज बना हुआ है, उस पर गंगा की कैपेसिटी है 22,000 क्यूसेक्स पानी की और इनकी जो गंगा केनाल है वह सिर्फ 10,000 क्यूसेक्स पानी लेने की क्षमता की बनी हुई, तो 22,000 क्यूसेक्स पानी का हरिद्वार पर डिस्चार्ज है और 10,000 क्यूसेक्स पानी यह अपनी गंगा केनाल में ले सकते हैं बाकी 12,000 क्यूसेक्स समुद्र में जाता है । अगर आप बात करें उस पर, चर्चा चले, शुरूआत हो, हम नहीं चर्चा कर पाये, हम यह नहीं कहते हैं कि क्यों नहीं कर पाये, आप इसकी चर्चा करें, आप इसका श्रेय लीजिये तो गंगा का पानी भी मिल सकता है राजस्थान के अन्दर । वह पानी वेस्ट जाता है ।

तो मैं आप से यह निवेदन कर रहा था कि अगर यह काम भी आप करेंगे तो 300 क्यूसेक्स की जगह 500,600 क्यूसेक्स पानी मिल सकता है । यह मैंने आपको पूर्वी राजस्थान के हितों के लिए निवेदन किया । उसमें एक पैसा नहीं रखा इन्होंने, अब रख लीजिये ।

हमारे पीने के पानी के लिए एक स्कीम बनी हुई है 'चम्बल प्रोजेक्ट' से । 400 करोड़ की स्कीम है, एक पैसा भी रखा है उस बजट के अन्दर ? बता दीजिये । पूरे भरतपुर जिले के लिए पानी मिल सकता है, धौलपुर जिले को पानी मिल सकता है लेकिन स्कीम बनी हुई है आपके कागजों में, है क्या इस बजट के अन्दर कोई चीज इसमें ? नहीं है । इसलिये मैं यह एलीगेशन लेकर के चलना चाहता था कि यह बजट पूर्वी राजस्थान के हितों पर कुठाराघात करने वाला है । स्पेसिफिक रूप से मैं यह चार्ज लगाना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, तीसरा मैंने अभी आपको बताया, आप कहते हैं कि यह बजट तो चिकित्सा के लिए समर्पित है । पिछले साल वाला बजट तो शिक्षा के लिए समर्पित बजट था । तो इस चिकित्सा के लिए समर्पित बजट की कहानी सुन लीजिये आप । कितने आपने प्रावधान किये हैं ? इस वर्ष आप 57 करोड़ रुपये तो बिल्डिंग पर खर्च करेंगे । और जनता के लिए क्या काम करेंगे आप, 89 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आप खोलेंगे जबकि कांग्रेस के राज में, 1988-89 में बता रहा हूं मैं आपको, 300 पी. एच. सी. खुली थीं । इस साल तो चिकित्सा के लिए समर्पित बजट है उसमें ...

श्री देवीसिंह भाटी : वह तो जाते-जाते खोल गये ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सुनिये, जाते-जाते ही सही, यह क्या पता था कि जायेंगे, कौन जायेगा और क्या आयेगा ।

श्री देवीसिंह भाटी : वह तो, माननीय सदस्य, जाते-जाते खोल गये । राज जा

(श्री देवीसिंह भाटी)

रहा था तो खोल गये। प्रावधान कहां था ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : खोलके न। 300 पी. एच. सी. खोले हैं। मंत्री महोदय, 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अगेंस्ट में 50 रेफरल हास्पिटल का बजट था हमारा। 150 स्वास्थ्य केन्द्र आप खोलना चाहते हो उसके अगेंस्ट में 1700 उप केन्द्र का हमारा बजट था। और आपके 700 स्वैच्छिक आधार पर उप केन्द्र चलाये जायेंगे। खोलेंगे नहीं नये, स्वैच्छिक आधार चलायेंगे आप। इसके अगेंस्ट में हमारे थे 1700 उप केन्द्र। 100 बैड्स का प्रावधान था, 86 ई. सी.जी. का था, 30 एक्स-रे मशीनों का था, 471 एड पोस्ट का था। इसका हिसाब लगाइये आप। आपका जो चिकित्सा को समर्पित बजट है वह उस आधार पर कहीं टिकता है क्या ?

इसके अलावा शिक्षा का बजट आप कहते हैं जिसके लिए आपको नामवारी मिल रही है, उस शिक्षा के बजट का भी मैं आपको हवाला देना चाहता हूं। श्रीमन्, शिक्षा का मैं आपको बता रहा हूं, इस वर्ष में 60 तो आप उच्च माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय मिलाकर खोलेंगे, कुल 60 पूरे राजस्थान में, जबकि 1988–89 में 200 उच्च माध्यमिक विद्यालय और 200 माध्यमिक विद्यालय का बजट था। 1988–89 में 300 का था और 1989–90 में 600 माध्यमिक विद्यालय का था।

श्री देवीसिंह भाटी : 1986–87 का बता दो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 1986–87 का मेरे पास फिगर नहीं है, आप निकलवा लेना।

श्री देवीसिंह भाटी : हां, वह फिगर क्यों हो ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : वह निकलवा लेना। 1989–90 में 89 माध्यमिक विद्यालय और आपके 60। 60 के आधे करो 30। बाकी भी नहीं और आप उच्च प्राथमिक विद्यालय 600 खोल रहे हैं जबकि हमने 1987–88 में प्राथमिक विद्यालय 1,100 खोले थे। आपका बजट है 614 का और 1988–89 में पांच हजार का हमारा प्रोविजन था, तीन हजार का 1989–90 में। शिक्षा की हालत मैं आपको बताऊं। सड़कों का आपने कहा, तीर मार लिया कि हमने, सड़कों पर यह काम किया है इतना करेंगे, यह हमारी नीति बनी हुई है। अब आप देखिये, सड़कें बनायेंगे आप 1995–96 में 1150 किलोमीटर और श्रीमन् 350 गांवों को जोड़ेंगे। दो सौ एम.एल.ऐज हैं, एक एम.एल.ए. की कांस्टीट्यूएंसी में डेढ़ गांवों को जोड़ेंगे आप, कितनी बड़ी तरक्की होगी, इतनी बड़ी अच्छी नीति बनी है इनकी। जबकि 1984–85 के अन्दर हमारी कांग्रेस के जमाने में दो हजार पांच सौ किलोमीटर सड़क का प्रावधान था....

श्री देवीसिंह भाटी : वह जमाना गया।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जमाना गया, जमाना आता है।

श्री सभापति : अब आप कन्क्लूड करें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जमाना तो आ जाएगा। लेकिन मैं यह जो स्थिति आपको बता रहा था यह बहुत जल्दी लाये हैं उस जमाने को, जिसमें हम नहीं जाना चाहते। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप डवलपमेंट में कहीं टिकते नहीं, आप शिक्षा में कहीं टिकते नहीं आप हैल्थ में कहीं टिकते नहीं, कहीं आप अपने इकोनोमिक इंडीकेशन में टिकते नहीं और फिर आप कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा बजट पेश किया है।

अब इसके अलावा मैं किसानों की एक बात और कहूं। मैंने इस बजट पर तीन चार्जेज लगाये हैं। मैंने पहला तो यह लगाया था कि इसकी आर्थिक स्थिति द्योतक इस बात की है कि राजस्थान में जर्जर हो चुकी। आपका जो बजट है, विकासोन्मुखी नहीं होकर अवनति की ओर जाने वाला बजट है। दूसरा मैंने आपके ऊपर चार्ज लगाया कि पूर्वी राजस्थान के हितों पर कुठाराघात करने वाला बजट है और तीसरा मैं यह कह रहा हूं कि यह किसान का विरोधी बजट है। किसान के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया इसके अन्दर ... (व्यवधान) मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा। हां, तो मैं कह रहा था, क्या प्रावधान किये हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लेना चाहते हैं।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य, एक और जोड़ दें कि कांग्रेस साफ करने वाला बजट है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या कहा आपने ?

श्री सभापति : नहीं, कुछ नहीं कहा। प्लीज कंटीन्यू इट।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि इसमें सिवाय व्यापारियों और व्यवहारियों के, एक तिहाई इसी के ऊपर लिखा हुआ है कि व्यवहारियों के लिए ये करेंगे, यह सरलीकरण करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। किसान गरीब का नाम भी नहीं लिया है कि किसान के लिए काम करेंगे। उसको बीज, सस्ता देंगे हम, उसको खाद सस्ता देंगे हम, सिंचाई का काम करेंगे हम, उसके गांव में स्कूल खोलेंगे हम, उसके हैल्थ की देखभाल करेंगे हम.... (व्यवधान) देख लो इसमें लिखा हुआ है ? सुनिये आप, सोने-चांदी के आभूषणों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उसमें एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट हो रहा है, उस पर आपने खास तौर से ध्यान दिया है। संविधान में व्यवहारियों की कठिनाई के ऊपर आपने बड़ा जिक्र किया है आपने उसकी सरलीकरण करने की बात की है। वर्क्स कांट्रेक्ट की संविदा राशि में चार प्रतिशत की मुक्ति सुविधा आपने प्रस्तावित की है। इलेक्ट्रोनिकर्स हार्डवेयर्स की आपने बात की है, आपने टैक्स लगा दिया - खांडसारी पर, आपने टैक्स लगा दिया कम्बल पर, तोलिये पर, चादर पर, रूमाल पर। रूमाल पर उतर आये हैं, आप टैक्स लगाने ...

श्री रतनलाल ताम्बी : रूमाल पर भी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यानि इससे और कोई चीज बची नहीं है इनकी नजर से....

श्री देवीसिंह भाटी : गरीब रूमाल नहीं रखता।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : गरीब रूमाल नहीं रखता। लेकिन यहां तो पता है कि एक्साइज ड्यूटी, जिस समय लगायी गयी थी उस समय इन चीजों पर, कपड़े पर सेल्स टैक्स माफ किया गया। उस सिद्धान्त को स्वीकार किया था राजस्थान ने नहीं, पूरे देश ने कि हम इन चीजों पर सेल्स टैक्स नहीं लगायेंगे। उसके सिद्धान्त पर आप रहें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : समाप्त करें। नाउ कन्क्लूड इट प्लीज।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : किसान के लिए आपने क्या-क्या इम्प्रूवमेंट सीड्स, फर्टिलाइजर इत्यादि, कोई चीज आपने इसमें नहीं ली। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कोई दो-चार मिट्टी परीक्षण की यूनिट्स ही कायम कर देते। एग्रीकल्चर की कोई लेबोरेट्रीज बना देते आप। कोई सिक्योरिटी की स्कीम बना देते किसानों के लिए आप। आप कोई क्लासेज खोल देते। आप एग्रीकल्चर के कोई स्कूल खोल देते। आप गांव में कोई आ. टी. आई खोल देते। उसके बावजूद आप कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, विकासोन्मुख बजट है। मैं आपसे संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, आप भी घंटी बजा रहे हैं, व्यग्र हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके आदेश को मानते हुए एक खास बात निवेदन कर रहा हूं। शायद मेरा सौभाग्य है कि इरिगेशन मिनिस्टर मेरे सामने बैठे हुए हैं। यमुना जल मिल रहा है, आ रहा है, और आएगा। सुप्रीम कोर्ट में मैटर कितनी देर पड़ा रहेगा, ज्यादा नहीं पड़ा रहेगा। आप तैयारी करिये। इससे काम थोड़े ही चलेगा। आपने कुछ योजना नहीं बनायी है। आपको यह गुड़गांव कैनाल है, भरतपुर फीडर है, इनकी केपेसिटीज को बढ़ानी होगी, इसकी सिल्ट-अप करना होगा और इसके अलावा आपको अपना खुद का करिअर सिस्टम पानी लेने का बनाना पड़ेगा। यू. पी. के अंदर करिअर सिस्टम है आपको यू. पी वाले पानी नहीं देंगे। हरियाणा के अंदर करिअर सिस्टम है। आपको वह पानी नहीं देंगे। आज बड़ी चैनिल्स चल रही हैं। आज तो पाइप में पानी आ सकता है। खैर, खड़ा हुआ पानी आप लायेंगे उसमें एनक्रोचमेंट करेंगे, आपको पानी नहीं लेने देंगे। तो मेहरबानी करके आप ऐसी स्कीम बनाइये राजस्थान में जिससे यमुना का जल आ सके। कुछ किसानों को इसमें लाभ दीजिये और जो सोशल सर्विसेज हैं, उस पर पैसा बजट के अंदर बढ़ाना चाहिए। यही मुझे आपसे निवेदन करना है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रूपाराम जी।

श्री रूपाराम (मकराना) : सभापति महोदय, बजट पर चर्चा के समय मेरे विचार आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचाना चाहूंगा। इससे पहले मैं बजट से हटकर क्योंकि बिना आपके आदेश के खड़ा होना आसन की मर्यादा के खिलाफ है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया और जो माननीय सदस्य जबरदस्ती उठकर बीच में बोल गये वह बोल गये, उनका काम हो गया। मुझे लगता है कि यहां पर भी किसी

(श्री रूपाराम)

के अधिकारों का हनन होता है । जो मर्यादा रखते हैं, इस सदन की शालीनता और गरिमा में विश्वास रखते हैं, मुझे लगता है कि इनको यहां भी घाटा उठाना पड़ता है... (व्यवधान) इस सदन की गरिमा और शालीनता की जो बात है, जो दिनों-दिन कमी होती जा रही है, सदन में ज्यादा जिम्मेदारी पक्ष वालों की है, इसकी गरिमा और गम्भीरता को समझनी चाहिए ।

हमारे जो प्रश्न देते हैं, हम लाल कागज में प्रश्न काल की या समय की कमी की वजह से वह लाल की बजाय सफेद में उत्तर आते हैं तो फिर लाल में देने का औचित्य क्या रहा ? और सभी प्रश्नों के उत्तर गलत आते हैं । यह तो मैं इतना ही बोलूंगा क्योंकि आज वह सब्जेक्ट नहीं है । लेकिन सभापति महोदय, यह मेरे हिसाब से गंभीर विषय है । सदन की गरिमा या शालीनता हम लोग ही अगर नहीं बनाये रखेंगे तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है । मुझे तो लगता है अगर आप किसी दर्शक से, जो विधान सभा की कार्यवाही देखकर जाता है उसके पीछे खुफिया लगा दीजिये, फिर जो दर्शकों की कही हुई बात है वह सुनकर कभी हमें सुनाइये, वह हमारे बारे में इस तरह की बातें करते हैं कि वह हम सुनना भी पसन्द नहीं करेंगे ।

आज बजट पर चर्चा चल रही है । मैं इस बजट को सच्चाई से परे तथा वास्तविकता से दूर मानता हूं । वजह, इसमें नई नीतियों का भी कुछ उल्लेख है और मैं मानता हूं, जैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल कहा, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी व्यवस्था है, वह खुद मानते हैं, हमारी व्यवस्था या सिस्टम में जब तक सुधार नहीं आता तो चाहे कितनी ही नीतियां नई बनायी जाएं, नीतियां तो नई हैं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, नीयत तो वही है पुरानी । मेरे माननीय सदस्य मुझसे यह पहले पूछ रहे थे कि कुछ कविता लिखी तो मैंने इस पर एक छोटी-सी दो-चार लाइनों की कविता लिखी है :—

नीतियां नयी हो तो क्या है नीयतता पुरानी है
बिना नीयत सुधारे, सुधरने का दावा भी बेमानी है ।
जब नीयत ही खराब है तो पग-पग पर मनमानी है,
न ईमानदारी, न कानून, न सड़क, न बिजली और न पीने का पानी है ।
माननीय मुख्य मंत्रीजी सुनें यह मेरी जुबानी है
कुछ ऐतिहासिक कर गुजरें, वरना यह कुर्सी तो आनी-जानी है
कुर्सी ही नहीं, अब तो यह शरीर भी बुलबुला पानी है,
कुर्सी ही नहीं, अब तो हम सबका यह शरीर भी बुलबुला पानी है
जो इस पर करे गर्व ज्यादा, मैं समझता हूं उसकी नादानी है ।

अनेक माननीय सदस्य : वाह-वाह ।

श्री रूपाराम : मैं धन्यवाद देता हूं । बजट के बारे में मैं यह नहीं कहता या मेरा विचार, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं यह कतई नहीं कहना चाहता कि कांग्रेस का बजट अच्छा हुआ करता था यह बजट खराब है । मेरा आपसे निवेदन है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो यह परम्परा चली

(श्री रूपाराम)

आ रही है इसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें कहूंगा। बजट में एक तो यह कतई नहीं दर्शाया गया है, इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि इसमें गांव के लोगों का हित हो या गांव के लोगों के लिए इतना धन लगाया जायेगा और साथ ही उन गरीब मेधावी छात्रों के लिए जो गरीब हैं, ग्रामीण हैं, उनके लिए इसमें कोई प्रावधान मुझे नहीं दिखायी दे रहा है।

सभापति महोदय, आज गांव के लड़के, छात्र, गांव के बेरोजगार छात्र या शहर के छात्रों का तालमेल कराया जाये चाहे वह खेल का मैदान हो या शिक्षा का मैदान हो। गांव के छात्र या गांव के लड़के अभावों में जीकर भी प्रतिभा रखते हैं और गांवों में अगर खेल का मैदान जो शहरों में है वह गांवों में बनाया जाये तो मैं समझता हूं इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। हमारे देश का नाम खेलों में ऊचा हो सकता है। मैं खुद का आपके सामने साक्षात एक नमूना हूं, सबूत हूं। मैं भी अभावों में जीया। आज भी मैं 42 साल का हूं, कोई तीस साल का छात्र मेरे साथ दौड़कर बता देवे लेकिन मैं अभावों में जीया। मैं 1972 तक तो जयपुर का रास्ता ही नहीं जानता था। मैं भी आज जो मैं कह रहा हूं यह पहले ऐसी व्यवस्था होती तो जो गांवों में विकास होते हैं, तो गांवों में और शहरों में ज्यादा फर्क नहीं होता। मैं समझता हूं आज मैं हिन्दुस्तान का नाम ओलम्पिक तक पहुंचा देता दौड़ने में। लेकिन अभावों में जीने की वजह से यह हो रहा है। मेरे जैसी न जाने कितनी ही प्रतिभाएं दबायी जा रही हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : वेटरन ओलम्पिक में जाओ।

श्री रूपाराम : बूढ़ल्या न जाबा कौनी देवे, जवानां न ही जाबा देवे।

सभापति महोदय, दूसरा आरक्षण के हिसाब से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो सुविधाएं और जो लाभ दिये जा रहे हैं, उनके लिए कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है। एक बार जो आदमी आरक्षण का फायदा ले लेता है, ले लेता है। लेकिन ऐसा कोई आयोजन हो, ऐसी कोई योजनाएं हों कि जो लोग इस मामले से या इस लाभ से अनजान हैं उनकी जानकारी करायी जाये और उनको भी इस तरह से फायदे दिए जायें। मैं समझता हूं कि एक वर्ग विशेष उनमें पैदा हो रहा है। कुछ लोग बार-बार फायदा ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा भी कोई बोर्ड बनाया जा सकता था या उसमें भी कहीं ज्यादा लाखों जैसी राशि लगाकर उन लोगों को समझाया जा सकता था कि आप भी इसके तहत फायदा ले सकते हैं।

सभापति महोदय, सवर्ण जाति में जो गरीब हैं, जो मेधावी हैं, जो प्रतिभाएं हैं, जो बेरोजगार हैं उनके लिए इस बजट में कोई भी राहत का प्रावधान मुझे नहीं दिखायी दिया। क्या सवर्ण जाति में जनम लेना पाप हो गया है या सवर्ण जाति में गरीब पैदा नहीं होते हैं या मनुष्य खुद अपना जन्म लेने में सक्षम है। मेरा मुख्य मन्त्रीजी से कहना था या कहना है कि कुछ ऐतिहासिक कर गुजरों, ऐतिहासिक कर गुजरने की आशा से ही ऐसा लोगों का विचार था, आशा थी कि माननीय मुख्य

(श्री रूपाराम)

मन्त्रीजी एक ऐतिहासिक पुरूष है और वह ऐतिहासिक कारनामें, ऐतिहासिक सुधार, ऐतिहासिक व्यवस्था या ऐतिहासिक फायदा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वह इस बात पर खरे उतरे हैं। सभापति महोदय, जो सवर्ण छात्र हैं, सवर्ण जाति में जो जन्मे हैं, जो गरीब हैं, जो पढ़ने में सक्षम हैं, जो मेघावी हैं, जो तीव्र बुद्धि के हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनके लिए मैं समझता हूं इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

बजट में करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं पुलिस सुदृढ़ीकरण के लिए, मैं मुख्य मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि पुलिस सुदृढ़ीकरण है या पुलिस सुधारीकरण। अगर सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ थोड़ा सुधारीकरण पर भी खर्च कर देते तो मैं समझता हूं बजट में थोड़ा ठीक रहता। माननीय मुख्य मन्त्रीजी पिछले 35-40 सालों में राजनीति में प्रभावशाली रहे हैं अन्यथा उनको कब का ही पता लग जाता कि पुलिस तो बहुत सुदृढ़ है। कहीं गरीब लोगों का जो काम पड़ा है पुलिस से तो वह मानते हैं कि पुलिस तो बहुत सुदृढ़ है।

एक माननीय सदस्य : मुख्य मन्त्री जी खुद पुलिस थे।

श्री रूपाराम : हां तो पुलिस में थे तो भी कुछ नहीं है। अगर वह राजनीति में प्रभावशाली नहीं रहते तो उनको सुदृढ़ीकरण के लिए आज जो 330 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं वह सुधारीकरण के लिए दिया जाता।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सभापति महोदय, आपको घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे जैसे आदमी का यह है कि मैं दो-चार मिनट में ही बैठ जाता हूं। मेरे पास में ऊपर-ऊपर के शब्द हैं, गहराई में मैं नहीं जाता। प्रशासन के सुधारने की बात हमारे कलक्टर साहब को तो सम्मानित किया साल में सबसे अच्छा काम करने के लिए। एक साल और दो महीने हमारे बीजपुरा गांव में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सरकार द्वारा जो पानी निकाला जा रहा है उसको नहीं पीने दे रहे हैं कुछ प्रभावशाली लोग। एक साल दो महीने हो गये। मैंने कलक्टर साहब को 3-4 दफा चिट्ठी लिख दी, टेलीग्राम दिया। जल विभाग की तरफ से ए. ई. एन. की रिपोर्ट है कि इन लोगों को पानी नहीं पीने दिया जा रहा है। यह मेरे पास में कापी है। मैंने दिखाया, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और आप कह रहे हैं कि संवेदनशील यह सरकार है, पुलिस में और प्रशासन में सुधार के लिए और पैसे लगाये जायेंगे।

आप विशिष्ट और अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं। मेरे हिसाब से मैं विधान सभा में सारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करके आया हूं तो मैं भी विशिष्ट आदमी हूं। मेरी सुरक्षा का जिम्मा भी है। मेरी लाइसेंसशुदा रिवाल्वर 1989 में साधारण लोगों की तरह जमा करवा ली। मैंने माननीय कलक्टर साहब से कहा कि मैं अब एम.एल.ए. बन गया हूं मैंने अब म्हारी रिवाल्वर दे दो। लिखित में दिया पांच-छह बार। उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। मैंने माननीय गृह मन्त्रीजी को भी कहा है।

(श्री रूपाराम)

हालांकि मुझे कोई मारने वाला नहीं है लेकिन मैं आपकी संवेदनशीलता या यह जो प्रशासन में बात कर रहे हैं, माननीय जिला कलक्टर को आपने सम्मानित किया, उसके बारे में सम्मानित करने से पूर्व कुछ तो आंकड़े लिए होंगे, +++ अधिकारियों को सम्मानित करने का कोई फैसला बना रखा है क्या ? जो अधिकारी विधायक की सुरक्षा की बात को नगण्य करते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पानी एक साल दो महीने से नहीं मिल रहा है, अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। तीन-चार दफा टेलीग्राम दे दिया, चिट्ठियां दे दीं और एक और तो बिजली की बात को लेकर माननीय चेनाराम जी, अमराराम जी और मैं चार-पांच दिनों तक कुचामन में धरना दिया तीन-चार हजार किसानों के साथ, कलक्टर साहब आये, उन्होंने कहा कि जे. ई. एन. बदमाश है, हटा देंगे, ठीक है। फिर कहा कि इनकी इन्क्वायरी करा देंगा, ठीक है। आज तीस दिसम्बर की बात है। एक का तो प्रमोशन जे. ई. एन. से ए. ई. एन. होकर मेरे लगा गया। वह इन्क्वायरी हो रही है इनकी ? सभापति महोदय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इतनी हंसी हंस लें कि आने वाली पीढ़ी के लिए आंसू ही बचें। यह मेरे हिसाब से तो बहुत गम्भीर बात है। फिर हम लोगों का औचित्य ही क्या है। यह मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी विडम्बना है कि साढ़े चार करोड़ जनता ने हम 200 को चुनकर इसलिए भेजा है कि हम उनके हितों की रक्षा करें, हम उनके विकास की बात करें और मैं समझता हूं हम इसमें सक्षम नहीं हो रहे हैं। अगर यहां भी कुछ करने में सक्षम नहीं हैं तो मैं तो खुली-खुली बोल देता हूं, सभापति महोदय, अगर आपकी व्यवस्था से मैं खुश नहीं हुआ तो मेरे बैठने की जगह वह होगी। मैं सदा के लिए ऐसी जगह बैठूंगा, कुछ दिनों बाद भूख–हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, सभापति महोदय, इस्तीफा लिखकर लाया हूं। अगर मैं मेरे लोगों की भावना को यहां तक नहीं पहुंचा सकता या मैं समझता हूं कि मैं मेरे लोगों के द्वारा दी हुई जो शक्ति है उसमें खरा नहीं उतर रहा हूं। उनकी भलाई के लिए मैं सक्षम नहीं हूं तो मैं एम. एल ए. रहने लायक ही नहीं हूं। मुझे क्या मिलता है इसमें। अगर कुछ दिनों में, मैं समझता हूं आपकी व्यवस्था के अन्दर मैं खुश नहीं रहा तो मेरे बैठने का स्थान वह होगा, भूख-हड़ताल पर बैठूंगा। उसके बाद इस्तीफा दे दूंगा। माननीय मुख्य मन्त्रीजी से .. (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : यह गलती मत कर बैठना।

श्री रूपाराम : इस्तीफा देना गलती थोड़े ही है। एम.एल ए. और एम.पी. केवल राजनीतिज्ञ ही स्वर्ग में नहीं जाते। स्वर्ग में इन्सान के कर्म जाते हैं। यह तो समझने की बात है। ... (व्यवधान) ... लड़ाई करने का हमारा दूसरा तरीका होगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। वह अपनी भावना है जो कह रहे हैं। सरकार इसमें उचित समझे तो कार्यवाही करे।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रूपाराम : अब दूसरा पुलिस सुदृढ़ीकरण की बात इसी में बता देता हूं, बजट की बात से मैं सोचता हूं हटकर है, लेकिन मेरे क्षेत्र की बात है। पुलिस का इसी बीजपुरा के मामले को लेकर। माननीय ज्यादा समय तो नहीं हुआ होगा, दो-तीन मिनट में बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : हो गया। आपने मंत्र मुग्ध कर दिया है इसलिए हाथ घंटी पर नहीं जा रहा है नहीं तो बीस मिनट हो गये आपको।

श्री रूपाराम : दो-तीन मिनट में ही बैठ जाऊं। क्योंकि म्हारा में+++को गुण बिलकुल कोनी। घण्टी पर हाथ जाबा को मतलब बैठ जाऊं?

श्री सभापति : हां

श्री रूपाराम : पुलिस में बताऊं। 6 तारीख को ट्रैक्टर और जीप में एक्सीडेंट हुआ। एक आदमी ट्रैक्टर वाला डीडवाना का था, एक मकराना का था। चुपचाप उठकर दोनों मिट्टी पोंछकर अपने-अपने घर चले गये। संयोग से किसी पुलिस अधिकारी को पता लग गया कि ट्रैक्टर वाला और जीप वाला पैसे वाला था। अब वह रोज कहते हैं कि मुकदमा दर्ज कराओ। पैसे वाले थे मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करा रहे हो? वह कहते हैं मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे। जबरदस्ती इन्होंने दस दिन बाद में मुकदमा दर्ज कर लिया।

दूसरा जब तीजपुरा के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पानी नहीं पीने दे रहे थे और लगातार पीट रहे थे तो अभी 17 तारीख को होली के दूसरे दिन कुछ प्रभावशाली लोगों ने उनके घर में जाकर मारा और पीटा। मैंने सी. एम. साहब से भी कहा, गृह मंत्रीजी से भी कहा। मैंने चार दफे थाने में फोन किया कि इनका मुकदमा दर्ज कर लेना। अब देखो संयोग की बात उधर तो बिना कहे मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और इधर मैंने चार दफा कहा तब भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैं उन सारे आदमियों को मेरा पैसा देकर यहां लाया मुख्यमंत्री जी से मिलाया और जब कार्यवाही हुई 25 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि पुलिस में जो 330 करोड़ रुपये सुदृढ़ीकरण में लगाये हैं, अगर सुधरीकरण में लगाते तो मैं समझता हूं यह अच्छी बात थी।

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्री रूपाराम : आपने मुझे समय दिया इसलिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अर्जुनदास मदान।

श्री रूपाराम : जनता की सेवा का बहाना करके जो विकास खुद का करेंगे, मेरी नजर में वह पापी हैं, दुष्ट हैं और ऐसे लोग बैमोत ही मरेंगे।

श्री टीकमचन्द कान्त : जैसे कांग्रेस मर गयी है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रूपाराम : यह कर्म ही करके देख लो।

श्री सभापति : रूपाराम जी, सहयोग करें। माननीय रूपाराम जी, प्लीज सहयोग करें।

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : माननीय सभापति जी आज देश 47 वर्षों की आजादी के बाद 48वें वर्ष में जा रहा है और इन 48 वर्षों के अन्तराल में यदि हम थोड़ा-सा देखें तो आप कल्पना कीजियेगा कि आज देश की स्थिति किस स्थान पर पहुंची है। तारानगर से आने वाले महानुभाव आदरणीय चन्दनमल जी बैंद ने एक बात रखी थी कि आज राजस्थान के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होता चला जा रहा है और प्रतिवर्ष दो हजार करोड़ रुपये का कर्जा राजस्थान ले रहा है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आज केन्द्र में बैठी हुई सरकार 1991 में कितने की कर्जदार थी ? मान्यवर, उसके ऊपर कर्जा था एक करोड़ 51 लाख रुपये का, जो 1994 में बढ़कर 2 लाख 95 हजार करोड़ रुपया हो गया। इस विदेशी कर्जे में मैं वह 33 हजार करोड़ की राशि रूस की नहीं जोड़ रहा हूं जो कर्जे में शामिल इस अंक में नहीं है। इसके अतिरिक्त देशी कर्जा और भी है। देश की स्थिति यह हो गयी कि जितने लोग यहां पर विराजमान हैं, चाहे वह ऊपर हों, नीचे हों या किसी कक्ष में विराजमान क्यों न हों, आज हम सारे के सारे कर्जदार हैं। जब मेरी भारत मां कर्जदार है और यदि मैं इसका बेटा हूं तो निश्चित रूप से इसका सपूत होने के नाते मुझे भी यह मानना पड़ेगा कि मैं भी कर्जदार हूं। कर्जदार कौन नहीं है ? आज तीन हजार रुपये का प्रत्येक व्यक्ति एक्सटर्नल लोन का कर्जदार है। मान्यवर, मैं देशी लोन की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी लगभग 3 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का कर्जदार है। कल्पना कीजियेगा आज देशी और विदेशी कर्जे को यदि आप जोड़ दें तो कितना कर्जा प्रति व्यक्ति का आता है ? आज कहा जाता है कि राजस्थान बहुत कर्जा ले रहा है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस देश का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो एक करोड़ का कर्जदार न हो। 46 हजार करोड़ रुपये तो प्रतिवर्ष हम ब्याज ही ब्याज में दे रहे हैं। देशी सुरक्षा का पूरा टोटल बजट 23 हजार करोड़ रुपये है और हम ब्याज के खाते में जमा करा रहे हैं 46 हजार करोड़ रुपये। यह देश 127 करोड़ का प्रतिदिन का ब्याज ही ब्याज में दे रहा है। यह स्थिति है हमारी आज उसके कारण। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से कि यह देश जो किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहलाता था आज इस देश में 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह राज गुरू कहलाने वाला, सारे संसार का गुरू कहलाने वाला मेरा भारत, आज भी 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज निरक्षर हैं जिनको आज दस्तखत करना भी नहीं आता। ऐसी स्थिति आज देश की किसने की ? यही आपने बजट बनाया है आये हुए कांग्रेसियों ने। कभी पूंजीवादी बजट बनाया, कभी मिश्रित बजट बनाया, कभी समाजवादी बजट बनाया, कभी उदारीकरण बजट बनाया। अभी मेरे भाई राजपालजी कह रहे थे। बहुत ठीक

(104)

(श्री अर्जुनदास मदान)

बात कह रहे थे। मान्यवर, एक चिड़िया भी घोंसला बनाने से पहले यह तय करती है वह फुदकती रहे, वह चहचहाती रहे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती रहे लेकिन अपना घोंसला बनाने से पहले यह तय जरूर कर लेती है कि मुझे किस पेड़ पर घोंसल बनाना है और जब वह निर्णय करती है अपने जीवन में कि मुझे पीपल के ऊपर घोंसला बनाना है तो अपने सारे तिनके बटोरकर वह पूरे एकाग्रचित से अपना घोंसला उसी पेड़ पर बनाती है। लेकिन आज हम लोग भटक रहे हैं। यह तय नहीं कर पाये कि आज हम क्या हैं। जिन राजाओं के प्रिविपर्स हमने बन्द किये, आज बैंकों का नेशनलाइजेशन हमने किया, यह सोचा था कि गरीब और अमीर के बीच की दूरी खतम होगी। लेकिन माननीय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज तक गरीब और अमीर के बीच की दूरी समाप्त हुई क्या? आज क्या अमीर ज्यादा अमीर होता नहीं चला गया? या गरीब ज्यादा गरीब नहीं होता चला गया? यह देश की कितनी बड़ी विडम्बना है कि इतने अन्तराल के बाद भी हम निर्णय नहीं कर पा रहे कि हमको जाना किस तरफ है। चौराहे पर खड़े हैं

(15.56)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

और यह तय नहीं कर पा रहे कि हमको दायीं तरफ जाना है, या बायीं तरफ जाना है। ऐसी स्थिति आज मेरे देश की हो गयी परन्तु लोग कहते हैं आज हिन्दुस्तान में कोई जमाना था 1830 में जितना निर्यात भारत से विदेश के अन्दर होता था वह 19 प्रतिशत था। सभापति जी आज 19 प्रतिशत से घटकर केवल मात्र आधा प्रतिशत रह गया है। यह किसकी देन है? यह मैं केवल मात्र आपको परिकल्पना दे रहा हूं कि आज हिन्दुस्तान की स्थिति किस तरफ से ली गयी? कितना कर्जा लिया और कहा जाता है कि राजस्थान प्रतिवर्ष दो हजार करोड़ रुपये का कर्जा ले रहा है। कर्जा कौन नहीं लेता? जिसकी बाजार में साख होती है वह कर्जा लेता है। आप टाटा को देख लीजियेगा, डालमिया को देख लीजियेगा, पोद्दार को ले लीजियेगा, सिंघानिया को ले लीजियेगा, मोदी को ले लीजियेगा। हिन्दुस्तान के जितने भी केपेटेलिस्ट्स हैं कोई ऐसा सेठ नहीं है जो एक सौ रुपये में एक रुपया भी अपनी जेब से खर्च करता हो। कितनी बड़ी विडम्बना है। सौ रुपये के धन्धे में वह एक रुपया भी अपनी जेब से खर्च नहीं करता। केवल मात्र शेयर्स अलाट करता है। उधार लाता है बाजार से और उधार लाता है क्योंकि उसकी साख है बाजार में। आज यदि हमने साख पैदा कर ली अपनी तो हिन्दुस्तान की स्थिति की तो मैं बात नहीं करता, राजस्थान को यदि कर्जा मिलता है यदि हम कर्जा लाते हैं तो केवल मात्र हमारी साख का प्रतिफल है। सभापति, यह मैंने थोड़ा-सा चित्रण दिया आपको अपने हिन्दुस्तान का। आज विरासत में हमको क्या दिया कांग्रेस के प्रशासन ने? हमारी स्थिति यह थी कि जिस समय हमें यह विरासत में मिला और राजस्थान की सत्ता हमारे हाथ में आयी उस समय सड़क में हमारा 13वां स्थान था। मैं 14 राज्यों की बात कर रहा हूं जो हिन्दुस्तान

(श्री अर्जुनदास मदान)

के बड़े-बड़े राज्य हैं। सभापति महोदया, मैं उन राज्यों की बात नहीं कर रहा जो छोटे हैं। पूर्वांचल की बात नहीं कर रहा, छोटे और राज्यों की बात नहीं करता, मैं हिन्दुस्तान के उन 14 बड़े राज्यों की बात करता हूं जिनकी गिनती आज बड़े-बड़े राज्यों में आती है और जिसमें मेरा राजस्थान भी है। आज 10 प्रतिशत भू-भाग अपनी बांहों में समेटने वाला मेरा यह राजस्थान जिसकी यह स्थिति आपने हमको ऐसी दी कि आज सड़क में आपने हमको 13वें स्थान पर लाकर छोड़ दिया 14 में से। कोई स्थान ऐसा नहीं है। जैसे कोई बच्चा पढ़ता हो उससे, पिताजी पूछें कि बेटा, पहले नम्बर पर पास होगा कि दूसरे नम्बर पर पास होगा। वह कह दे कि मैं दूसरे नम्बर पर पास होऊंगा तो बड़ी प्रसन्नता होती है मां-बाप को कि मेरा बेटा पहले नम्बर पर आएगा, दूसरे नम्बर पर आएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद बेटा यह कह दे कि पिताजी मैं ऊपर से नहीं, नीचे से दूसरे नम्बर पर आऊंगा तो फिर कल्पना करता है आदमी कि यह पढ़ने-लिखने में कमजोर है तो मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा था कि सड़क में आपने हमारी स्थिति पहुंचा दी 13वें नम्बर पर। स्वास्थ्य में हम रह गये 12वें नम्बर पर। पेयजल की उपलब्धता में हमारा नम्बर था 12वां। शिक्षा में थे हम 14वें नम्बर पर। उद्योग में थे हम 12वें नम्बर पर और यही स्थिति हमको राजस्थान की मिली 1977 में। केवल मात्र 6 साल का अन्तराल, 6 साल का समय हमको ऐसा मिला जिसमें बी. जे. पी. ने चाहे किसी भी नाम पर जनता पार्टी के नाम पर या भारतीय जनता पार्टी के नाम पर राजस्थान की सत्ता सम्भाली। यदि आप 6 साल और 42 सालों में यदि आप कम्पेरिजन करें तो आप पायेंगे कि राजस्थान में इन 6 सालों में कितनी तरक्की हुई है। अभी महुआ से आने वाले महानुभाव बात कर रहे थे कि आपने किसान के ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। मान्यवर, आपके बजट के पुराने आंकड़े उठाकर देख लीजियेगा 5 प्रतिशत एग्रीकल्चर पर खर्च करते थे, आज राजस्थान की यह सरकार 23 प्रतिशत किसानों, खेती वालों पर खर्च करती है।

(16.00)

आज 60 प्रतिशत ऐसी रकम है जो हम गांवों में रहने वाले मजदूर आदमियों पर खर्च करते हैं। आप समानता की बात करते हो, मान्यवर। मैं कल्पना कर रहा हूं, आपसे निवेदन करूंगा कि एक आदमी जो फाइव स्टार होटल में बैठा हुआ है और एक आदमी जो गांवों की दूर तलहटी में किसी पहाड़ी के बीच में बसा हुआ है यदि उन दोनों लोगों को चौराहे पर लाकर आप खड़ा कर दो तो माथा ठनकता है और मैं सोचने पर मजबूर होता हूं, बाध्य होता हूं, विवश होता हूं कि क्या यह मेरे भारत के दोनों नागरिक एक ही देश के रहने वाले हैं। एक आदमी फाइव स्टार होटल में रह कर अपने दिन प्रतिदिन पर इतना खर्च कर देता है जबकि दूर से दूर तलहटी में रहने वाले एक अजीब इन्सान, एक उपेक्षित इन्सान, एक दुखी इन्सान साल भर में इतना खर्च नहीं करता। यह स्थिति है आज मेरे इस भारत में। आज नयी नीति अपनाने

(श्री अर्जुनदास मदान)

के बाद मैं यह निवेदन कर रहा था, हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार का कुल 795 करोड़ रुपये का वार्षिक योजना का आकार था जो कि 1994-95 में 2450 करोड़ रुपये का हो गया, आज, 1995-96 में यह 3200 करोड़ रुपये का हो गया अर्थात् पिछले वर्ष से 800 करोड़ रुपये हम योजना के ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे ।

अब मैं थोड़ी-सा बजट के ऊपर भी रूप रेखा देना चाहूंगा । चन्दनमल जी हैं नहीं और जिन महानुभावों ने यह कहा कि किसान के लिए हम कोई खर्च नहीं करते, उनका थोड़ा-सा ध्यान मेरी बात की ओर आकर्षित करने का प्रयास करूंगा । महोदया, आज बजट केवल मात्र दो चीजों के ऊपर डिपेण्ड करता है । आपकी राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं और आपका प्लान एक्सपेण्डीचर कितना है और आपकी आवत कितनी है । इन तीन चीजों को यदि आप सन्तुलित कर दें तो निश्चित रूप से मन में यह आता है कि हम कहीं आगे तरक्की कर रहे हैं । हम एक किसी स्थान पर खड़े हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं । मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे पास आपका बजट है, प्लान है उसके पेज नम्बर एक को यदि आप उठाकर देखेंगे तो प्राप्त करेंगे कि टोटल राजस्व की प्राप्तियां हमारे बजट एस्टिमेट में कुल मिलाकर 6051.67 लाख रुपये और रिवाइज एस्टिमेटहमको मिला 6432 9 है करोड़ रुपये अर्थात् 380.42 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई । महोदय, यह क्या इण्डीकेट करता है ? केवल मात्र मैं आपसे निवेदन करूंगा, टैक्स रेवेन्यू में हमने 116 करोड़ रुपये बजट एस्टिमेट से जो हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट है हमने 116 करोड़ रुपये ज्यादा लिये हैं । नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आपके सामने है उसमें 241 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं । पिछले पुराने काल की बात नहीं कर रहा हूं । यह केवल मात्र यह है कि वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है आज हमारे वित्त मंत्री का और आज हमारे मुख्य मंत्री महोदय का । महोदय, मैं क्या पूछ सकता हूं कि क्या यह मुखर्जी हमारे बी. जे. पी. का झण्डा लेकर चलते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आज विश्व बैंक हमारा अनुयायी है । अगर किसी आदमी में कोई खूबी है तो निश्चित रूप से दिखेगी । इन्सान की विशेषता कभी छिपती नहीं है । अंगारे के ऊपर यदि राख छा जाय तो महोदय, हमें कभी उसे बुझा हुआ नहीं मानना चाहिए । यदि हवाओं का प्रबल झोंका आ जाए और राख को ऊपर से हटा दें तो आग में इतनी ताकत होती है, उस अंगारे में कि वह धधक भी सकती है, वह आग भी लगा सकती है । यह उसकी विशेषता है । यदि किसी आदमी में विशेषता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी में विशेषता है या हमारे फाइनेंस में आज दोनों रूप में काम कर रहे हैं । आज यदि प्रांत ने तरक्की की है तो उनके नेतृत्व में की है और मैं उसकी परिकल्पना केवल मात्र आपको इसी बजट के आधार पर देना चाहता हूं । अब प्लान एक्सपेण्डीचर के ऊपर आता हूं महोदया, 1993-94 में हमने 1605.42 करोड़ रुपये का बजट एस्टिमेट रखा था जिसके एवज में हमने 2036.24 करोड़ रुपये खर्च किये और इस बार 2701.58

(श्री अर्जुनदास मदान)

करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं और इसमें भी आप आउटसाईड बजटरी एक्सपेण्डीचर असेसमेण्ट और जोड़ दें तो लगभग 3200 करोड़ रुपये हम खर्च करेंगे और यह कहा जाता है कि किसानों पर कोई खर्च नहीं किया। तो मैं महोदया, आपके माध्यम से मेरे दांयी तरफ बैठने वाले महानुभावों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि कृषि एवं उससे सम्बन्धित सेवाओं के ऊपर 317.41 करोड़ रुपये खर्च होगा। क्या यह आज कोई हवामहल में रहने वालों के ऊपर खर्च होगा ? जब कृषि की बात करते हैं तो किसान के ऊपर ही खर्च होगा। ये चीजें इम्प्लाइड होती हैं। महोदया, हम ध्यान दें, यदि मैं आज साधारण भाषा में यह बोल दूं कि आदमी नाशवान है तो इसका मतलब क्या यह नहीं होता कि आज औरत मरती है तो क्या आदमी से वह अलग हो गयी। मैं केवल मात्र इसी पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था महोदया, आज इस हैड के ऊपर कृषि और उसके ऊपर 312.41 करोड़ रुपये खर्च होंगे जो कि पिछले वर्ष से 30 प्रतिशत ज्यादा है। ग्रामीण विकास के ऊपर 256.13 करोड़ रुपये खर्च होंगे जो गत वर्ष से 29 प्रतिशत ज्यादा है, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के ऊपर 479.41 करोड़ रुपये खर्च होंगे जो पिछले साल से 24 प्रतिशत ज्यादा है, सामाजिक सेवाओं के ऊपर 875.4 करोड़ रुपये खर्च होंगे जो पिछले वर्ष से 43 प्रतिशत अधिक है, ऊर्जा के ऊपर 816.83 करोड़ रुपये खर्च होंगे जो पिछले साल से 26 प्रतिशत अधिक है और ढाणी और गांवों में पानी पिलाने के लिए जो खर्च होने वाला है उसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था। मैं पूछना चाहूंगा मेरे विधान सभा के सदस्य, प्रतिपक्ष के साथियों से कि जब कृषि के ऊपर खर्च करते हैं, ग्रामीण विकास के ऊपर खर्च होता है, सिंचाई के ऊपर खर्च होता है, सामाजिक सेवाओं के ऊपर उद्योगों के ऊपर खर्च होता है तो क्या इसमें किसान शामिल नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यह जो बात कही जाती है कि आज किसानों के प्रति हम उदासीन हैं। किसानों के प्रति हम उदासीन रह कैसे सकते हैं। आज किसान भारतीय जनता पार्टी का एक मेरूदण्ड है जिसके सहारे पर हम चलते हैं, हम उसे भूल नहीं सकते, उसके एहसान है हमारी पार्टी के ऊपर, हम उसके अनुयायी हैं, और उसके श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होते हैं। आज आप शिक्षा को देख लीजिये। पिछली बार मैंने आपसे निवेदन किया था, 119 प्रतिशत अधिक बजट था। आज स्वास्थ्य के ऊपर देख लीजिये, 70 प्रतिशत अधिक बजट है उसमें भी 125 प्रतिशत केवल मात्र गांवों के विकास के ऊपर खर्च होगा।

स्वास्थ्य के ऊपर मैं निवेदन कर रहा था, अब इसमें मैं दूसरी तरफ से निवेदन करूंगा कि यह बजट स्वास्थ्य सेवाओं को समर्पित है। एकीकृत योजना के अन्तर्गत जो हम खर्च कर रहे हैं उसमें यह हमने किया और उससे 1 लाख 8 हजार परिवार लाभान्वित होंगे। जवाहर रोजगार के अन्दर 7/0.5 लाख मानव दिवस सृजित किये जाएंगे और 73 हजार हैक्टेयर जमीन में अतिरिक्त सिंचाई के साधन जुटायेंगे, 750 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जाएगा, 25 हजार गांवों का ऊर्जाकरण किया

(108)

(श्री अर्जुनदास मदान)

जाएगा, 350 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा और 45 हजार गांवों को और उनकी ढाणियों को पानी पिलाने की व्यवस्था की जाएगी। यह स्थिति है। महोदया, फिर भी अगर उसके बाद कोई यह कहे कि भारतीय जनता पार्टी का यह बजट किसानों के प्रति

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उदासीन है या हम उसके प्रति निष्क्रिय हैं। तो मैं समझता हूं इससे बड़ी विडम्बना और कोई नहीं हो सकती है।

मैं मानता हूं आप घंटी मत बजाये मैं बहुत कम निवेदन करूंगा, मैं तो बहुत कम बोलता हूं। मेरी पार्टी के केवल मात्र 5–7 मिनट और लेना चाहूंगा, ज्यादा बोलना भी नहीं।

इस समय यही निवेदन कर रहा था, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम बड़ी नीति अपना रहे हैं कि उदारीकरण की नीति बनायेंगे। उदारीकरण की नीति में जैसा कि हो रहा था, उदारीकरण नीति से मैं तो यह मानता हूं कि हम अपना भला नहीं करेंगे। मेरी जितनी छोटी बुद्धि है, मैं जानता नहीं हूं लेकिन इतना मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिस नीति का हम प्रतिपादन करने जा रहे हैं सदन के माध्यम से वह हमें लाभकारी नहीं हो सकती। कारण केवल मात्र यही है कि उसके लिए हम उद्योग भी देना चाहेंगे। हमारे उद्योग मंत्रीजी को और हमारे मुख्य मंत्रीजी को भी आज उदारीकरण की नीति के ऊपर एक अंकुश लगाना चाहिए और अंकुश लगाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके कारण से देश में जितने भी छोटे-मोटे उद्योग पनप रहे हैं जिनको आपने मजबूती से संजोया और संवारा है, इस उदारीकरण की नीति के आगे वे नहीं टिक पाएंगे। मेरा मन जल्दी विचलित होता है कि हम टिक पायेंगे कि नहीं टिक पायेंगे। क्योंकि होता क्या है जो बाजार में आएंगे तो मेरी चीज को जल्दी बाजार से फेंक देंगे, एक बार सस्ता बेच देंगे, सस्ता बेचने के उपरांत जब मैं पहले अपने मार्केट से हटा दिया जाऊंगा तो फिर उसकी इच्छा होगी जो दाम वसूल करें। साधन उन लोगों के पास हैं। आज मल्टीनेशनल्स जिन लोगों के 50 देशों में फैक्टरीज हैं यदि उनको एक स्थान पर फैक्टरी में एक साल के लिए, दो साल के लिए नुकसान पर माल बेचना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि उनको तो मार्केट को केप्चर करना है। इसलिए मेरा यह निवेदन था कि उदारीकरण के नाम पर एक तरह से अमीर बनने वाले विश्व के जितने पूंजीपति हैं उनको आप आगे बढ़ा रहे हो कि तुम आओ उद्योग करो। मजदूर को क्या देंगे, किसान को क्या देंगे महोदया, केवल मात्र अनुदान की राशि जो हम बजट पर तय करेंगे। अनुदान और कर्जे की राशि पर किसान और मजदूर को हम छोड़ देना चाहते हैं और यह स्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है। अब इतना होने के बाद मैं निवेदन करूंगा कि इस उदारीकरण की नीति के माध्यम से बड़े-बड़े पूंजीपति और ज्यादा होंगे। यदि निराशाएं बढ़ती चली गयीं पूंजीवाद के इस यथासागर में मजदूर और गरीबों की हाय और उनके दर्द का एक ज्वार उठा तो यह छोटे-मोटे टापू इस यथा समुद्र के बहाव में सिमट जाएंगे। एक वह स्थिति भी आ सकती जब निराशा

(श्री अर्जुनदास मदान)

दिन प्रति दिन बढ़ती चली जाए, लोग हाहाकार करें। गरीब आदमी उपेक्षित होगा, तिरस्कृत होगा तो वह आदमी किसी न किसी दिन, आखिर उसके भी धैर्य की परीक्षा होती है. उसकी भी एक सीमा है, उसका भी एक बन्धन है। वह कहां तक धैर्य रखेगा? तो उदारीकरण के नाम पर निवेदन करूंगा, जितने सदन में बैठे हुए लोग हैं, जहां तक सम्भव हो हम लोगों को स्वदेशी चीजों का उपयोग करना चाहिए।.. क्योंकि इसी से हमारा आगे का विकास होगा। अब यह कहा जाता है कि शासन नीति के आधार पर ...

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : अगर आप उदारवादी नीति को अलग कर देंगे तो इस बजट में क्या बचेगा, यह लम्बा-चौड़ा है... (व्यवधान) ..

श्री अर्जुनदास मदान : ना-ना, रामपालजी, नाराज नहीं हो। मेरी छोटी बुद्धि से सुन ले फिर जब आपका नम्बर आएगा, आप बोलना, अभी तो मुझे ढोल बजा लेने दो भाई, जब तुम्हारा नम्बर आए तो इस अखाड़े में जैसा लंगोट घुमाना चाहो, घुमा लेना अभी तो मुझे लड़ने दो...(व्यवधान)... इसलिए मैं महोदया यह कह रहा था कि हमारा शासन नीति पर आधारित है। हमने सड़क नीति बनायी, हमने शिक्षा नीति बनायी, हमने उद्योग नीति बनायी, किस हद तक मुझे खेद है कि हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा नहीं कहते हैं। यह बात लोग कहते हैं लेकिन मैं तो यह निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर किसी में कोई कमी है, क्योंकि दोषारोपण की दृष्टि से नहीं, आत्म विवेचन की दृष्टि से हमें कोई बात कहनी पड़े। आज किसी भी आदमी ने यह नहीं कहा कि इस बजट में यह बात तो ठीक है, कोई एक बात। क्या मैं यह मान लूं, माननीय महोदया, कि इसमें सारी की सारी बातें गलत हैं। मैं ही यह नहीं कहता कि कौन है लेकिन संसार में यह नियम है, कोयल बोलती है तो कौवे को उस पर निराशा होती है जब पपीहा बोलता है तो मेंढ़क उसका उपहास करता है, बगुला हमेशा हंस पर कड़वाहट की दृष्टि से देखता है लेकिन यह विडम्बना, मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं हंस हूं या आप कौवे हो, इसको अदरवाइज मत लीजियेगा। मैंने आपको कहा था कि मैं कौआ हूं, आप कोयल हैं लेकिन यह स्थिति आज आयी क्यों? क्या आज सारी की सारी चीजें इस बजट में खराब हैं। क्या हम यह भी नहीं सोच सकते कि एक चीज तो अच्छी होगी, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने का माद्दा भी हम लोगों में समाप्त हो गया? हम यह भी नहीं सोच सकते कि कौनसी चीज अच्छी है और जो उनमें से उठता है वह कहता है खराब है और हम में से जो उठता है वह कहता है अच्छा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, नीतिगत काम चलाने से एक बात जरूर होती है कि एक आधार बन जाता है सत्ता चलाने में, जैसे एक राजा कोई पुल बना दे, बहुत बड़ी नदी हो, विशाल नदी हो और उस पर कोई राजा पुल बना दे या सरकार पुल बना दे तो होता क्या है घुड़सवार भी उस पुल पर चला जाएगा, एक चींटी भी उस रास्ते को तय कर लेगी। पुल का

(श्री अर्जुनदास मदान)

माध्यम तो निश्चित रूप से होता है, यात्रा के बंधन तो समाप्त हो जाते हैं लेकिन यह जरूर हमको सोचना पड़ेगा कि इसकी लाभ-हानि कितनी होती है। जैसे कि हमारी नीति है, एक निवेदन करूं मैं पिछली बार डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया कि मेरी मण्डी कमेटी की सड़कें खराब हैं और उन्होंने कहा, साहब हमने अब नियम बना दिया कि जो मण्डी की सड़कें एक बार बनाते हैं, 10 साल तक ठीक नहीं होगी क्योंकि मण्डी की सड़कें बनाने के बाद 10 साल तक हम उनको ठीक नहीं कराते। मैंने उनसे कहा कि कम से कम इतना तो विचार कर लें, मान्यवर, कि कोटा की सड़कों को आप जैसलमेर की सड़कों से तुलनात्मक मत रखियेगा, वर्कमैंसीप भी खराब हो सकती है, कहीं पर पानी का बहाव हो सकता है, नहरों का इलाका है, वहां पानी सड़कों पर आ जाता है ट्रकों का लोड है, लोडेड चलते हैं, खानों के ट्रक चलते हैं तो कैसे आप यह कह सकते हैं कि 10 साल में एक सड़क कोटा में बनेगी तो वह तभी सुधरेगी जब 10 साल में जैसलमेर में बनी सड़क सुधरेगी। तो कहीं न कहीं नीति पर भी हो जाता है। क्योंकि नीति जब बन जाती है तो अच्छा तो होता है लेकिन मंथन और चिंतन की जो जिज्ञासा होती है उसमें कुठाराघात होता है। इसलिए मैं जरूर निवेदन करूंगा नीति निर्णायकों से कि नीति बनायी गयी, नीति बननी चाहिए, नीति अच्छी बात है लेकिन कहीं न कहीं उसका डिस्क्रीशन भी हमको रखना चाहिए। मेरे क्षेत्र में चंदेलसर छोटा-सा गांव है, बहुत छोटा गांव, दूधवाले दूध ले जाते हैं, +++ जब दूध ले जाते हैं तो रेलवे पुलिया को क्रोस करते हैं तो गाड़ी आ जाती है तो नीचे पानी है, ऊपर पुलिया है, जाने का कोई साधन नहीं तो कभी घूम-कर जाते हैं तो उनको 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब अगर नीति मान लीजिये यह बनी कि इस पुलिया को तो हम सड़क के साथ ही बनायेंगे तो उनकी प्राथमिकता यह हो सकती है कि उनकी सड़क पहले बने। बाद में कोई और चीज हो तो उस स्थिति में हमको प्राथमिकता का निर्धारण करना पड़ेगा तो मुझे निवेदन करना है कि गाड़ी उधर से आती है तो चंदेलसर का वह आदमी जो दूध लेकर आता है वह चरी समेत नदी में छलांग लगाता है, कम से कम दो आदमी मर गये तो मैं इसका निवेदन इसलिए करना चाहता था कि कहीं न कहीं हमारी भी यदि कोई नीति निर्धारण में कमजोरी रह जाए तो हमको उस पर चिंतन-मंथन निश्चित रूप से करना

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था कि शिक्षा पर, पुरानी सरकार केवल मात्र 23 रुपये प्रति व्यक्ति पर खर्च करती थी और 1994 में पिछली बार शिक्षा को समर्पित बजट में वह बढ़ करके 214 रुपये प्रति व्यक्ति हो गया और मुल्क में इसकी स्थिति, पूरे राष्ट्र में, मेरे देश में 208 है। यदि हमने राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा शिक्षा पर खर्च किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहां के स्वास्थ्य मंत्री महोदय को

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अर्जुनदास मदान)

कि उन्होंने काफी कुछ किया है और उनसे आशाएं हैं ।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्योंकि आप घण्टी बजा रही हैं यद्यपि मुझे इसके बारे में बोलना था । हर जगह आप देखिये बजट है तो दवाओं में ज्यादा, कहीं पर किसी केट स्कीन मशीन की जरूरत है तो कहीं केट स्कीन कोबाल्ट की जरूरत है तो कहीं कोबाल्ट मशीन की, बढ़ने वाले, हास्पिटल बढ़ने वाली खटियाएं, कमी तो हर इंसान में है, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह समाज हो, चाहे वह घर हो, कोई भी इंसान, महोदया उससे अछूता नहीं है । मैं तो केवल मात्र इतना निवेदन करूंगा, आज यह जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं, सरकार से और आज के सदन में बैठे हुए मेरे महानुभावों से इतना ही आग्रह है, मेरी याचना है, प्रार्थना है कि एक बार वह मंथन और चिंतन करके यह सोच लें कि जो चीज अच्छी है, उसकी वाह-वाही करें । मैं तो बजट के ऊपर केवल मात्र इतना ही निवेदन करूंगा कि जो बुजुर्ग हैं वह अपना आशीर्वाद दें, जो बराबर के हैं वे पीठ थपथपायें, जो छोटे हैं, वे अपनी शुभकामनायें दें, ताकि राजस्थान की प्रगति में हम एक से एक दिन, प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्रीमती इंदिरा मायाराम ।

श्रीमती इंदिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप इस कुर्सी पर आयीं और मुझको बोलने का मौका मिला । माननीय सभापति महोदया, इस वर्ष का जो बजट है राजस्थान सरकार का, योजना परियोजनाओं का एक प्रारूप है और इस प्रारूप को इतने सुन्दर शब्दों में और इतनी परिमार्जित भाषा में सजाकर इतनी सुन्दर पुस्तिका बनायी गयी है कि मैं मुख्य मंत्रीजी को और राजस्थान सरकार को इसके लिए बधाई देती हूं कि प्रथम दर्शन में ही पढ़कर एक बार आदमी इतना प्रभावित होता है कि (व्यवधान) क्या बढ़िया बजट होगा इस वर्ष किन्तु ..

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : किन्तु मत लगाइये ।

श्री टीकमचन्द कांत (सिवाना) : इतना ही काफी है इससे आगे मत बढ़िये ।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : जब हम आगे उसके अन्दर जाते हैं तो पता लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारत सरकार को कर्ज के नीचे डुबाने वाले बताते हैं और कहते हैं कि सारे देश को बेच दिया, सारे मुल्क को कर्ज के नीचे दबा दिया, हमारी राजस्थान सरकार की योजनाओं का जो बजट आया है उस बजट में इन्होंने दिया है कि हमारा प्रति व्यक्ति योजनागत विनियोजन हुआ है 556 रुपए, कर्जा जैसे कि कल हमारे नेता चंदनमल जी बैद ने बताया कि हर व्यक्ति का कर्जा जो हमारे ऊपर आया है वह होगा 3178 रुपये और मैं यह पूछना चाहती हूं कि जो आप लोग बोलते हैं, आपकी करणी और कथनी में कितना फर्क है । हम यह मानकर चलते हैं कि कोई विकासशील राष्ट्र बिना कर्जा लिये हुये आगे नहीं बढ़ सकता, कोई योजना आगे नहीं बढ़ सकती । कल

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

मुख्य मंत्रीजी अपने भाषण में कह रहे थे कि हमने 40-45 साल तक समाजवाद की बातें करके इस देश का शोषण किया। मैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि योजना में यह वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने 31 से बढ़ाकर 32-33 हजार करोड़ रुपये कर दिये और बाद में उसके हम आगे बढ़ा रहे हैं और 1995-96 में 32 की बना रहे हैं और कभी 2400 करोड़ की है। ये योजनाएं क्या है ? ये योजनाएं सरकारी तौर पर खर्च करने की योजनाएं हैं। क्या यह समाजवादी नीति नहीं है ? नहीं तो दे दें निजीकरण को, क्यों नहीं खतम कर देते इन सारी योजनाओं को और फिर छोटी-सी योजना लेकर के निजीकरण में जाकर के सारे विकास के काम करें। हमने शोषण नहीं किया, हमने देश के विकास का काम किया है और इसीलिए पंचवर्षीय योजनाएं बनायी गयीं, पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनायी, सारी योजनाएं बनायीं, उनके लिए कर्जे की जरूरत पड़ी तो कर्जा भी लिया और देश का विकास किया इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि इसमें कथनी और करनी का जितना अन्तर है वह प्रारम्भ से ही मालूम हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि उन्होंने प्रथम पृष्ठ पर ही यह लिखा है कि स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है और उसके आगे क्या चुनाव किसने किये ? एक प्रशासनिक ढांचे के द्वारा, यह सच्चाई है कि कैसे उन्होंने हमको बताया कि क्या करने जा रहे हैं। दूसरा कथनी और करनी का अन्तर और आगे दिखायेंगे। 11 पृष्ठ, पैरा 22 में राजस्थान प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और काश्तकारों के लिए उन्होंने क्या किया है। यह हमारे सदस्य हरिसिंह जी बता रहे थे काश्तकारों के लिए इसमें कोई योजना नहीं है। इस वर्ष का जो बजट आया है उसमें कोई सुविधा नहीं दी गयी है, न खाद-बीज पर कोई सुविधा दी गयी है, न कृषि उपकरणों के ऊपर कोई सुविधा दी गयी है, न बिजली की दरों में कोई फर्क किया है। यहां तक कि आज अगर गरीब किसान अपने लिए 10 हार्स पावर का बिजली का कनेक्शन लेने जाते हैं तो उनको 30 से 40 हजार रुपया तक कम से कम देना ही पड़ता है और रिश्वत की अलग बात है कि कितनी देनी पड़े। इसलिए आज यह हालत किसान की हो रही है। तो कृषि प्रधान प्रदेश के लिए क्या सुविधाएं दी गयी हैं, उसका एक नमूना मैं आपको यह बता दूं।

आगे चलिये। सिंचाई शायद किसान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सिंचाई के बारे में बड़ी-बड़ी योजनाएं हम लोगों ने बनायी जिसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे श्री राजपाल सिंह जी कि हमने 40 वर्षों में कोई विकास का कार्य नहीं किया। तो यह राजस्थान नहर बनायी है वह विकास का कार्य नहीं है, वह सिंचाई का कार्य नहीं है तो क्या कार्य है ? खैर छोड़िये। मैं बड़ी योजनाओं की बात नहीं कर रही हूं। मैं बात आपसे सिर्फ छोटी योजनाओं के बारे में कर रही हूं। जो छोटी-छोटी बांध और एनीकट्स गांवों में बने हुए हैं पिछले वर्ष असेम्बली में मैंने अपने क्षेत्र के बारे में कहा था कि मेरे यहां बाढ़ में पांच साल पहले

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

पांच छोटे-छोटे बांध टूट गये। उसके बाद मुख्य मंत्री जी बीलवा हमारे यहां एक मीटिंग में गये। वहां भी मैंने निवेदन किया था और मैं उनकी बहुत शुक्र गुजार हूं कि उन्होंने खड़े होकर आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्दी ही आपके जो बांध हैं यह ठीक हो जाएंगे मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उन बांधों के बारे में दो-दो बार ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाने के बावजूद भी न मुझे कोई जवाब मिलता है और न उनका कोई कार्य शुरू किया गया।

अब मैं आपको किसानों की तीसरी स्थिति के बारे में बताना चाहती हूं। किसानों के कर्जे की क्या हालत है। एक भाई कल कह रहे थे कि हमने कर्जे माफ कर दिये। आज किसान की हालत यह हो रही है कि 2 हजार जिसने कर्जा लिया है उसको 20 हजार और जिसने 10 हजार लिया उसको 50 हजार यानी ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जा रहा है और दस साल तक भी जिन्होंने कर्जा लिया या उनको कभी दिया भी तो उनको एक साथ बाध्य किया जा रहा है कि कर्जा चुकाओ नहीं तो तुम्हारी जमीन नीलाम कर देंगे, तुम्हारे मकान नीलाम कर देंगे। तो यह किसान विरोधी सरकार तो मुझे नहीं कहना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग शब्द हो जाएगा लेकिन किसान उपेक्षित सरकार जरूर मैं कहूंगी।

मैं अब आपसे आगे हमारी राजस्थान सरकार की कुछ नयी उपलब्धियों के बारे में भी बात करना चाहूंगी। हमारी राजस्थान सरकार की नयी उपलब्धियां हैं नयी-नयी नीतियों की घोषणा। नयी-नयी नीतियों की घोषणाएं करके हमारी सरकार यह वाहवाही ले जाना चाहती है। जो भारत सरकार ने योजनाएं बनाकर देश को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू किया था उसी तरह से हम भी अपनी नीतियां बनाकर विकास करना चाहते हैं। हालांकि वह कहते नहीं हैं कि हम उसी तरह से कर रहे हैं। उन योजनाओं की और भारत सरकार के समाजवाद का तो विरोध ही करते हैं लेकिन खैर कोई बात नहीं है। नीतियां बनाना उन्होंने शुरू किया। मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि उन्होंने सड़क नीति बनायी। सड़क नीति बनाने में कहीं यह नहीं बताया गया है। यह जरूर कहा गया है कि निजीकरण करेंगे लेकिन यह उन्होंने नहीं बताया कि निजीकरण राष्ट्रीय राज मार्गों का करेंगे या राज्य मार्गों का करेंगे या सम्पर्क सड़कों का करेंगे या कितनी सड़कों का करेंगे। उनकी देखभाल कौन करेगा? उन का कोई निगम बनेगा? उनका किस क्राइटेरिया से आप निजीकरण करेंगे? क्या इसी तरह से निजीकरण करेंगे कि आपने जयपुर से दिल्ली रोड एक प्राइवेट कम्पनी को बनाने के लिए दी, उसका तिगुना पेमेन्ट भी किया पी. डब्ल्यू. डी रेट से ज्यादा। आज पिछले कितने बरसों से वह बनाते चले आ रहे हैं। अभी तक आधी सड़क भी पूरी नहीं हुई। तो मेरा निवेदन यह है कि बहुत अच्छा है, सराहनीय कार्य है। मैं सराहना करती हूं सरकार की कि उन्होंने नीतियां बनायी पर कुछ बिन्दुओं पर विचार नहीं किया। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन बिन्दुओं

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

पर भी विचार करें ताकि हमारा जो कठिन कर्ज का बजट है उसका सही इस्तेमाल हो सके .

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : शायद नीति पढ़ते समय उसमें बी. ओ. टी. एक शब्द है बिल्ड, आपरेट, पे दी टोल टैक्स एण्ड रिटर्न यह मतलब है इसका । उसके पास नहीं रहेगी ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने यह नहीं कहा । मैंने यह कहा है कि किन-किन का करेंगे ? राष्ट्रीय मार्गों का, राज्य मार्गों का....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पहले उसको पढ़ लें उसके बाद आप बोलें तो अच्छा रहेगा ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, मैंने पढ़ा है । मैं इसीलिए पूछ रही हूं कि उसमें कहीं नहीं दिया गया कि आप किन-किन का किस-किस राष्ट्रीय मार्ग का या सारे राष्ट्रीय मार्गों का करेंगे या सम्पर्क मार्गों का करेंगे । मैंने पढ़ा है तभी बोल रही हूं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप उसको पढ़िये । राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और डिस्ट्रिक्ट रोड्स—तीनों के लिए है विजेज के लिए है और बी. ओ. टी. के सम्बद्ध से करने की है । उनको बनाओ, आपरेट करो, टोल टैक्स लीजिये और वापिस कीजिये उनके पास नहीं रहेगी ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : किन-किन का करेंगे यह नहीं है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सब के लिए करेंगे ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यानी जिसकी मर्जी आएगी उसका कर देंगे, यह मतलब हुआ ? यही मैं कहती हूं कि नीतियों में यह हुआ कि आप मनमाने तरीके से जिसका चाहेंगे निजीकरण उसका कर देंगे और जिसका चाहें उसका नहीं करेंगे । ठीक है । बहुत अच्छा है जी मुझे समझ में आयी वह बोल रही हूं ।

श्री सभापति : इसमें मनमाने तरीके से नहीं बल्कि आफर के आधार पर होगा ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अच्छा ठीक है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : टेन्डर्स के आधार पर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आवश्यकता के आधार पर करेंगे ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आवश्यकता तो सारी सड़कों के लिए है कि जल्दी बनायी जाए ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसीलिए सारी सड़कें करेंगे ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : लेकिन फिर आप पी. डब्ल्यू. डी. का क्या करेंगे ? सारी सड़कों को कर देंगे तो पैसा आना ही बन्द हो जाएगा ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी तो एक भी सड़क पर हिन्दुस्तान भर में कोई नहीं आया है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अच्छा। अभी तो मैं अपनी बात कह दूं नहीं तो मुझे सभापति महोदया बैठा देंगीं ..

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई ग्राहक ही नहीं आया। आप ग्राहक भिजवा दीजिये एक-दो।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरा समय कम नहीं करें क्योंकि सभापति महोदया मेरा समय तो बढ़ायेंगीं नहीं।

दूसरे में उद्योग नीति के बारे में कह रही हूं कि उद्योग नीति बनायी गयी। उद्योग नीति में कुछ अच्छाइयां भी हैं और उसमें उदारीकरण की जो पालिसी की गयी है वह अच्छी है किन्तु उसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि शिल्प कला द्वारा तैयार की गयी वस्तुयें, हाथकर्घा द्वारा बनायी गयी जो वस्तुएं और जो छोटे उद्योगों का आपने प्रोग्राम बनाया है गांवों में महिलाओं को शिक्षा देकर उनसे कुछ काम लिया जाएगा। उनके द्वारा बनायी गयी जो वस्तुएं हैं उनके लिए बाजार का क्या प्रबन्ध होगा यह कहीं भी उसमें नहीं दिया हुआ है। तो मेरा निवेदन है और जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि अच्छी नीतियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए तो मैं आलोचना नहीं कर रही हूं। मैं इसमें सजैस्ट कर रही हूं क्योंकि हमारे यहां देश के अन्दर महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर है और वह अगर कुछ काम करती हैं चाहे वह शिल्प कला का हो, चाहे हस्तकला का हो, चाहे वह हाथकर्घा का हो उनको बेचने की बहुत ज्यादा समस्या है। मैं छोटा-सा उदाहरण दूं गुजरात का। वहां एक बाजार लगाया गया है वह इन्हीं चीजों को बेचने के लिए है। जब मैं बैंक में थी बड़ोदा बैंक तब हमने इसलिए लगवाया था कि चीजें तो बनाकर महिलायें तैयार कर लेती थीं पर बाजार में बेचने के लिए तो घर से नहीं जा सकती थी। अगर इसका भी ध्यान रखा जाएगा तो उससे बहुत अच्छा लाभ जो छोटे कारीगर हैं चाहे वह आज लघु उद्योग वाले लोग हों उनको मदद मिल सकेगी।

इसी के साथ, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे चालीस सालों के काम को यह कह कर कि हमने शोषण किया है तो उसके बारे में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप ही की इस पुस्तिका में पृष्ठ 7 और पैरा 16 में लिखा है "विकास हेतु आवश्यकताएं अपरिमित हैं किन्तु हमारे संसाधन सीमित हैं" इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारी आवश्यकतायें अपरिमित थीं। हमारी गरीबी की रेखा से जनता 60 से 80 प्रतिशत तक नीचे थीं इसलिए हमारे नेता पण्डित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथियों ने जो यह योजनाएं बनायी और जो समाजवाद की नीतियों पर चलने का कार्यक्रम किया, वह सही था। हमारी पार्टी समय के साथ चलना जानती है। उस समय बड़े-बड़े बांध बनाने के लिए न उद्योगपति हमारे यहां इतने बड़े थे कि पैसा लगा सकते और न हमारी सरकार के पास पैसा था। जो बड़े-बड़े भाखरा नांगल, बांध, अर्जुन-सागर बांध और बड़े-बड़े बिजली घर जो

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

आधारभूत आवश्यकताएं हैं जिनके ऊपर आप खड़े होकर आप अपने विकास कार्य कर रहे हैं वह सारी आवश्यकतायें उन्हीं से पूरी हुई हैं। इसलिए यह कहना कि शोषण किया गया, मुझे बड़ा दुख है कि यह शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। शोषण नहीं किया हमने जनता की सेवा की है। अगर हम सेवा नहीं करते तो आज हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते। जहां सूई तक नहीं बनती थी वहां हवाई जहाज और टैंक तक बन रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि जो हमारी आधारभूत आवश्यकतायें पूरी होगी और अब हम पैरों पर खड़े हो गये तो आज हमको जरूरत थी उदारीकरण की तो हमारी पार्टी ने उदारीकरण की नीति अपनायी और अब हम उदारीकरण की नीति पर चल रहे हैं। आज हमारे सदस्य कह रहे थे कि पता नहीं हम क्या रख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे कार्यक्रम बिलकुल साफ सुथरे और सब को बताने योग्य है कि जो समय होता है समय के अनुकूल ही हम अपना कार्यक्रम बनाते हैं और समय के अनुकूल ही हम अपनी योजनाएं बनाते हैं।

सभापति महोदया, शिक्षा के बारे में यदि पांच मिनट और दे दें ..

श्री सभापति : दो मिनट में समाप्त करिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मुझे तीन-चार मिनट ही चाहिए। मेरी आदत नहीं है। सभापति की घंटी बजने के बाद मेरे को खड़ा रहने की आदत नहीं है। इसलिए आज्ञा चाहती हूं कि मेरे को समय दिया जाय। तो मैं आपसे यह कह रही थी कि पिछला वर्ष पूरा शिक्षा के लिए समर्पित था। .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : (सीकर) + + +

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अभी आप जो बोले हैं मैं उसको एक्सपंज करने के लिए कहती हूं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : पिछला वर्ष शिक्षा के लिए समर्पित था और यह वर्ष स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। इस वर्ष भी तकनीकी शिक्षा के लिए बहुत पैसा रखा गया है। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि यह बहुत अच्छी बात है हालांकि अगर हम कर्नाटक या मद्रास के तकनीकी स्कूलों के बारे में देखें तो हम बहुत पीछे हैं। फिर भी हमने तकनीकी शिक्षा के लिए इस बार बजट में अच्छा पैसा रखा है किन्तु इसमें कुछ बातें मैं बताना चाहती हूं। एक तो यह कि महिलाओं के लिए अलग से कितने टेक्नीकल स्कूल या कालेज खोले जायेंगे ऐसा कहीं नहीं बताया गया है क्योंकि अभी तक राजस्थान इतना आगे नहीं बढ़ा है। लड़कियों के जवान होने पर लड़कों के साथ बहुत कम जगह पढ़ने भेजा जाता है। दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश में जो उद्योग आ रहे हैं उन उद्योगों में कितने टेक्नीशियन्स की जरूरत पड़ेगी अगर उसी के हिसाब से हम अपने टेक्नीकल कालेजेज में लड़कों को ट्रेनिंग दें तो आगे

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

उनको रोजगार की समस्या नहीं होगी। अगर इस तरह से हमारी सरकार ट्रेक्नीकल कालेजों का आंकलन करके काम करे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को रोजगार की समस्या नहीं रहेगी। एक मैं आपको बताना चाहती हूं जैसे हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि जवाहरात का जो धन्धा है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मदद देना चाहते हैं। बिलकुल ठीक बात है। क्योंकि हमारा जयपुर देश में ही नहीं विदेशों में भी इसके लिए मशहूर है और यह होना चाहिए। यहां पर एक पार्क बनाने की योजना है जवाहरात आदि के लिए। जैसा कल बता रहे थे, हमारे जयपुर में एक थोड़ा सा ही खुला हिस्सा है उसको न लिया जाय। दूसरी बात जो टैक्नीकल कालेज आज तक चल रहे हैं, जवाहरात की कटिंग और पालिश के लिए किसी भी टैक्नीकल कालेज, पोलीटैक्निक या आई. टी. आई. में ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। जब हम इतना ध्यान देना चाह रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि जो हम टैक्नीकल कालेजेज बना रहे हैं उसमें जवाहरात और सभी प्रेशियस स्टोन आदि की कटिंग और पालिश की क्लासेस भी लगायी जाये।

अब मैं थोड़ा आपको स्वास्थ्य के बारे में भी कहना चाहूंगी। आपने यह वर्ष स्वास्थ्य के लिए समर्पित किया है मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने स्वास्थ्य के बारे में इतना ध्यान दिया क्योंकि किसी भी गरीब आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान के बाद दवाई ही सबसे ज्यादा कठिनाई से उपलब्ध होती है। दवाइयां इतनी महंगी हैं। किन्तु मुझे डर है, आपने जो यह वर्ष स्वास्थ्य के लिए समर्पित किया है कहीं ऐसा न हो जैसा अब तक होता जा रहा है कि मशीनरी और दवाइयां आदि तो खरीद ली जायं लेकिन सेवा उपलब्ध कराने के लिए नये-नये जो अस्पताल खोले जायें उनमें डाक्टरों का अपाइंटमेंट न किया जाय। ऐसा करने से आप जो यह वर्ष स्वास्थ्य को देना चाहते हैं वह पूरी तरह उसका फायदा नहीं होगा। होता यह है कि खरीद-फरोख्त के लिए तो पैसा बहुत मिलता है, डाक्टर लोग खरीद-फरोख्त का काम बहुत जल्दी से पूरा कर लेते हैं और डाक्टरों के अपाइंटमेंट नहीं होते हैं और साल-साल भर अस्पताल खाली पड़े रहते हैं। जो मशीनरी आ भी जाती है उसमें चाहे एक्स-रे मशीन हो, चाहे कोई सी भी मशीन हो, सब बड़े-बड़े अस्पतालों में खराब पड़ी रहती है, निजीकरण का यह एक अच्छा तरीका है शायद आप इसको अच्छा मानते होंगे, डाक्टर लोग लिख देते हैं कि यहां की तो मशीन खराब है इसलिए आप प्राइवेट डाक्टरों के पास जाइये, अपना वहां पर जाकर परीक्षण कराइये और हमारे पास आ जाइये। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें जो खतरा है उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अब मैं सिर्फ एक ही पाइंट पर बोलना चाहती हूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, अब कनक्लूड कीजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : बस अब कनक्लूड ही कर रही हूं। कानून व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) वह तो बिलकुल ठीक है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : बिलकुल ठीक है और हमारे गृह मंत्रीजी जब तक यहां बैठे हैं बिलकुल ठीक ही रहेगी। सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूं पहले जो थानाध्यक्ष होते थे या तहसीलदार, रजिस्ट्रार होते थे वह एक पार्टी से पैसा खाते थे अब यह फैशन चल गया कि दोनों पार्टियों से पैसा खाते हैं और काम किसी का नहीं करते। रजिस्ट्रार के यहां किसी का कोई नामांकीकरण नहीं होगा, तहसील में किसी की रजिस्ट्री नहीं होगी जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे। रिश्वत का खुले आम भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है और उसके बाद जब मैं गृह मंत्रीजी को पत्र लिखती हूं, बलवा हो जाता है, मकान टूट जाते हैं। लोग पिटे हुए पड़े रहते हैं और थानाध्यक्ष जी कहते हैं जांच पड़ताल कर रहे हैं, हो जायेगी। पत्र लिखती हूं तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। परन्तु यह बात सही है कि गृह मंत्री जब तक बैठे हैं तब तक कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।

अब मैं थोड़ा सा जल समस्या के बारे में और बता दूं ...

श्री सभापति : माननीय सदस्या अभी डिमाण्ड आने वाली है डिमाण्ड पर बोलियेगा। डा. श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : बस एक जलदाय विभाग पर ही बोलना है।

श्री सभापति : अब आप डिमाण्ड पर बोल लेना, दूसरों को भी समय दीजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अच्छी बात है, मैं बाद में बात कर लूंगी। बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आपके सचेतकजी का मेरे पास पत्र है उसी के अनुसार मैं चल रही हूं। आप अपने सचेतकजी से जानकारी ले लीजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, हमारा भी नाम था।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदया, राज्य सरकार आम आदमी को केन्द्र बिन्दु बनाकर बजट लायी है यह एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम है। मैं सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगी लेकिन यहां चर्चा की गयी कि घाटे का बजट है।

एक माननीय सदस्य : कोई मंत्री नहीं बनायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी 1994–95 का जो घाटा था वह अतिरिक्त संसाधनों से पूरा कर लिया गया। 173 करोड़ रुपये का घाटा था टार्गेट तय किये गये उसके अगेंस्ट 462 करोड़ रुपये कमाये गये। एक मिसाल कायम हुई कि एक दिन मैं ही इतने बांड बेचे गये उसके कारण से जो घाटा था वह तो पूरा हुआ और उसके अतिरिक्त बचत भी हुई। मैं समझती हूं कि ऐसा सुदृढ़ वित्तीय संसाधन करने की स्थिति में राजस्थान सरकार है और इसको कर पायेगी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी, जो बात अच्छी है वह अच्छी कहनी चाहिए। विकास की दर 15.3 रही जो एक कीर्तिमान है। यह बजट आम आदमी का तो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

है ही लेकिन गांव की तरफ जो इसकी उन्मुखता है उसकी प्रशंसा किये बगैर मैं नहीं रह सकती। आप देखेंगे कि रोजगार देने की स्थिति उत्पन्न की गयी है, मरू विकास योजना, सूखा संभावित कार्यक्रम और क्षेत्रीय विकास, अपना गांव अपना काम, इस प्रकार से ये 11 हजार 8 करोड़ रुपये खर्च होगा, 15 करोड़ मानव दिवस को रोजगार मिलेगा। मैं समझती हूं कि पिछले वर्ष के मुकाबले में 365 करोड़ रुपये का अधिक प्रावधान किया गया है। 1994 95 में जो खर्च का लक्ष्य रखा गया था उससे यह 793 करोड़ रुपये और अधिक रखा गया है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 1760 रुपये से बढ़कर 2040 रुपये हुई है। मैं नहीं जानती कि मेरे प्रतिपक्ष के लोगों को यह जो विकास हुआ है, क्यों दिखायी नहीं देता।

मैं जानती हूं कि जिस समय मैं शुरू में चुनाव लड़ी उस क्षेत्र में चुनाव लड़ी जिसमें राजस्थान के अध्यक्ष रहते थे, मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे। वहां पर हर चुनावों में एक नल लगा दिया जायेगा, अमुक जगह एक लट्टू लगा दिया जायेगा, तार लगाकर पटक दिये, खम्भे लगाकर पटक दिये, चुनाव के बाद में वे सब उठा लिये जाते थे। ये विकास की बात क्या जाने।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट): बजट पर बोलो आप तो।

श्रीमती उजला अरोड़ा: आपको सुनने में बुरा लगता है। वनस्पति घी, सीमेंट, सिन्थेटिक....

श्री परसादी लाल मीणा: हमारा दुर्भाग्य हैं पांच बार चुनाव लड़ीं....

श्रीमती उजला अरोड़ा: अब आप सुनेंगे तो पता पड़ेगा क्या-क्या हुआ है। माननीय सभापति महोदया, वनस्पति घी, सीमेंट, सिन्थेटिक धागा, सल्फरिक एसिड, सूती धागे के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि न्यूनतम मजदूरी में 9 से लेकर 12 रुपये तक की सरकार ने वृद्धि की है। एक गरीब आदमी की आवश्यकता को समझा है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए यदि इसमें और भी राहत दी जाए तो उत्तम रहेगा। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में 12 24 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं जो 1993 की अपेक्षा 24 हजार की यह संख्या अधिक है।

कृषि उत्पाद में और खाद्यान्न में 105.37 लाख टन अधिक उत्पादन हुआ है। 1993 में यह 70 45 लाख टन ही था। एक दूसरे से सम्पर्क बढ़ाने के लिए 15.10 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है....

श्री परसादी लाल मीणा: आप जितनी सीनियर हैं उसके हिसाब से बोलो। आप पांच बार बन चुकी हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा: यह पांच बार की बात कर रहे हो इसमें दो बार कांग्रेस की सरकार थी और दो बार भी कांग्रेस की सरकार ने वे काम नहीं किये जो हम,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अल्पमत ही मान लीजिये, जो गांव-गांव में पहुंचकर हर प्राणी को सुख देने के लिए कार्य किया है। शुरू में, मैं जब गांव में जाया करती थी तो मैं सोचती थी कि अब की बार आऊंगी तो बीमा कराकर आऊंगी। इस तरह के ढाल व कच्चे रास्ते जिन्हें शेर बोलते हैं वे दिखायी देते तो मेरे सामने मेरी मौत लहराने लगती थी। आज उन्हीं सड़कों का देखें तो मेरे इलाके में कुछ सामान्य सी सड़क कच्ची बची है लेकिन उनमें भी वह स्थिति नहीं है जो उस समय थी जो गिट्टी, ग्रेवल, सीमेंट और पेवर की बन चुकी है और यह सारा कार्य जो तीन बार हमारी सरकार आयी है उसके समय में हुआ है।

सरकार ने सड़क नीति बनायी है। उसका निश्चित रूप से अच्छा लाभ होगा और जो कभी भी पंचायत हैडक्वार्टर तक जुड़ नहीं पाते थे वे तो जुड़ेंगे ही लेकिन सम्पर्क सड़कों का निर्माण भी अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्रों में किया जायेगा जो निश्चित रूप से प्रशंसा की बात है।

2 हजार किलोमीटर मीटर गेज का परिवर्तन जो ब्रॉड गेज में हुआ है वह हमारे व्यापार को बढ़ाने में, आवागमन के साधनों को जुटाने में बहुत अच्छा रहेगा और इतना ही नहीं इसका लाभ पर्यटन को भी मिलेगा। क्योंकि बीकानेर, कोटा, जैसलमेर ...

(16.45)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन।)

बड़े शहरों में जुड़ गये हैं। यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि नयी उद्योग नीति और खनिज नीति से प्रदेश का विकास होगा और जो सिक इकाइयां है, कहीं उनका लक्ष्य रखा गया है कि नवीनीकरण योजना में उनको बेचकर के पैसा जमा किया जायेगा। मेरा सरकार से आग्रह है, मंत्री महोदय से आग्रह है कि एक मौका उन इकाइयों को फिर जीवित करने के लिए देना चाहिए। और जो फिर भी नहीं उठ सके तो फिर उसको बेचकर के उसका पैसा जमा करना चाहिए।

सरकार ने गत वर्षों में व्यापार को राहत देने के लिए जो बिक्री कर को अधिक से अधिक युक्तिसंगत बनाया है, निश्चित रूप से इससे व्यापारी वर्ग में बहुत बड़ा स्वागत हुआ है और अच्छा कार्य किया है।

भूमि एवं भवन कर में भी सुधार किया गया है। अब एक लाख के स्थान पर आबादी जहां डेढ़ लाख होगी वहां तक के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। टोंक, पाली, ब्यावर और सीकर इन पर यह कर नहीं लगेगा।

614 प्राथमिक, 600 उच्च प्राथमिक, और पांच राजकीय महिला महाविद्यालय, 30 आई. टी. आई. म. 7 पोलीटेक्निक कालेजेज खोलने का जो प्रावधान किया गया है इसके लिए मैं सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं, शिक्षा के क्षेत्र में यह एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। मैं तो कीर्तिमान दूसरे रूप में भी कह सकती हूं कि कभी भी कांग्रेस के राज में किसी गरीब छात्र को एक भी पोथी मुफ्त में नहीं दी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गयी और पहली कक्षा से लेकर आठवीं आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को, पांचवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक छात्राओं को जो पुस्तकें उपलब्ध करायीं हैं वह भी एक कीर्तिमान है। इस क्षेत्र में सन् 2000 तक सबको शिक्षा देने का जो प्रोग्राम बनाया है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। अनिवार्य शिक्षा को भी यदि तात्कालिक रूप से लागू कर दिया जाय तो ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, यह मेरा सुझाव है।

चिकित्सा के क्षेत्र में 89 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और आयुर्वेदिक अस्पतालों को खोलने की, मशीनें जुटाने की ..

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : कितने औषधालय ?.

श्रीमती उजला अरोड़ा : 20 किये हैं पहले पांच थे। जो प्रावधान किया गया है, निश्चित रूप से अच्छी बात है लेकिन आयुर्वेद, यूनानीपेथी, होमियोपैथी अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए सुलभ है और सस्ती है। इन पैथियों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय तो निश्चित रूप से अच्छा होगा बल्कि इस क्षेत्र में शोध को भी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए तो अधिक अच्छा होगा, यह मेरा राज्य सरकार को सुझाव है।

अभी आप बात कर रहे थे कि रसातल में डूब गये, इतनी उपलब्धियों के बाद में भी आप ऐसी बात करते हो, ऐसा लगता है कि दिन में पर्दे डालकर आप अंधेरा करके अंधेरा ही अंधेरा देखते हैं।

राज्य का बीज निगम तीसरी बार भी मुनाफे में आया है और यह एक कारोबार के क्षेत्र में बहुत बड़ा बिन्दु है।

श्री परसादीलाल मीणा : भाषण अच्छा नहीं हुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद।

खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं को जो खादी पहनते हैं उन्होंने कोई राहत नहीं दी। केवल दिखाने के लिए 15 प्रतिशत और 35 प्रतिशत छूट दिया करते थे लेकिन काम तो अब हुआ है कि जब 30 लाख के टर्न-ओवर तक पर मुक्ति की गयी है।

हस्तशिल्प की वस्तुओं को कर मुक्त किया गया है और कलात्मक रूप से जो चीजें बनाते हैं उनको और आगे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो काम किया है, प्रोत्साहन दिया है उसके लिए उसका आभार व्यक्त करती हूं।

बिक्री कर में स्लैब 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया है उसमें आम कारोबार में सहूलियत मिली है, चुंगी नाकों को हटाने के बारे में इन्सपेक्टर्स की जो आपा-धापी थी उसको खतम किया हैं उसकी मैं तारीफ करना चाहूंगी। जो लोग माल लाते थे और बीच में जिस प्रकार से बिचौलिये पैसा खा जाते थे उन सब को सहूलियत देने का सारा काम किया गया है।

हमें इन सब के साथ-साथ यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे यहां शक्कर का उत्पादन कम हुआ है, नमक का उत्पादन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कम हुआ है, यूरिया खाद का उत्पादन घटा है, रेल्वे वैगन कम बने हैं, सूती कपड़े का उत्पादन कम हुआ है, इन सब चीजों को भी हम भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते हैं ।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य में कृषि के लिए, उद्योगों के लिए तथा ग्राम जीवन के लिए बिजली बहुत जरूरी है उसके लिए सरकार ने प्रयास किया है सूरतगढ़ का विद्युत तापीय संयंत्र 280 मेगावाट का कार्य पूरा कर लेगा लेकिन इससे भी कोई पूर्ति होने वाली स्थिति नहीं है । हमें अन्य राज्यों से मिलने वाली बिजली के बारे में आगे प्रयास करना चाहिए और अपने यहां के पन बिजली से 150–200 मेगावाट के हों, इनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए और औद्योगिक क्षेत्र में स्वयं का उत्पादन करने वालों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, चाहे इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो वह देकर भी इसकी पूर्ति करवायें । निश्चित रूप से यह भी बहुत बड़ी चीज होगी ।

मैं निवेदन करना चाहूंगी लाटरी हमारे यहां एक अभिशाप बनी हुई थी और एक अंक की जो लाटरी बन्द की गयी है, वित्तीय संसाधन और जुट जायेंगे लेकिन समाज पर जो अभिशाप था आपने बन्द करके जो अच्छा कार्य किया है उसकी भी सर्वत्र प्रशंसा हुई है । एक अभिशाप प्रदेश पर से आपने हटा दिया था, कांग्रेस सरकार ने दुबारा लगाया है .. (व्यवधान) ...

श्री परसादीलाल मीणा : सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगी तो मंत्रिमण्डल में नम्बर नहीं आऐगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसा है कि आपने केवल + + +सीखी, आपने केवल + + + सीखी, आपने + + + राजनीति सीखी । उजला अरोड़ा राजनीति में इस काम के लिए नहीं आयी है, पदों के लिए नहीं बल्कि सेवा कार्य के लिए आयी है और सेवा कार्य में मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना कीर्तिमान थोड़े तोड़ा है, हर बार आपके कांग्रेस के जो मेरे प्रतिद्वन्द्वी रहे हैं उनकी अच्छी खासी मरम्मत की है, चाहे वह आपके अध्यक्ष रहे हों, चाहे आपके मुख्य मंत्री रहें हों, चाहे महिला लड़ाई हो, चाहे मुसलमान लड़ाया हो सारे "म" अक्षर वाले आपने इकट्ठे कर दिये लेकिन मैंने उनको अच्छा सबक सिखाया है और अबकी बार भी साढ़े बत्तीस हजार से जमानत जप्त करवायी है । यह एक कीर्तिमान है । आप ऐसा मत मानिये, मंत्री भी मेरे साथी हैं, मेरे साथ सेवा कर रहे हैं और यह आवश्यक नहीं है कि मंत्री रह कर ही काम किया जाए ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि सेवा में आइये मेरे समान, कंधा से कंधा लगाकर एक-एक व्यक्ति की सेवा करने की प्रतिज्ञा कीजिये और तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा और मैं कहना चाहूंगी कि मेरी सरकार उसी के लिए कृत संकल्प है ।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कभी आपने देखा कि गांव में सूर्य की रोशनी के हिसाब से चूल्हे काम करें या वहां प्रकाश प्रकाशित हो, कभी आपने 250 की आबादी पर ढाणी में हैंड पम्प दिया होगा लेकिन आज हमने वह सब छोड़ कर यह स्थिति उत्पन्न की है कि जहां भी पानी की आवश्यकता है वहां पानी दिया जायेगा, जहां खराब पानी है वहां अन्य पानी की योजनाएं बनायी जायेंगी। आप देखेंगे कि 450 गांव और ढाणियों में हैंड पम्प और सारा चीजें पहुंचायी गयी हैं, इतने हजार हैंड पम्प कभी आपने दिये हैं, कभी इस सम्बन्ध में सोचा भी नहीं होगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, यह ध्यान रख लेना।

श्री टीकमचन्द कांत : आप इनको छेड़ रहे हो, + + + आनी चाहिए कम से कम।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने समग्र विकास की योजना बनाकर और विकास की योजनायें देकर उन्होंने गांव-गांव में प्रतिनिधि बनाने की योजना बनायी थी उसी तरह से हमारी सरकार ने हर व्यक्ति को इस बजट का लाभ मिले ऐसी योजना बनायी है और रही आगे की बात जिस प्रकार से हमने घाटे को पिछले वर्ष पूरा कर लिया था रीको के बॉड एक दिन में बेचकर बचत कर ली थी इस बार भी अतिरिक्त संसाधन जुटाकर हम लोग यह सारा कार्य कर पायेंगे। मैं यह कहना चाहूंगी कि आप अपने-अपने इलाकों में घूमिये और यह बताइये कि कहां पानी की कमी है, कमेटियां बनाइये। कहां शिक्षा की कमी है, कहां चिकित्सा की कमी है कहां सड़कों की जरूरत है, कहां ग्रामीण कुओं में कनेक्शन की जरूरत है इस सम्बन्ध में आंकड़ें जुटाकर हमारी सरकार को दें। माननीय सदस्य कृपा कर थोड़ा काम करिये, थोड़ी मेहनत करिये, गाड़ी से उतरिये और धरती पर आइये, जब धरती पर आयेंगे तब आपको धरातल की आवश्यकतायें समझ में आयेंगी। मैं राज्य सरकार को बधाई देती हूं कि वह ऐसा बजट यहां पर लायी है। मैं एक बार और कहना चाहूंगी कि ...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक माननीय सदस्य का भाषण पूरा हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाए। (व्यवधान) ...

श्री रामस्वरूप मीणा : बढ़ाया जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बढ़ाना है है क्या ? .. (व्यवधान).... और बढ़ाना है...

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शिवनाथ सिंह : आज नहीं बढ़ाया जाए। आज शुक्रवार है, सब लोगों को जाना है। (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री शिवनाथ सिंह : आज शुक्रवार है, सब लोग जाना चाहेंगे इसलिए आप अगली बार बढ़ा देना। आज तो सब जाना चाहेंगे।...

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने ही तो मांग की है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक घण्टे का बढ़ा दो।

श्री शिवनाथ सिंह : आज सब लोग जा रहे हैं।.... (व्यवधान)..

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके मुख्य सचेतक महोदय ने और आपने यह कहा है कि यदि सदन की राय ... (व्यवधान) ...

श्री परसादीलाल मीणा : आप ही के मैम्बर के लिए बोलने के लिए बढ़ाओ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक घण्टे के लिए बढ़ा दें। तो हमारे हिसाब से बोल लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब तक श्रीमती उजलाजी का भाषण समाप्त न हो तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजलाजी के भाषण तक समय बढ़ाया गया। वैसे मेरा आपसे निवेदन है.... एक मिनट आपका भाषण तो चल ही रहा है, नम्र निवेदन है मेरा आपसे कि सदन केवल 5 बजे तक ही चले तब तो कई माननीय सदस्य अपने डिबेट में भाग लेने से वंचित रह जायेंगे .. (व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : एक घण्टा बढ़ा दो, साहब।

श्री रतनलाल ताम्बी : बाहर जाना है आज तो आप यही टाइम रखिये 10 तारीख से एक-एक घण्टा बढ़ा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आज का समय श्रीमती उजला अरोड़ा जी के भाषण समाप्त होने तक लेकिन मानसिकता आप 10-11-12 की पूरी बनाकर आएं, 10-11-12 को पूरी मानसिकता बनाकर आएं।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि गोवंश के लिए यहां चिन्ता प्रगट की गयी थी उस सम्बन्ध में सरकार ने जो निर्णय लिया वह बहुत प्रशंसनीय है और मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें कहीं अगर कोई कमी हो तो उसकी भी पूर्ति कर लेनी चाहिए यह हमारी अस्मिता का, हमारी मान्यता का सवाल है, हमारे आग्रह का सवाल है।

(17.00)

मैं यह भी कहना चाहती हूं, हमारे इस बजट में प्रावधान किया गया है, भूमि संरक्षण का और गांवों में तालाब बनाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है लेकिन पिछले दिनों एनिकट बन्द कर दिये गये थे। मैं उनकी कोई तारीफ नहीं करूंगी कि वे बन्द क्यों किये गये, खोले जाने चाहिए थे लेकिन ग्राम तालाब, जोहड़ या गांव का बंधा, जब भी हम बात करते हैं तो एक बात आ जाती है कि वह सिंचाई का बंधा होगा और सिंचाई विभाग वाले यह लिखकर भेज देते हैं कि यह सिंचाई का बांध नहीं है तो ऐसे काम को भी डी. आर. डी. ए. के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर यह पैसा लगना चाहिए। अगर वह पैसा लगा तो निश्चित रूप से पानी का संचय होगा। उस संग्रह के बाद घास उत्पन्न होगी, कुओं की सीम भी बढ़ेगी और भूतल में पानी की जो कमी आ गयी है, उसकी पूर्ति होगी। मैं समझती हूं, इस सम्बन्ध में एक निश्चय कर लिया जाना चाहिए।

आज हमारी आवश्यकता इस बात की है कि राज्य की भूमि के 33.3 प्रतिशत वन होने चाहिए लेकिन इतने वन नहीं हैं। जब पिछली बार हम आए थे तो 9 प्रतिशत वन रह गये थे, अब घटकर, आप मुझे करेक्ट करें, तीन दशमलव कुछ प्रतिशत वन रह गये हैं। वनों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए जिससे कि आगे बरसात होने में आसानी रहे और वनों को लगाये जाने में, उनको प्रतिफलित करने में सरकार को पूरा ध्यान लगाना चाहिए। यह एक बहुत आवश्यक कार्य है।

मैं यह निवेदन करूंगी कि इस प्रकार से (व्यवधान) धन्यवाद कर दूं, ऐसे कैसे कर दूंगी। मैं आपके कहने से धन्यवाद कर दूं तो मैं एक बात पर और धन्यवाद देना चाहूंगी कि कभी भी गांव में कांग्रेस सरकार ने स्कूलों के भवन नहीं बनाये, प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के भवन पहली बार बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने हैं। इस प्रकार से गांव के क्षेत्र में ..

श्री राजेन्द्र पारीक : 5,000 भवन बने हैं, 5,000।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने कभी देखे नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। इनको बोलने दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं धन्यवाद का एक अंश वापस ले लूंगी (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सदस्या, कांग्रेस ने ही आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, इस लायक बना दिया जो आप यहां आ गयीं। आज कांग्रेस की बुराई करती हो आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप इसी बात की तारीफ कर रहे हो कि कांग्रेस ने हमें यहां बैठा दिया और आपके कमी कर दी संख्या में, मैं तो आपकी तारीफ करना चाहूंगी, ऐसे गड़बड़ करते रहना और हंसते रहना....

(126)

श्री रतन लाल ताम्बी : कांग्रेस के राज में ही एम. एल. ए. बनी हो आप तो....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं विधायिका हूं मेरी पार्टी के कारण से, रीति-नीति के कारण से। मेरे काम के कारण से मैं विधायिका हूं। मैं जागरूक हूं इसलिए मैं विधायिका हूं। आपकी असफलताओं के लिए आपको मुबारकबाद।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी, इस प्रकार से राज्य सरकार चहुंमुखी विकास के लिए यह बजट लायी है, मैं प्रशंसा करती हूं। जहां कुछ कमियां हैं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्ट्रप्ट नहीं करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : निश्चित रूप से उनको पूरा कर लिया जाएगा, उनकी पूर्ति के लिए मैं भगवान से भी शुभकामना करती हूं पर एक बात और कहना चाहूंगी :- "न त्वम् कामये राज्यम् न चः सुखम् न च पुनर्भवम्, कामयेतु सत्तानाम् प्राणिनामार्ति नाशनम्" जो प्राणियों में कष्ट है उसको दूर करने के लिए सरकार ने चिन्तन किया है, उसको पूरा करें और इसका मूल्यांकन करें कि कितना बजट किस विभाग के लिए रखा गया था, कितना उसने खर्च किया, कितना उसने लैप्स किया, कितना उसने कर्जा बढ़ाया। इस सारे काम का मूल्यांकन सरकार को करना चाहिए।

साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी, शराब की जो दुकानें हैं, ये हमारी मर्यादा के खिलाफ हैं। शराब तात्कालिक रूप से पूर्णतया राजस्थान में बन्द कर दी जाय, यह मेरा प्रस्ताव है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 10 अप्रेल, 1995 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती हैं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 17.05 बजे, सोमवार, 10 अप्रेल, 1995 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)